केवल शासकीय उपयोग हेतु

पंचायत निर्वाचन

पीठासीन अधिकारियों के लिये

मार्गदर्शिका

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग,

पंचकूला।

विषय सूचि

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासनिक तन्त्र	1
2.	पंचायत निर्वाचन से सम्बन्धित कुछ बुनियादी बातें	2-4
3.	पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें	5-7
4.	मतदान दल का प्रशिक्षण	8
5.	मतपत्र तैयार करना	9-11
6.	मतदान एवं मतगणना सामग्री	12-13
7.	मतदान केन्द्र की व्यवस्था	14-15
8.	मतदाताओं की पहचान	16
9.	मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन	17-18
10.	मतदान केन्द्र में प्रवेश का नियन्त्रण तथा उसके आस–पास की व्यवस्था	19-20
11.	मतपेटी तैयार करना तथा सीलबन्द करना	21-29
12.	मतदान	30-31
13.	मतदाता के पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति	32
14.	निविदत/टैण्डर मतपत्र	33
15.	मतदान केन्द्र पर एवं उसके आस–पास व्यवस्था सम्बन्धी कानूनी प्रावधान	34-37
16.	आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाहीः मतदान स्थगित होना	38-39
17.	मतपत्र लेखा तैयार करना	40-41
18.	मतगणना	42-53
19.	मतों का सारणीकरण (टेबुलेशन) तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा	54-58
20.	पीठासीन अधिकारी की डायरी	59
21.	विभिन्न प्ररूपों को तैयार करना तथा लिफाफों को सील करना	60-62
22.	मतदान दल की वापसी तथा सामग्री जमा करना	63-64

परिशिष्ट	विषय	
एक	चुनाव चिन्हों बारे अधिसूचना दिनांक 11.07.2014	65-67
दो	मतदान केन्द्र के अन्दर की व्यवस्था	68
तीन	प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए दी जाने वाली सामग्री	69-71
चार	हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की महत्वपूर्ण कुछ धाराएं	72-75
पांच	पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची (प्ररूप 6)	76
छः	सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची (प्ररूप 7)	77
सात	पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची (प्ररूप 8)	78
आठ	जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची (प्ररूप 9)	79
नौ	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप 22)	80
दस	रसीद (मतदाता की पहचान को चुनौती देने पर)	81
ग्यारह	आक्षेप किए गए मतों की सूची (प्ररूप 11)	82
बारह	स्टेशन आफिसर पुलिस को शिकायती पत्र	83
तेरह	निविदत्त मतों की सूची (प्ररूप 12)	84
चौदह	मतपत्र लेखा (प्ररूप 13)	85
पन्द्रह	मतगणना की संशोधित तारीख,समय,स्थान बारे सूचना	86
सोलह	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप 23)	87
सत्रह	पंच के निर्वाचन के लिए परिणाम पत्र (प्ररूप 14)	88

अठारह	*सरपंच के लिए मतों की गणना (प्ररूप 15)*	89
उन्नीस	*पंचायत समिति सदस्य के लिए मतों की गणना (प्ररूप 16)*	90
बीस	*जिला परिषद सदस्य के लिए मतों की गणना (प्ररूप 17)*	91-92
इक्कीस	*पंच /सरपंच/सदस्य पंचायत समिति/सदस्य जिला परिषद पद के लिए परिणामों के सारणीकरण और विवरणी तैयार करने की व्यवस्था*	93-95
बाईस	*प्ररूप 18*	96
तेईस	*प्ररूप 19*	97
चौबीस	*प्ररूप 20*	98
पच्चीस	*प्ररूप 21*	99
छब्बीस	*चुनाव परिणाम की घोषणा से सम्बन्धित निर्देश*	100-101
सताईस	*पीठासीन अधिकारी की डायरी*	102-105

अध्याय–1

निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासनिक तन्त्र

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ट के अन्तर्गत पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की समस्त शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्तर पर पंचायतों के निर्वाचन का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को सौंपा गया है। यदि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से मुख्यालय से अनुपस्थिति के कारण इन नियमों के अधीन, अपने किसी कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो तो वह अपनी ओर से ऐसे कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त को लिखित आदेश द्वारा नियुक्त कर सकता है। अतः आयोग के सर्वोपरि निर्देशन तथा नियन्त्रण के अधीन जिले में चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था की जिम्मेवारी उस पर है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 179 के अनुसार पंचायतों के निर्वाचन के संचालन के लिये नियुक्त या लगाये गये समस्त अधिकारी तथा कर्मचारीगण राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख, निर्देशन तथा नियत्रण के अधीन कार्य करेगें।

2. जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिये उपायुक्त–एंव–जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर रहेगें परन्तु पंचायत समिति के सदस्यों तथा ग्राम पंचायतों के सरपंचों व पंचों के निर्वाचन के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य सरकार के अधिकारी जो वर्ग–।। की पदवी से नीचे का न हो, को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं ।

3. नियम 17 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त तथा जब उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) रिटर्निंग अधिकारी पंचायत को उसके कर्तव्यों का पालन करने में सहायतार्थ एक या अधिक व्यक्ति सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) आयोग द्वारा दी गई उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने में समक्ष होगा।

4. किसी मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी यदि ड्यॅूटी पर न पहुंच पायें अथवा पहुंचने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो जाये व कार्य करने की स्थिति में न रहे तो आपात व्यवस्था के तौर पर पीठासीन अधिकारी उपलब्ध किसी उपयुक्त व्यक्ति को मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं परन्तु ऐसी स्थिति में भी किसी ऐसे व्यक्ति को मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये जो पंचायत निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया हो या उसके लिये अन्य प्रकार के कार्य कर रहा हो ।

अध्याय–2

पंचायत निर्वाचन से सम्बन्धित कुछ बुनियादी बातें

राज्य में पंचायतों के आम निर्वाचन के सम्बन्ध में कुछ बुनियादी बातें जानना जरूरी है। ये निम्नांकित है–

1. प्रत्येक मतदाता अपनी ग्राम पंचायत के वार्ड के पंच के साथ–साथ ग्राम पंचायत के सरपंच, अपने क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्य व जिला परिषद के सदस्य (इस प्रकार 4 प्रतिनिधियों) का सीधे चुनाव करेगा। पंच/सरपंच का निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होगा। अतः किसी भी उम्मीदवार को मान्यताप्राप्त राजैनतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान नहीं किये जायेगें। एक मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या सामान्यतः 500 के आस–पास होगी। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक या दो मतदान केन्द्र होगें। कहीं–कहीं 3 भी हो सकते हैं। प्रत्येक वार्ड का सामान्यतः पूरी तरह एक ही मतदान केन्द्र से सम्बन्ध रहेगा। सामान्यतः ऐसा नहीं होगा कि उसका एक भाग एक मतदान केन्द्र के अन्तर्गत आये और शेष भाग दूसरे के अन्तर्गत।

2. चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई गई मतदाता सूची (voter list) *के आधार पर होगा। मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है ।*

3. मतदाताओं तथा गणना की सुविधा के लिये मतपत्र सफेद पेपर पर निम्नानुसार अलग–अलग रंगों से छपवाए गये होगें।

(1) *पंच के लिये –काला*

(2) *सरपंच के लिये–नीला*

(3) *पंचायत समिति के सदस्य के लिये–पीला तथा*

(4) *जिला परिषद सदस्य के लिये –लाल/गुलाबी*

4. आयोग द्वारा सरपंच पद एवं सदस्य जिला परिषद के पदों का चुनाव EVM *के माध्यम से करवाने का निश्चय किया है । अतः इन्ह पदों का चुनाव* EVM *से होने की स्थिति में एक पोलिंग बूथ में* single choice *की दो* EVM *व* multi choice *की एक* CU *के साथ दो* BU *दी जाएगी, लेकिन यदि किसी कारणवश यदि एक ही पद का चुनाव होता है तो एसी स्थिति में एक पोलिंग बूथ पर मात्र एक ही* EVM *दी जाएगी तथा वाकि पदों के चुनाव हेतू मतपेटियां उपलब्ध करवाई जाएगी ।* EVM *का प्रयोग किस प्रकार किया जाना है, इस बारे आपके मार्गदर्शन के लिए आपको अलग से* Booklet (Hand Book for Presiding Officers) *दी जाएगी ।*

5. सभी पदों के मतदान मतपेटियों से होने की दशा में प्रत्येक मतदान दल को दो बड़ी मतपेटी के साथ दो छोटी अथवा चार छोटी मतपेटियां दी जायेगी, जिनका उपयोग एक के बाद एक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा। मतपेटियां वे ही रहेगी जो विधानसभा तथा लोकसभा निर्वाचन के काम में लाई जाती थी। पंच तथा सरपंच के मतपत्र के लिये एक मतपेटी में तथा पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद् के सदस्य के मतपत्र दूसरी पेटी में डाले जायेगें।

6. पंच और सरपंच के अभ्यर्थियों के लिए चुनाव प्रतीक अलग–अलग रहेंगें चुनाव प्रतीक वही होगें जो आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाते हैं। प्रतीक अधिसूचना में जिस कम में दर्शायें गये होंगे उसी कम में हर मतपत्र में मुद्रित रहेंगें प्रतीको के बायें ओर अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी वर्णकम (अर्थात् वर्णमाला) अक्षरों के कम के अनुसार लिखे जायेगें। अतः अभ्यर्थियों को वर्णकम में उनके नाम के अनुसार प्रतीक आबंटित होगें। (इन प्रतीकों की सूची ***परिशिष्ट–एक मे*** *है)*

7. प्रत्येक मतपत्र या उसके प्रतिपर्ण (काउन्टर फाईल) पर मतपत्र का नम्बर अंकित रहेगा। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे निशान लिये जायेगें।

8. मतपत्र के पीछे रबड़ की निम्नांकित सुभेदक सील लगाई जायेगी और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर रहेगें ।

(i) *पंच तथा सरपंच के मतपत्र के पीछे लगाई जाने वाली सुभेदक सीले–*

सरपंच के लिये *पंच के लिये*

*खण्ड*_____	*खण्ड* _____	*वार्ड क0*
ग्राम पंचायत _____	*मतदान केन्द्र क0* _____	
मतदान केन्द्र क0 _____	*ग्राम पंचायत* _____	

इस सील में "वार्ड कमांक" केवल "पंच" के निर्वाचन से सम्बन्धित मतपत्रों में भरा जायेगा। अन्य प्रविष्टियां (entry) *सील में पूर्व से ही अंकित रहेगी।*

(ii) *पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सदस्य के मतपत्र के पीछे लगाई जाने वाली सुभेदक सीले–*

खण्ड _____	*नि0 क्षेत्र क्र0* _____
मत केन्द्र क्र0 _____	*पंचायत समिति* _____
	जिला परिषद् _____

9. मतदान केन्द्रों के नम्बर खण्डवार रहेगें न कि जिलेवार। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों के नम्बर भी खण्डवार (अर्थात् पंचायत समितिवार) रहेगें केवल जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के नम्बर सिलसिलेवार जिले के लिये रहेगें।

10. मतदाता के बांयीं तर्जनी पर वही अमिट स्याही लगाई जायेगी जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिये काम में लाई जाती है। मतदाता को पहले पंच तथा सरपंच पद के अभ्यर्थियों से सम्बन्धित दो मतपत्र दिये जायेगें और उसके बाद पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के अभ्यर्थियों से सम्बन्धित दो मतपत्र दिये जायेगें। मतपत्र सम्बन्धित मतपेटी में ही डाले जायेगें।

*11. मतदान केन्द्र के अन्दर केन्द्र में दो मतदान कक्ष (वोटिंग कम्पार्टमैंन्ट)***(परिशिष्ट–दो)** *होगें जिनमें से एक का उपयोग पंच तथा सरपंच के चुनाव हेतू दिये गये मतपत्रों पर मत अंकित करने के लिये किया जायेगा तथा दूसरे (कक्ष) का उपयोग पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्य के चुनाव हेतू दिये गये मतपत्रों का मत अंकित करने के लिये किया जायेगा।*

12. मतांकन घूमते हुये तीरों के चिन्ह वाली वैसी ही रबर सील से किया जायेगा जैसी विधानसभा तथा लोकसभा निर्वाचन के लिये उपयोग में लाई जाती थी।

13. मतदान केन्द्र में उम्मीदवार या उसका चुनाव एजेंट उपस्थित रह सकता है। कोई निर्वाचन ऐजंट या गणना एजेंट एक से अधिक उम्मीदवारों का एजेंट हो सकता है । यदि अभ्यर्थियों या उनके मतदान/गणन अभिकर्ताओं के बैठने के लिये कुर्सियां या बैंच न हो तो दरी पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी।

14. प्रायः मतदान का समय आयोग द्वारा निर्धारित समय अनुसार ही होगा ।

15. मतदान सम्पन्न होने के पश्चात पंचो एवं सरपंचों के मामले में, मतदान केन्द्र पर ही मतों की गणना की जायेगी। पंचायत समिति एवं जिला परिषद की गणना जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्धारित

समय व स्थान पर की जायेगी। यह कार्य मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने केन्द्र के मतदान अधिकारियों के सहयोग से किया जायेगा। मतगणना पूरी होते ही विभिन्न अभ्यर्थियों को मिले मतों की संख्या का ऐलान किया जायेगा तथा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन/गणन अभिकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर गणना पर्ची की एक प्रतिलिपि उसे निःशुल्क दी जायेगी। निर्वाचन के परिणाम की औपचारिक घोषणा निम्नांकित रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर करेगें–

(i)	*पंच और सरपंच के मामले में*	:	*पीठासीन अधिकारी नियम* 70 (1) (A) *के अनुसार*
(ii)	*पंचायत समिति के सदस्य के अभ्यर्थियों के मामले में*	:	*नियम* **16** *के अधीन नियुक्त रिटर्निंग आफिसर* (*पंचायत*)
(iii)	*जिला परिषद के सदस्य के अभ्यर्थियों के मामले में*	:	*जिला मुख्यालय पर : रिटर्निंग आफिसर* (*पंचायत*)

अध्याय–3

पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें

1. पीठासीन अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति उस विश्वास का प्रतीक है जो आपकी क्षमता में प्रशासन ने व्यक्त किया है। मतदान केन्द्र में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना आपका परम कर्तव्य है इसके लिये आपको सभी आवश्यक अधिकार भी दिये गये हैं। अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों को ठीक से समझने के लिये आप इस मार्गदर्शिका का सावधानी से अध्ययन करें।

2. इस मार्गदर्शिका में आपके विभिन्न कर्तव्यों का विस्तृत विवरण तथा उन बातों का उल्लेख है जो आपके लिये विशेष ध्यान देने योग्य है। ये बातें निम्नानुसार है–

(1) *नियुक्ति आदेश प्राप्त होते ही जिस मतदान केन्द्र के लिये आपको नियुक्ति दी गई है, उसकी स्थिति तथा वहां तक पहुंचने के मार्ग की जानकारी प्राप्त करें। नियुक्ति आदेश से आपको अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों की भी जानकारी मिल जायेगी। प्रशिक्षण/रिहर्सल के दौरान उनसे सम्पर्क साधें और परिचय प्राप्त करें।*

(2) *आयोजित प्रशिक्षण कक्षाओं में जिज्ञासा और जागरूकता के साथ भाग लें तथा हर शंका और समस्या का समाधान करा लें।*

(3) *प्राप्त मतदान सामग्री तथा मतगणना सामग्री का मिलाप **परिशिष्ट–तीन** की सूची से कर लें ताकि कोई भी चीज छूटने न पाये।*

(4) *मतदान केन्द्र में पहुंचने के पश्चात आपको सब ठीक–ठाक होने के बारे में पुनः स्थिति और सामग्री का जायजा लेना चाहिए। यदि किसी प्रकार की सामग्री या सहायता की आवश्यकता हो तो उसे प्राप्त करने के लिये तुरन्त आवश्यक संदेश भिजवायें।*

(5) *अपने मतदान केन्द्र पर की जाने वाली व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्ट मानसिक रूपरेखा बना लें–विशेषकर इस दृष्टि से कि मतदान केन्द्र के अन्दर या बाहर भीड़ जमा न हो, मतदाताओं की कतारें ठीक से बनें तथा मतदान की कार्यवाही, गोपनीयता का निर्वाह करते हुये गतिपूर्वक चल सकें। मतदान केन्द्र के अन्दर की जमावट के बारे में अपने सहयोगियों से भी परमार्श करें तथा अपने मतदान केन्द्र के कमरे के आकार, दरवाजों और खिड़कियों की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुये **परिशिष्ट–दो** के अनुसार अन्दर की व्यवस्था जमाएं।*

(6) *मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व आपको लगभग 50 मतपत्रों के पीछे सुभेदक सील (पंच/सरपंच/खण्ड/मतदान केन्द्र/ग्राम पंचायत की पहचान की सील) लगाकर तथा उनमें वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरकर जैसी भी स्थिति हो, उन्हें तैयार कर लेना चाहिये तथा आवश्यकतानुसार उन पर अपने हस्ताक्षर करते जाना चाहिये। आपको हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे करने हैं, (काउंटर फाईल) के पीछे नहीं। ऐसी तैयारी कर लेने से आप समय पर मतदान प्रारम्भ करा सकेंगें और मतदान कार्य गतिपूर्वक चल सकेगा। ध्यान रखें कि सभी मतदान मतपेटियों द्वारा होने की दशा में आपको दी गई तीन सुभेदक सीलो में से एक पंच, दूसरी सरपंच के मतपत्रों पर लगाने के लिये है तथा तीसरी सील पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों के मतपत्रों पर उपयोग के लिये हैं ।*

(7) *मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए आपको मतदाता सूची की चार प्रतियां दी जायेगी तथा मतदान प्रकिया के सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से संचालन के लिए विभिन्न मतदान*

अधिकारियों को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाना चाहिये । मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन की प्रकिया का अवलोकन अध्याय –8 से कर लिया जाए ।

(8) *चुनाव की गोपनीयता बनाये रखने की दृष्टि से मतदाताओं को मतपत्र सिलसिलेवार नहीं दिये जाने चाहिये। मतपत्रों को गड्डी में से आगे पीछे या बीच में कहीं से भी मतपत्र जारी किये जाने चाहिये परन्तु मतदान के अंतिम चरण में यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि मतदाताओं को दिये गये मतपत्रों के कमांक लगातार में हो ताकि मतपत्रों का लेखा तैयार करने में कोई कठिनाई न हो।*

(9) *आपको मतदान के शांतिपूर्ण तथा सुचारू संचालन के लिये बराबर सजग रहना होगा। इस हेतु आपको हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत काफी शाक्तियां प्राप्त हैं। इस अधिनियम के महत्वूपर्ण प्रावधानों का उल्लेख* ***परिशिष्ट–चार*** *पर है। अपने कर्तव्यों के निवर्हन में आपसे व्यवहार कुशलता के साथ–2 दृढ़ता तथा निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है।*

(10) *मतदान का समय समाप्त होने के ठीक पूर्व घोषणा करें और कतार में खड़े व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति को कतार में शामिल नहीं होने दें। कतार में खड़े समस्त मतदाताओं को कतार के अन्तिम छोर से आरम्भ करते हुये पर्चियां बांट दें। केवल ऐसी पर्चियों वाले मतदाताओं को ही मतदान करने का अवसर दें।*

(11) *मतदान के पश्चात आपको विभिन्न प्रकार के मतपत्रों के लिये मतपत्र लेखा तैयार करना होगा। यह कार्य सावधानी से करें।*

(12) *विभिन्न लिफाफों में चुनाव सम्बन्धी कागजात सील करते समय उनमें अंकित अनुदेशों का सावधानी पूर्वक पालन करें ताकि ऐसी कोई भूल न हो जाये जिसे बाद में सुधारने में परेशानी हो।*

(13) *पीठासीन अधिकारी की डायरी में ऐसी प्रत्येक घटना का अवश्य उल्लेख करें जो महत्वूपर्ण हो। डायरी तथ्यात्मक होनी चाहिये तथा उनमें घटनाओं को विश्वसनीय और प्रमाणिक जानकारी मिल सके।*

(14) *पंचों व सरपंचों के मामले में मतगणना मतदान समाप्त होने के बाद मतदान केन्द्र पर ही मतगणना की जायेगी तथा पंचायत समिति व जिला परिषद के मामले में मतगणना जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा निर्धारित समय व स्थान अनुसार होगी। अपवाद वहीं होगा, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने अन्यत्र मतगणना कराने का निर्णय लिया हो या आपको स्वंय ऐसा लगे कि मतदान केन्द्र के आस–पास का वातावरण इतना तनावपूर्ण है कि वहां मतगणना कराये जाने की स्थिति में उपलब्ध सुरक्षा बल हिंसा पर काबू नहीं पा सकेगा। मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व आपको गणना अभिकर्ताओं से अधिकार पत्र प्राप्त कर उनकी पहचान के बारे में संतुष्टि कर लेनी चाहिये। मतगणना के पूर्व उम्मीदवारों तथा उनके निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं को मतपेटियां दिखा दें और उसके बाद ही सील तोड़कर मतगणना प्रारम्भ करें। मतगणना कक्ष में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति दें। अनुशासन एवं शांति बनाये रखने के लिये केन्द्र पर नियोजित बल (पुलिस/होमगार्ड) को कक्ष के द्वार पर तैनात करें।*

(15) *मतगणना के लिये या तो सभी टेबलें मिलाकर गणना की व्यवस्था करें या फिर जमीन पर चादरें बिछाकर मतगणना करायें। उम्मीदवारों तथा उनके गणना एजेंटों को इतने फासले पर बैठायें जहां से वे गणना कार्य को तो देख सके परन्तु आपके कार्य में कोई रूकावट पैदा न*

करें। खारिज किये गये मतपत्रों को भी देखने का उन्हें अवसर दिया जाना चाहिये परन्तु किसी भी हालत में किसी मतपत्र को हाथ नहीं लगाने देना चाहिये।

(16) *यदि मतगणना कार्य सूर्यास्त से पहले पूरा होने की संभावना न हो तो पैट्रोमैक्स/गैसबत्ती या लालटेन जलाने के लिये पहले से ही पूरी तैयारी करके रखें।*

(17) *मतदान केन्द्र से अपने दल के साथ लौटने का अकेले कार्यकम न बनाये। सुरक्षा बल सहित उसी वाहन से लौटे जो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के निदेशानुसार की गई परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत आपको ले जाने और लाने के लिये अधिकृत किया गया है।*

(18) *वितरण केन्द्र में लौटने पर मतपेटियों, मतगणना के परिणामों से सम्बन्धित लिफाफो तथा अन्य सामग्री को वहां तैनात प्राधिकृत अधिकारी को सौपे तथा उस से रसीद प्राप्त करने के बाद ही घर लौटें।*

अध्याय–4

मतदान दल का प्रशिक्षण

1. पंचायत चुनाव में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर आपके साथ चार मतदान अधिकारी नियुक्त किये जायेगें। मतदान दल की नियुक्ति करते समय आपके दल के मतदान अधिकारी कमांक–1 को उस स्थिति में जब आप किसी बहुत ही आवश्यक कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहे, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निपटान करने के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा। आपको चाहिये कि दल के सदस्यों के बीच टीम भावना पैदा करे, इससे दल की कार्य क्षमता बढेगी और आपको अपने दायित्वों के निर्वहन में आसानी होगी।

2. आयोजित प्रशिक्षण कक्षाओं में अवश्य उपस्थित हों तथा अपनाई जाने वाली प्रकिया तथा कानूनी प्रावधानों को ठीक से समझ लें। मतपेटियों व ई0वी0एम0 को उपयोग में लाने सम्बन्धी कार्य स्वयं करके देख लें और केवल उनका प्रदर्शन देखकर ही सतुंष्ट न हो जायें। यदि प्रशिक्षण के दौरान यह कार्य आपने ठीक से करना नहीं सीखा तो मतदान केन्द्र में आप कठिनाई में पड़ सकते हैं। वहां आपको बताने वाला कोई नहीं होगा। इस कार्य को विश्वासपूर्वक कार्य करने के लिये बार–2 अभ्यास कीजिये। मतपेटियों व ई0वी0एम0 में उपयोग में लाई जाने वाली पेपर सील को लगाने की प्रकिया को ठीक से समझ लें।

3. मतपत्र लेखा ठीक से तैयार करने का अभ्यास बहुत जरूरी है। भले ही आप पूर्व में भी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हो परन्तु तब भी आपको प्रशिक्षण को गंभीरता से लेना चाहिये, क्योंकि पंचायत सम्बन्धी निर्वाचन की विधि और प्रकिया में अनेक ऐसी बाते हैं जो लोक सभा/विधान सभा के चुनावों से भिन्न है। मतगणना सम्बन्धी निर्देशों का आपको विशेष तौर पर गंभीरता से अध्ययन करना चाहिये।

4. अपनी नियुक्ति के बाद आप मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय करने के लिये प्रशिक्षण सत्रों के दौरान उनसे मिलें। मतदान केन्द्र पर पंहुचने के बाद प्रत्येक सदस्य को उसके दायित्वों को स्पष्टतः समझाएं और कार्यक्षेत्र तथा प्रकिया के बारे में उनकी शंकाओ का निवारण करें।

अध्याय–5

मतपत्र तैयार करना

1. आपको चुनाव ड्यूटी के लिये मतदान दल के अन्य सदस्यों सहित, मतदान के लिये निर्धारित तारीख के 1 या 2 दिन पहले उस स्थान पर बुलाया जायेगा जहां से आपको मतपत्रों तथा मतपेटियों सहित अन्य सामग्री दी जायेगी।

2. वितरण केन्द्र में पहुंचने पर आपको सर्वप्रथम आपके मतदान केन्द्र से सम्बन्धित मतपत्रों की गड्डियों तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचियां ***परिशिष्ट–पांच से आठ*** *(प्ररूप 6,7,8 तथा 9) के अनुसार दी जायेगी । पंचायतों के आम चुनावों में ग्राम पंचायत के पंच तथा सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य के पदों के लिये मतपेटियों से एक साथ चुनाव होने की स्थिति में, आपको चार प्रकार के मतपत्र दिये जायेगें। सफेद पेपर पर इनके रंग निम्नानुसार अलग–2 किस्म के रहेगें–*

(1) *पंच के लिये काला*

(2) *सरपंच के लिये नीला*

(3) *पंचायत समिति के सदस्य के लिये पीला*

(4) *जिला परिषद सदस्य के लिये –लाल*

3. मतपत्र 100–100 की गड्डियों में दिये जायेगें। एक या दो गड्डियां 20 मतपत्रों की भी हो सकती है। आपके मतदान केन्द्र से सम्बन्धित मतदाताओं की कुल संख्या को अगले दंशाश तक पूर्ण करने पर जो संख्या आयेगी, उतने मतपत्र अवश्य दिये जायेगें। उदाहरण के लिये यदि आपके मतदान केन्द्र पर 513 मतदाताओं को मतदान करना है तो आपको प्रत्येक रंग के 520 मतपत्र दिये जायेगें अर्थात् 100–100 मतपत्रों वाली पांच गड्डिया तथा 20 मतपत्रों वाली एक गड्डी।

4. मतपत्रों पर सिलसिलेवार अनुक्रमांक अंकित किये गये हैं। आप मतपत्र प्राप्त करते समय सावधानीपूर्वक यह देख लें कि मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण पर अनुक्रमांक एक से हैं तथा आपको प्राप्त मतपत्रों की संख्या आपके केन्द्र में मतदाताओं की संख्या से कम तो नहीं है। प्रत्येक स्तर पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जो सूची आपको दी गई है उनमें प्रत्येक किस्म के निर्वाचन क्षेत्र से (चाहे वह ग्राम पंचायत का वार्ड हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र हो या जिला परिषद् सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र हो) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम और उसके चुनाव प्रतीक अंकित हैं। प्रत्येक सूची में अभ्यर्थियों के नाम वर्ण कम के अनुसार उल्लिखित रहेंगें उदाहरण के लिये–

(i) *यदि आपके मतदान केन्द्र से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के वार्ड कमांक–2 से पंच पद के लिये तीन तथा वार्ड कमांक–5 से दो अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हों तो आपको यह देखना होगा कि आपको पंचो के निर्वाचन के लिये मतपत्रों की जो गड्डियां मिली हैं उनमें वार्ड कमांक–2 की आवश्यकता के लिये तीन चुनाव चिह्नों वाले मतपत्र तथा वार्ड कमांक–5 की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 2 चुनाव चिह्न वाले मतपत्र प्राप्त हुये हैं।*

(ii) *यदि आपका मतदान केन्द्र पंचायत समिति के उस चुनाव क्षेत्र में आता हो, जिसमें बारह अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं (अर्थात् आपसे सम्बन्धित पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जो सूची आपको दी गई है, उनमें यदि बारह अभ्यर्थियों के नाम अंकित हैं) तो आपको यह देखना होगा कि आपको पीले मतपत्रों की जो गड्डियां दी गई है उनमें बारह निर्वाचन प्रतीक छपें हैं। यदि ऐसा न हो तो फोरन सामग्री वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क साधें और अपनी आवश्यकता के अनुसार मतपत्रों की गड्डियां प्राप्त करें।*

5. *उदाहरण के लिये ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिये चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची निम्नांकित स्वरूप की होगी–*

प्ररूप–7

(*देखिये नियम* 32)

चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की सूची

ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन

क्र0स0	*उम्मीदवार का नाम*	*उम्मीदवार का पता*	*आबंटित चुनाव चिह्न*
1	**2**	**3**	**4**
1.	*क*	*मकान क्र0 14,साहा*	*साईकिल*
2.	*ख*	*मकान क्र0 100 गांव साहा*	*गिलास*
3.	*ग*	*किराना दुकान साहा*	*फलों सहित नारियल का पेड़*

स्थानः

दिनांकः *निर्वाचन अधिकारी* (*पंचायत*)

इस ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिये मतपत्र नीचे दर्शाये अनुसार होगा :–

पंचायत निर्वाचन–सरपंच

ग्राम पंचायत _____ खण्ड _____ जिला_____

मतदाता का अनुकमांक _____

प्रतिपर्ण

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पंचायत निर्वाचन–सरपंच

अमर सिंह

राम चन्द्र

महेन्द्र सिंह

मतपत्र

प्रत्येक पद के उम्मीदवार के लिये आपके मतदान केन्द्र से सम्बन्धित वार्ड में मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतपत्र की गड्डियां प्राप्त होंगी। उपर्युक्त उदाहरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायत (सरपंच के निर्वाचन क्षेत्र) के लिये मतपत्रों की जो गड्डियां आपको प्राप्त होगी उनमें प्रत्येक मतपत्र में उम्मीदवार के नाम व निर्वाचन प्रतीक उपर्युक्त कम में छपे रहेगें। उक्त उदाहरण में सरपंच के निर्वाचन के लिये प्राप्त गड्डियां के प्रत्येक मतपत्र में "साईकिल" प्रतीक के बांयी ओर उम्मीदवार "क" का नाम "गिलास" के बांयी ओर उम्मीदवार "ख" का नाम तथा "फलों सहित नारियल का पेड" प्रतीक के बांयीं ओर उम्मीदवार "ग" का नाम होगा ।

अध्याय–6

मतदान एवं मतगणना सामग्री

1. *पंच व सरपंच पद के चुनाव में मतदान केन्द्र पर ही, मतदान कार्य पूरा हो जाने के बाद, मतगणना प्रारम्भ की जानी है। इसका अपवाद केवल कुछ ऐसे ही मतदान केन्द्र होगें जहां हिसां या उपद्रव की आशंका से मतगणना कार्य मतदान केन्द्र पर न कराने का निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा पहले ही लिया जा चुका हो। अतः आपको मतदान सामग्री के साथ–साथ मतगणना में लगने वाली सामग्री भी दी जायेगी। सामग्री लेते समय उसकी सावधानी से जांच पड़ताल कर लें और सुनिश्चित कर लें कि वह पूरी है और प्रत्येक आईटम सही हालत में है। यदि कोई वस्तु कम हो तो उसे प्राप्त करें तथा यदि कोई आईटम दोषपूर्ण हो अर्थात् अच्छी हालत में न हो तो उसे बदलवा लें। निम्नलिखित वस्तुएं बहुत महत्वूपर्ण है–*

i) ***मतदाता सूची***– *आपके मतदान केन्द्र के लिये वार्डवार मतदाता सूचियों की चार प्रतियां, जो कि हस्ताक्षारित एवं प्रमाणित होगी, दी जायेगी। इनका मिलान सावधानीपूर्वक कर लें और यह देख लें कि सभी प्रतियों में सभी प्रविष्टियां एक जैसी है तथा ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि का जो भाग आपको दिया है वह उन्हीं वार्डों से सम्बन्धित है जिनके लिये आपका मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है और यह कि प्रत्येक पूरक सूचि सभी दृष्टि से पूर्ण है। मतदाता सूचि की चार प्रतियों में से एक प्रति मतदान अधिकारी कमांक–1 के पास रहेगी, एक प्रति मतदान अधिकारी कमांक–2 के पास, एक प्रति मतदान अधिकारी–3 के पास तथा एक प्रति आपके पास रहेगी।*

ii) ***मतपेटियां***– *यह जांच कर लें कि प्रत्येक मतपेटी चालू हालत में है तथा आसानी से खुल जाती है और बन्द हो जाती है। पेटी खोलने और बन्द करने का ठीक से पुनः अभ्यास कर लें। मतपेटी में पेपर सील लगाने का अभ्यास भी एक सादे कागज के टुकड़े से पुनः कर लें। चूंकि सामान्यतः एक मतदान केन्द्र में लगभग 500 मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना है । सभी पदों के चुनाव मतपेटियों से होने के दशा में आपको या तो चार छोटी मतपेटियां या दो बड़ी मतपेटी के साथ दो छोटी मतपेटी दी जायेगी। मतपेटियां खोलने, बन्द करने, सील लगाने के सम्बन्ध में परिशिष्ट नौ पर दिये गये निर्देशों का भी सावधानी से अध्ययन कर लें।*

iii) ***मतपत्र***– *आपको दिये गये मतपत्रों के बारे में यह सुनिश्चित कर लें कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिये चार प्रकार के मतपत्रों की गड्डियां आपको मिल गई हैं और उनमें मतपत्रों की संख्या मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या से कम नहीं है। यह भी देख लें कि उनके अनुकमांक आपको दिये गये विवरणों से मेल खाते हैं। प्रत्येक प्रकार के मतपत्र की गड्डी के हर मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण* (counterfoil) *पर मुद्रित अनुक्रमांकों का मिलान करके देख लें कि वह एक ही है। इसी प्रकार यह भी देख लें कि प्रत्येक मतपत्र में नाम व चुनाव प्रतीक ठीक से मुद्रित है। यदि अनुक्रमांक ठीक से मेल नहीं खाते हैं या किसी मतपत्र में प्रतीक ठीक से मुद्रित नहीं है तो ऐसे मतपत्र के उपर बड़ी सी तिरछी लाईन* (X) *खींच कर रद्द कर दें। ऐसा मतपत्र मतदाता को नहीं दिया जाना है।*

iv) ***सुभेदक सीले***– *प्रत्येक मतपत्र के पीछे सुभेदक सील लगानी होगी एवं उसमें अंकित रिक्तियों को भरना होगा।*

v) ***स्टाम्प पैड तथा अमिट स्याही की शीशी***– *यह देख लें कि अमिट स्याही की शीशी में स्याही प्र्याप्त मात्रा में है तथा स्टाम्प पैड सुखा हुआ नहीं है।*

vi) ***उम्मीदवारों की सूचियां***– *हर पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की 3 सूचियां आपको दी जायेगी। इन्हीं के आधार पर प्रत्येक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के लिये दिये गये मतपत्रों पर उनमें चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नाम लिखे जायेगें। इन सूचियों में अभ्यर्थियों के नाम वर्णकम के अनुसार लिखे होगें तथा उनके चुनाव प्रतीक भी दर्शाये रहेगें। मतदान केन्द्र में पहुंचने पर इनमें से एक प्रति आपको मतदान केन्द्र के बाहर सूचना फलक पर लगानी होगी। दूसरी प्रति केन्द्र के अन्दर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगानी होगी।*

vii) ***पेपर सीलें***– *जिन मतदान केन्द्रों में मतपेटी बन्द करते समय सादा पेपर सील लगाई जानी है। अतः यह देख लें कि आपको दी गई पेपर सीलें पर्याप्त संख्या में है।*

viii) ***घूमते हुये तीरों वाली रबड़ सीलें***– *मतदाताओ को मत अंकित करने के लिये आपको घूमते हुये तीरों के चिन्ह वाली रबड़ सीले दी जायेगी। सादे कागज पर इनका ठप्पा लगाकर यह देख लें कि ये सभी सीलें पूरा और साफ निशान बनाती है।*

ix) ***प्रारूप, लिफाफे, मतगणना सामग्री एंव शीटस***– *मतदान सम्पन्न कराने के लिये आपको विभिन्न प्रकार के प्ररूप, लिफाफे, मतगणना सामग्री एंव शीटस दी जायेगीं । इनका उल्लेख परिशिष्ट तीन में किया गया है।*

अध्याय–7

मतदान केन्द्र की व्यवस्था

1. आपको तथा आपके मतदान दल के सदस्यों को मतदान केन्द्र पर पहुंचाने और वापिस लाने की व्यवस्था, सामग्री वितरण केन्द्र पर की जायेगी। वहां तक आपको स्वयं ही उस तारीख को पहूंचना होगा जो आपको भेजे गये नियुक्ति आदेश में अंकित होगा। सामान्यतः आपको वितरण केन्द्र में मतदान की तारीख के 1 या 2 दिन पूर्व बुलाया जायेगा ताकि आप मतदान की तारीख के एक दिन पहले 4.00 बजे तक अपने मतदान केन्द्र पर पंहुच सके।

2. यदि आपके मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी मतदान की तारीख के पहले दिन की शाम तक मतदान केन्द्र में उपस्थित न हो तो आपको उसके स्थान पर किसी अन्य मतदान अधिकारी की नियुक्ति करने की कार्यवाही करनी होगी। ऐसी नियुक्ति की सूचना आप यथाशीघ्र रिटर्निंग अधिकारी को दें। तथापि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त न करें जो किसी अभ्यर्थी का सकिय समर्थक हो या किसी राजनैतिक दल का कार्यकर्ता हो।

3. यदि आप गंभीर अस्वस्थता या अन्य अपरिहार्य कारण से अपने कर्तव्य निवर्हन करने की स्थिति में न हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी ;पंचायतद्ध द्वारा पहले से प्राधिकृत मतदान अधिकारी आपके स्थान पर कार्य करेगा।

4. आप मतदान केन्द्र पर अपने दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी काम सौंप सकते हैं।

5. मतदान केन्द्र में पंहुच कर सबसे पहले प्रस्तावित मतदान केन्द्र के भवन का निरीक्षण करें तथा सुनिश्चित कर लें कि केन्द्र पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए–

(i) *पुरूषों और महिलाओं के लिये प्रतीक्षा करने के लिये पर्याप्त स्थान हो।*

(ii) *मतदाताओं के आने जाने के रास्ते अलग–अलग हों। यदि कक्ष में केवल एक ही प्रवेश द्वार हो तो रस्सी बांध कर अन्दर जाने और बाहर निकलने का अलग–अलग रास्ता बनाने की व्यवस्था करें।*

(iii) *मतदान केंद्र के बाहर प्रर्याप्त स्थान हो ताकि महिला और पुरूष मतदाताओं को अलग–2 पंक्तियों में खडे होने में कोई असुविधा न हो ।*

(iv) *मतदान केंद्र की व्यवस्था भवन के धरातल में ही हो ।*

(v) *शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए मतदान केंद्र में रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे* wheel chair *से मतदान केंद्र के अन्दर आसानी से प्रवेश कर सकें ।*

(vi) *मतदान केंद्र में पीने के पानी एवं शौचालय का उचित प्रबन्ध हो ।*

(vii) *आकस्मिक मौसम की स्थिति में मतदाताओं की सुविधा के लिए आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था हो ।*

(viii) *मतदान अभिकर्ताओ को इस प्रकार बैठाने की व्यवस्था करें कि जब कोई मतदाता आकर मतदान अधिकारी कमांक–1 के सामने खड़ा हो तो अभिकर्तागण उसका चेहरा देख सके और जरूरत पड़ने पर उसकी पहचान को चुनौती दे सके। ऐसी जगह मतदान अधिकारी कमांक–1 के पीछे ही हो सकती है।*

(ix) *मतदान कक्ष में (जहां आकर मतदाता मतपत्र पर चिन्ह लगायेगा व ई0वी0एम0 का बटन दबायेगा) इस तरह की आड़ हो कि कोई यह न जान सके कि मतदाता ने किस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया है ।*

(x) *मतदान कक्ष के भीतरी भाग में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिये ।*

(xi) *केन्द्र के अन्दर मतदान कक्ष में ऐसे स्थान बनाये जाने चाहिये और मतपेटियों एवं ई.वी.एम. को ऐसी जगह रखा जाना चाहिये कि मतदाताओं को ज्यादा आड़ा–तिरछा न चलना पड़े।*

(xii) *मतदान केन्द्र के अन्दर पहले से लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को जिसका सम्बन्ध किसी मतदाता के चुनाव प्रतीक से जोड़ा जा सके, हटा लें।*

6. ***प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर और भीतर निम्नलिखित सूचनाएं प्रमुखतः प्रदर्शित की जायेगी***

i) *ऐसी सूचना जिसमें वह मतदान क्षेत्र दिखाया गया हो जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार हो, और चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के नामों की हिन्दी देवनागरी वर्णक्रमानुसार तैयार की गई सूचि जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने उसे आबंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया गया हो ।*

ii) *हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 180 के अनुसार मतदान केन्द्र के ईद–र्गिद 100 मीटर की सीमा के भीतर मतदान की तारीख को किसी भी प्रकार का न तो प्रचार किया जाना चाहिये और न किसी मतदाता से मतों की याचना की जानी चाहिये। अतः मतदान केन्द्र के चारो ओर 100 मीटर की दूरी दर्शाने वाले मुद्रित पर्चे भी यथास्थान लगा दें। ये पर्चे आपको अलग से प्रदान किये जायेगें।*

———————

अध्याय–8

मतदाताओं की पहचान

1. मतदान के समय पर मतदाताओं का प्रतिरूपण (impersonation) *रोकने के लिए तथा उनकी पहचान को सुकर* (facilitating) *बनाने की दृष्टि से, राज्य निर्वाचन आयोग राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचि के मतदाताओं को जारी पहचान–पत्रों को राज्य की पंचायत के चुनावों में अपनाया जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों, हिदायतों और किए गए आदेशों के उपबन्ध ऐसे उपांतरणों* (modifications) *के अधीन जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाएं, मतदाताओं को पंचायत चुनावों के मतदान के समय प्रस्तुत करने के लिए लागू होंगे ।*

2. जिन मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र उपलब्ध नहीं हैं लेकिन उनका नाम ग्राम–पंचायत की मतदाता सूचित में अंकित हैं, ऐसे मतदाताओं की पहचान निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज के होने पर की जाएगी,–

i) *राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान–पर्ची,*
ii) *पासपोर्ट,*
iii) *ड्राइविंग लाइसैंस,*
iv) *पैन कार्ड* (PAN),
v) *आधार कार्ड*
vi) *केन्द्रीय व राज्य सरकार तथा सरकार के उपकमों और स्थानीय निकायों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए सेवा पहचान–पत्र,*
vii) *अनुसूचित बैंक या डाकघर द्वारा जारी की गई खाता पास बुक जिसमें फोटो लगी हो,*
viii) *स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र जिसमें फोटो लगी हो,*
ix) *सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र जिसमें फोटो लगी हो,*
x) *शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र जिसमें फोटो लगी हो,*
xi) *हथियार लाइसैंस जिसमें फोटो लगी हो,*
xii) *राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी जॉब–कार्ड जिसमें फोटो लगी हो,*
xiii) *प्रॉपर्टी दस्तावेज जैसाकि पट्टा, पंजीकृत इकरार–नामा जिसमें फोटो लगी हो, पैंशन से सम्बन्धित दस्तावेज जैसे कि–सेवा–निवृत पैंशन पुस्तिका/पैंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सेवा–निवृत्त की विधवा/आश्रित को जारी प्रमाण–पत्र व वृद्वावस्था पैंशन आदेश जिनमें फोटो लगी हो,*
xiv) *स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मॉर्ट–कार्ड जिसमें फोटो लगी हो,*
xv) *राशन कार्ड और अन्य कोई सामानान्तर दस्तावेज जिसमें फोटो लगी हो और जिससे पीठासीन अधिकारी अपनी संतुष्टि सुगमता से कर ले, और*

नोट– *पुराने मतदाताओं के मामले में जिनके पास उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, को भी मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह अपनी पहचान साबित करने में पीठासीन अधिकारी व उसके द्वारा प्राधिकारी पोलिंग अधिकारी को संतुष्ट करने में सफल हो जाएं ।*

अध्याय–9

मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन

1. मतदान प्रकिया के सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से संचालन के लिए विभिन्न मतदान अधिकारियों को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाना चाहिये–

i) ***मतदान अधिकारी कमांक–1*** *यह अधिकारी मतदाता के प्रवेश करते ही उससे उसका नाम तथा वार्ड की जानकारी प्राप्त करेगा एंव मतदाता सूची की प्रति में उसका नाम ढूँढेगा । नाम खोज लेने के पश्चात वह उसे जोर से पढेगा तथा मतदान अभिकर्ताओं से आपत्ति नहीं होने पर मतदाता सूची में उसके नाम को रेखांकित करेगा तथा यदि मतदाता महिला हो तो उसके नाम के सामने सही (√) का चिन्ह भी लगायेगा। यही अधिकारी मतदाता के बांयें हाथ की तर्जनी (अगूंठे के बाद की उंगली) में अमिट स्याही का निशान लगायेगा, बांयें हाथ में तर्जनी ना होने कि स्थिति में उसके बाद की उंगली पर और बांयें हाथ में कोई उंगली ना होने पर दांयें हाथ की तर्जनी पर स्याही लगायेगा। तदुपरांत मतदाता मतदान अधिकारी–।। के सम्मुख जायेगा।*

ii) ***मतदान अधिकारी कमांक–2*** *चुनाव मतपेटी से होने की दशा में यह अधिकारी मतदाता को दो मतपत्र अर्थात एक पंच पद हेतू जो कि सफेद पेपर पर काले रंग का रहेगा तथा दूसरा सरपंच पद हेतू जो कि सफेद पेपर पर नीले रंग का रहेगा, देगा । इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी है कि मतदाता को पंच हेतू उसी वार्ड में सम्बन्धित मतपत्र दिया जाये जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है । कार्य निपटान में सुविधा के लिए इस अधिकारी को चाहिये कि वह कागज के चकोर टुकड़ों पर वार्डो के कमांक लिखकर उन्हे कमवार अपनी मेज पर चिपका लें और सम्बन्धित वार्ड के मतपत्रों की गड्डीयों को इन्ही के उपर रखें। ऐंसा करने से सही वार्ड का मतपत्र जारी करने में चूक या त्रुटि की सम्भवाना नहीं रहेगी। यह अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का अनुकमांक पंच पद के लिए उसे दिये गये मतपत्र के प्रतिपर्ण* (counterfoil) *में दर्ज करेगा ओर प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा। यही अधिकारी मतदाता को सरंपच पद के लिए दिये गये मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची में उसका अनुकमांक पुनः दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा। मतपत्र देते समय यह अधिकारी मतदाता के नाम के सामने सही का निशान लगाता जायेगा। यदि कोई मतदाता प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने से या अगूंठे का निशान लगाने से मना करे तो उसे मतपत्र नहीं दिया जायेगा। प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर कर दिये जाने या अंगूठे का निशान लगा दिये जाने के बाद यह अधिकारी मतदाता को मोड़ कर मतपत्र देगा ओर साथ में अंकित करने के लिए घूमते हुये तीरों वाली रबड़ सील स्याही लगाकर देगा तथा उसे प्रथम मतदान कक्ष में जाकर मत अंकित करने तथा उसके बाद बीच में रखी मतपेटी में मतपत्र डालने के बारे में समझायेगा। मतपत्र को पहले खड़ा और बाद में आड़ा करके मोड़ा जायेगा, लेकिन यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 9 से अधिक हो और इस कारण मतपत्र दो खानों में छपा हो तो उसे पहले अर्ध भाग के बीच में खड़ा मोड़ा जायेगा ओर तत्पश्चात दोनों भागो को बांटने वाली छायांकित (खड़ी) रेखा के उपर मोड़ा जायेगा। उपरोक्तानुसार मोड़ने के बाद मतपत्र पुनः खोलकर मतदाता को दिया जायेगा।*

iii) ***मतदान अधिकारी कमांक–3*** *चुनाव मतपेटी से होने की दशा में, इस अधिकारी का कार्य मतदान अधिकारी कमांक–2 के समान ही है । अन्तर केवल इतना है कि यह अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य के लिए (सफेद पेपर पर पीला रंग) मतपत्र तथा जिला परिषद के सदस्य के लिए (सफेद पेपर पर लाल/गुलाबी रंग) मतपत्र देगा तथा उनमें प्रत्येक के*

प्रतिपर्ण (counterfoil) *में मतदाता सूची में अंकित मतदाता का अनुक्रमांक दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा। यह अधिकारी मतदाता को यह भी समझायेगा कि अब वह दूसरे मतदान कक्ष में जाकर अपना मत अंकित करे और तत्पश्चात बीच में रखी मतपेटी में मतपत्र डाले।*

iv) ***मतदान अधिकारी क्रमांक 4*** *इस अधिकारी का कर्त्वय अन्य अधिकारियों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान है। इसे बीच रखी मतपेटी पर लगातार निगाह रखनी है और यह देखना है कि मतदाता मत अंकित के पश्चात मतपत्र मतपेटी में ही डाले । यह अधिकारी बीच बीच में पुशर के द्वारा मतपेटी में डाले गये मतपत्रों को अन्दर धकेलता भी रहेगा ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। साथ ही यह अधिकारी मतदाताओं को मतदान कक्षों की ओर भेजने, मतपेटी मे मतपत्र डलवाने तथा मतदान के पश्चात शीघ्रता से बाहर निकलने में उनकी सहायता करेगा।*

अध्याय–10

मतदान केन्द्र में प्रवेश पर नियन्त्रण तथा उसके आस–पास की व्यवस्था

1. प्रवेश को नियन्त्रित करना

i) *आपको चाहिये कि मतदान केन्द्र के अन्दर भीड़ न होने दें। इसके लिये आप केन्द्र के बाहर लगी कतारों में से बारी–बारी से महिला तथा पुरूष मतदाताओं को सीमित संख्या में मतदान केन्द्र के अन्दर आने की अनुमति दें। निम्नांकित प्रकार के व्यक्तियों को छोड़कर आप अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के अन्दर आने से रोक सकते हैं तथा वहां से हटा सकते हैं–*

- *मतदान अधिकारी*
- *निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर कार्यरत लोक सेवक*
- *राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत या रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति।*
- *अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता*
- *मतदाता के साथ गोद वाला बालक*
- *अन्धे या विकलांग मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला एक व्यक्ति*
- *ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे रिटर्निंग आफिसर या आप मतदाताओं को पहचानने के लिये नियोजित करें।*

नोट– मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस कर्मी या विशेष पुलिस अधिकारी सामान्यतः केन्द्र के बाहर ही ड्यूटी पर रहेगें, जब तक कि कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये आप उन्हें अन्दर न बुलायें।

ii) *उपरोक्तानुसार मतदान केन्द्र में प्रवेश को दृढ़ता से लागू करें अन्यथा वहां भीड़–भाड़ हो जायेगी और व्यवस्था बनाये रखने की समस्या पैदा होगी।*

- *यदि आपको लगे कि मतदान केन्द्र पर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़ा है और मतदान के सुचारू संचालन में व्यवधान पैदा कर रहा है तो आप उसे चले जाने के लिये कह सकते हैं। यदि फिर भी यदि वह न जाये तो आप उसे हटाये जाने के लिये केन्द्र पर तैनात पुलिस कर्मी को निर्देश दे सकते हैं ।*

- *अपने कर्तव्य के पालन में आपको केवल राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और रिटर्निंग अधिकारी पंचायत के निर्देशों का अनुसरण करना है। निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य के बारे में तथा ड्यूटी के दौरान आपको अपने उच्चधिकारियों या अन्य किसी से कोई आदेश नहीं लेने हैं।*

- *मतदाताओं को पहचानने के लिये या महिला मतदाताओं की सहायता के लिये आप ग्राम स्तरीय किसी कर्मचारी या महिला परिचायक को नियोजित कर सकते हैं परन्तु उसे मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के बाहर ही बिठायें और मतदान केन्द्र के अन्दर तभी बुलायें जब किसी मतदाता विशेष को पहचानने के लिये या तलाशी या अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिये उसकी आवश्यकता हो।*

2. मतदान केन्द्र व उसके आस–पास की व्यवस्था बनाए रखना

i) *मतदान के सुचारू संचालन के लिये मतदान केन्द्र तथा उसके आस–पास शांति और व्यवस्था बनाये रखने तथा वहां पर गड़बड़ी या मतदान को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के*

खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 180 से 187 तक जो प्रावधान दिये गये हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जा सकती हैं। उम्मीदवारों के चुनाव/मतदान एजेंट से मतदान आरम्भ होने से 20 मिनट पहले पहुंचने की अपेक्षा है ताकि जब मतपेटी तैयार करने की आरम्भिक कार्यवाही चल रही हो तो तब वे उसे देख सकें । यदि कोई एजेंट समय पर न आए तो उसके लिए प्रतीक्षा करने या आरम्भिक कार्यवाही नए सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को नियुक्ति–पत्र निर्धारित प्ररूप–22 **(परिशिष्ट–9)** *में प्रस्तुत करने को कहें जिसके द्वारा उम्मीदवार या उसे निर्वाचन एजेंट ने नियुक्त किया हो । इस बात को देख लें कि नियुक्ति आपके मतदान केन्द्र के लिए ही की गई है । तत्पश्चात् उसे नियुक्ति पत्र की प्रविष्टियां पूर्ण करने और घोषणा पर हस्ताक्षर करने को कहें । प्राप्त नियुक्ति–पत्रों को सुरक्षित रखें और मतदान के बाद उन्हें अन्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित लिफाफें में डालें ।*

ii) *अभ्यर्थियों या उसके चुनाव मतदान एजेंटों को मतदान अधिकारी कम–1 के ठीक पीछे बिठायें। यदि प्रवेश द्वार की विशिष्ट स्थिति के कारण ऐसा करने में कोई अड़चन हो तो उन्हे मतदान अधिकारियों के सामने बिठायें। व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाताओं के चेहरे देख सके और आवश्यकता पड़ने पर पहचान के सम्बन्ध में अभ्याक्षेप कर सके। उन्हें मतदान केन्द्र में उठ कर इधर–उधर चलने से रोके।*

iii) *मतदान केन्द्र में किसी को धूम्रपान की अनुमति न दे। यदि कोई मतदान अभिकर्ता धुम्रपान करना चाहे तो उसे मतदान केन्द्र के बाहर जाने को कहे।*

3. *समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों और फोटोग्राफर द्वारा फोटो लिये जाना*

i) *पत्रकारों/फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु बगैर राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत या रिटर्निंग आफिसर पंचायत द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के उन्हें मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश न करने दें। किसी भी परिस्थिति में किसी फोटोग्राफर को मतदान कक्ष में (जहां कि मतदाता मतपत्र पर निशान लगाता है) नहीं जाने दें।*

ii) *राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन के सिलसिले में नियुक्त पर्यवेक्षक मतदान की अवधि के दौरान कभी भी आपके मतदान केन्द्र में आ सकते हैं। पहचान में आसानी के लिये वे या तो बैज पहने होगें या आपको पास या नियुक्ति पत्र दिखायेगें। उनके द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें दें और उनकी इच्छाओं का विनम्रता और आदरभाव से उतर दें। पर्यवेक्षक आपको कोई निर्देश नहीं देगें परन्तु यदि वे आपके मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को हो रही असुविधा को दूर करने या मतदान की प्रकिया को अधिक गतिशील और सरल बनाने की दृष्टि से कोई सुझाव दें तो उस पर अवश्य विचार करें।*

iii) *मतदान के दौरान बीच–बीच में आपके केन्द्र की स्थिति का जायजा लेने के लिये जिला/उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत या रिटर्निंग आफिसर पंचायत या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जैसे कि मैजिस्ट्रेट आयेगे। उन्हें ऐसी हर समस्या या कठिनाई से अवगत कराएं, जिसका आप सामना कर रहे हैं। वे आपकी सहायता के लिये ही आपके पास आ रहे हैं। अतः उनसे सहायता मागंने या उन्हे अपनी परेशानी बताने में कोई संकोच न करें।*

अध्याय–11

मतपेटी तैयार करना तथा सीलबन्द करना

गोदरेज टाईप मतपेटी उपयोग में लाने सम्बन्धी अनुदेश

1. मतपेटी का खोलना

i) *बटन से खिड़की के ढक्कन (विण्डोकवर) को बांधने वाले तार को खोलिये।*

ii) *खिड़की के ढक्कन को दांहिनी ओर घुमाइए, ताकि खिड़की पूरी तरह से खुल जाये (जैसा कि आकृति 1 पर दिया गया है)*

iii) *अपनी हथेली उपर की ओर रखते हुये खिड़की में एक अंगुली डालिये और उसे ब्रेकेट तक पहुंचाने के लिये ढक्कन के पेदें में मध्य भाग तक पहुंचाये (यह ब्रैकेट आकृति 2 पर देखा जा सकता है)*

iv) *ब्रेकेट को खिड़की की ओर खीचियें तथा बटन की बांयी ओर तब तक घुमाईये जब तक एक चौथाई से भी कम घुमाव के बाद यह रूक न जाये जैसा कि आकृति 2 में है (मतपेटी अब खुल गई है ढक्कन उठाकर अन्दरूनी भाग दिखाया जा सकता है)*

v) *उम्मीदवारों या उनके ऐजेंटों को पेटी के कल पुर्जों में गड़बड़ी डाले बिना पेटी का निरीक्षण करने दीजिये ।*

2. मतदान के लिये मतपेटी तैयार करना

i) *मतपेटी का ढक्कन खोलिये, खाली मतपेटी उपस्थित उम्मीदवार/उम्मीदवारों को दिखाईये। यदि आपके मतदान केन्द्र से सम्बन्धित मतों की गिनती मतदान केन्द्र पर नहीं की जानी है तो मतपेटी में पते की चिट (एड्रैस टैग) भी डालें ।*

ii) *आपको दी गई एक कागज की सील लीजिये । ध्यान रहे कि प्रत्येक मतपेटी में एक ही कागज की सील का उपयोग किया जायेगा ।*

iii) *ऐसे उम्मीदवारों या उनके एजेंटों द्वारा जो हस्ताक्षर करना चाहते हो कागज की सील के एक छोर पर हस्ताक्षर करवायें । आप भी हस्ताक्षर कीजिए और दिनांक डालिये।*

iv) *चोखटे/फ्रैम के मध्य भाग की भीतरी दरारों में किसी एक में कागज की सील का सिरा डालिये।*

v) *इसके बाद कागज की सील का प्रत्येक सिरा पीछे को घुमाईये और उस चोखटे के समावनवर्ती बाहरी दरारों में डालिये, यह सुनिश्चित कीजिए कि कागज की सील का छोर खिड़की से दूर है।*

vi) *कागज की सील के उस सिरे को जिस पर हस्ताक्षर हो, लम्बा रखियें, कागज की सील को पहुंचने वाली आकस्मिक क्षति या उसमें गड़बड़ करने सम्बन्धी प्रयत्न को रोकने के उदेश्य से कागज की सील के नीचे के चौखटे के मध्य भाग में 2-1/10"x1-7/16" आकार के कार्ड बोर्ड/पुटठे की गददी रखकर उसे मजबूत बनाईये। गददी पर्याप्त मोटी होनी चाहिये ताकि कागज की सील अपनी जगह यथावत बनी रहे। कागज की सील के दोनों छोरों की धार खींच कर उसकी जांच कीजिये वह बिल्कुल भी नही हिलनी चाहिये ।*

vii) *इसके बाद पुटठे के उपरी दोनों कोनो, कागज की सील और मतपेटी ढक्कन के भीतरी भाग को सील लगाकर ढक दीजिए।*

viii) *यदि कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट विलम्ब से आया हो और चौखटे/फ्रैम में डाले जाने से पहले कागज की सील पर हस्ताक्षर न कर सका हो तो, यदि वह चाहे तो इस समय भी कागज की सील के लम्बे भाग पर हस्ताक्षर करने या अपनी सील लगाने की अनुमति मांगे तो उसे अनुमति दी जानी चाहिये ।*

ix) *किसी भी स्थिति में कटी–फटी कागज की सील का उपयोग मत कीजिये । यह देखियें कि कागज की सील पर किये गये मतदान/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्ररूप –22 में उनकी घोषणा पर किये गये उनके हस्ताक्षरों से मिलते हैं।*

x) *फिर मतपेटी का ढक्कन धीरे से बन्द कर दीजिये देखियें कि कागज की सील के खुले सिरे मतपेटी के भीतर है और सील पेटी में लटकती न रहे । बटन को दांहिनी ओर थोड़ा–थोड़ा तब तक घुमाईये जब तक कि खटके के साथ रूक न जाये । अब दरार (आकृति 3) पर बताये अनुसार मतदान के लिये सही स्थिति में पूरी तरह खुली रहेगी। बटन को ओर ज्यादा मत घुमाइये अन्यथा दरार बन्द हो जायेगी। यदि असावधानी के कारण ऐसा हो जाये तो कागज की सील नष्ट करने के बाद मतपेटी को फिर से खोलना पड़ेगा और एक बार से फिर मतदान के लिये नई कागज की सील लगाकर तैयार करना होगा ।*

xi) *खिड़की के ढक्कन को बांई ओर घुमाईये ताकि उससे खिडकी पूरी तरह ढक जाये । खिड़की के ढक्कन के सुराख और बटन के सामने के सुराख में तार का टुकड़ा डालिये और तार के छोरों को कसकर कई बार घुमाईये, ताकि खिड़की का ढक्कन बटन के साथ मजबूती से जम जाये जो बाद में घुमाया न जा सके (देखिये आकृति 3) अब मतपेटी मतदान के लिये तैयार है ।*

3. *मतदान के बाद दरार (सिल्ट) बन्द करना और मतपेटी पर सील लगाना*

i) *जिस तार से खिड़की का ढक्कन बंधा हुआ है उसे खोलिये ताकि खिड़की का ढक्कन खुल जाये, खिड़की के ढक्कन को दांहिनी ओर घुमाईये, इस बात की जांच कीजिये कि कागज की सील ज्यों की त्यों लगी है ।*

ii) *बटन को दांहिनी ओर घुमाईये जब तक कि वह रूक न जाये कि दरार (सिल्ट) को पूरी तरह से बन्द न कर दें। यह भी जांच कर लीजिये कि इसके बाद बटन किसी भी ओर घुमता तो नहीं है ।*

iii) *अब खिड़की के ढक्कन को बांयीं ओर घुमाईये ताकि वह खिडकी को पूरी तरह से ढक दें तथा खिडकी के ढक्कन को एक साथ पकड़िये तथा खिडकी के ढक्कन के छेद सामने के बटन के छेद में एक तार पिरोकर तार के दोनों सिरों को कसकर कुछ बार मोड़ दीजिये ताकि खिड़की ढक्कन और बटन मजबूती से बंध जाये ।*

iv) *बटन तथा खिडकी के ढक्कन के छेदों में एक डोरे का टुकडा डालिये और उसके दोनों छोरों को बटन के नजदीक कई गांठें लगाकर मजबूती से कस दीजिये । डोरे के खुले सिरों के नीचे मजबूत मोटे कागज का टुकडा रखियें और यथा सम्भव गांठों के पास ही उस पर अपनी सील लगाईये ताकि बिना सील तोड़े गांठ न खोली जा सके ।*

v) *मतदान केन्द्र की मतपेटी या मतपेटियों को उपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार बन्द कर सुरक्षित कर देने के पश्चात फीते से मतपेटी/मतपेटियों को चारों ओर से बांध दीजिये। ढक्कन पर हैण्डिल को नीचे से एक दूसरे को कास करते हुये एक मजबूत गांठ लगाये तथा उसके नीचे एक मोटा कागज या पुटठे का टुकड़ा रख कर अपनी सील लगा दें । उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वे भी यदि चाहे तो अपनी सील लगा लें या हस्ताक्षर कर दें ।*

vi) *यदि मतगणना मतदान केन्द्र पर न कराकर बाद में कराई जानी है तो यह आवश्यक होगा कि उपयोग में लाई गई तथा मतपत्रों से भरी हुई मतपेटी/मतपेटियों को कपड़े की थैली/थैलियों में रखकर बन्द कर दिया जावे। थैली में लगी डोरी को खींच कर उपरी हिस्से में गांठे लगा कर कस दें और उसे 2–3 बार घुमाकर एक दूसरे से मिली हुई कुछ गाठें लगा दें । डोरी की गाठों पर नीचे एक मोटे कागज का टुकड़ा रखकर प्रथम गांठ से छुती हुई अपनी सील लगा लें । जिससे बगैर सील तोडे गांठ न खोली जा सके । उपस्थित मतदान एजेंटों से कह दें कि वे यदि चाहे तो अपनी सील लगा सकते हैं । थैली के उपरी हिस्से पर भी पते की चिट्ट (एड्रैस टैग) अच्छी तरह बांध दें ।*

टिप्पणी *– मतदान की समाप्ति के बाद सीलबन्द मतपेटी को जिस कपडे की थैली में रखा जाता है, उस पर स्याही से या रबर स्टैम्प से या अन्यथा रूप से कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिये । यह इसलिये आवश्यक है ताकि कपड़े की थैलियां खराब न हो जाये और भविष्य में उपयोग के लिये अनुपयोगी न बना दी जाये । पुस्तिका में दिये गये निर्देशनुसार सभी लिखा–पढ़ी पते की चिट (एड्रैस टैग) पर की जानी चाहिये । इस बात की परम सावधानी रखी जाये कि उन्हें इस प्रकार से लगाया या चिपकाया जाये, ताकि वे ले जाते समय निकल न जाये ।*

गोदरेज टाईप मतपेटी

आकृति 1

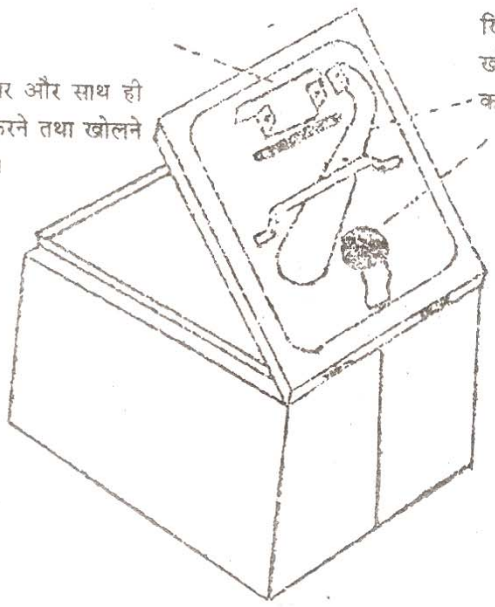

बाहरी दृश्य

आकृति 2

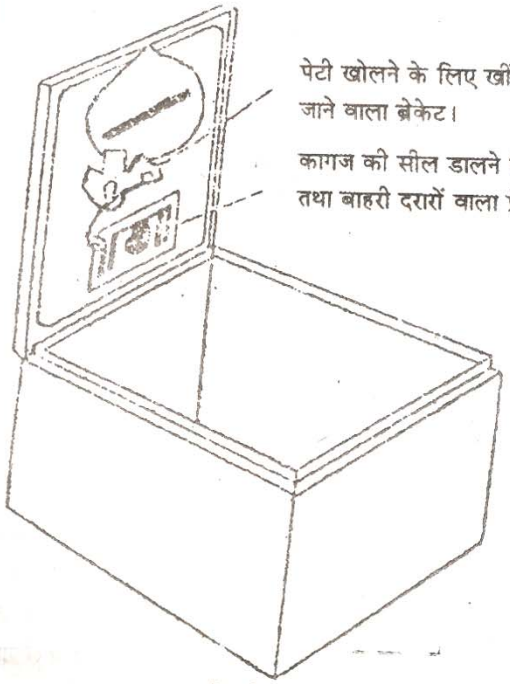

भीतरी दृश्य

आकृति 3

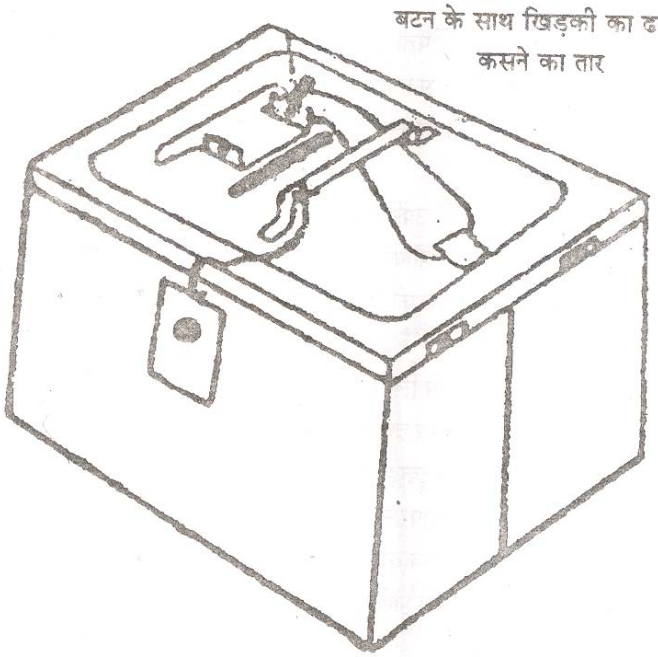

मतदान के लिये तैयार पेटी

आकृति 4

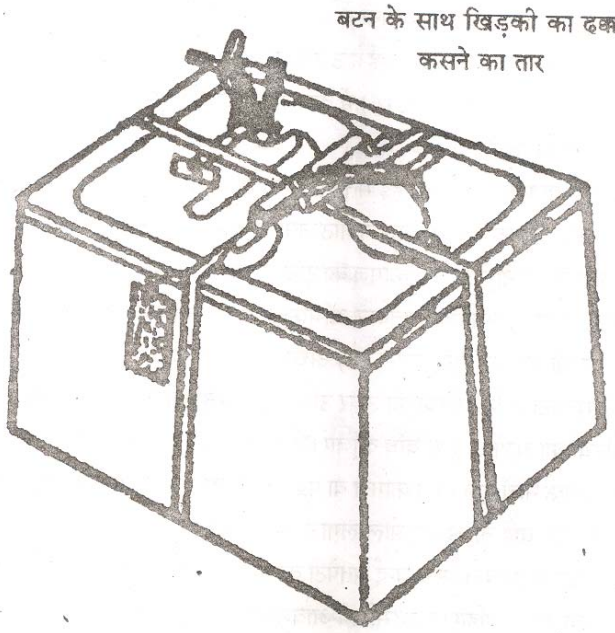

मतदान के बाद बंद की गई पेटी

मध्यप्रदेश टाईप मतपेटी उपयोग में लाने सम्बन्धी अनुदेश

1. ***मतपेटी को खोलना–***

i) *डिब्बी के ढक्कन को उपर उठाकर खोलिये ।*

ii) *डिब्बी के अन्दर पेटी बन्द करने के लाक की पती को मतपत्र डालने के सुराख की ओर खींचियें। मतपेटी अब खुल गई है और ढक्कन उठाकर अन्दरूनी भाग दिखाया जा सकता है ।*

iii) *अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को पेटी के कलपुर्जो में गड़बड़ी डाले बिना, पेटी का निरीक्षण करने दीजिये ।*

2. ***मतदान के लिये मतपेटी तैयार करना–***

i) *मतपेटी का ढक्कन खोलिये, खाली मतपेटी उपस्थित उम्मीदवारों/ऐजेंटों को दिखाईये। यदि आपके मतदान केन्द्र से सम्बन्धित मतों की गिनती मतदान केन्द्र पर नहीं की जानी है तो मतपेटी में पते की चिट (एड्रैस टैग) डालें ।*

ii) *डिब्बी के अन्दर लगे पेटी बन्द करने के लाक की पती को सामने वाली पती के साथ खींच कर मिलायें। (मतपेटी लाक हो गई है)*

iii) *डिब्बी के अन्दर पतियों के बीच लगे छोटे से लीवर को घुमाईयें जिससे लाक वाली पती को स्पोर्ट मिल सके ।*

iv) *डिब्बी के अन्दर लगी पतियों के छेदों में से तार तथा रस्सी का टुकड़ा डालिये और उसके दोनों छोरों को मजबूती से कस दीजिये तथा सिरों के नीचे मजबूत मोटे कागज का टुकडा रखियें और यथा सम्भव गांठों के पास ही उस पर अपनी सील लगायें ताकि बिना सील तोडे गांठ न खोली जा सके । तदोपरान्त मोटे कागज पर अपने हस्ताक्षर करें । यदि कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट भी इस कागज के टुकड़े पर अपने हस्ताक्षर करना चाहे तो उन्हें हस्ताक्षर करने दिया जाये ।*

v) *मतपत्र डालने वाले सुराख पर लगी लीड को पीछे हटाकर दूसरी ओर पती लगी के साथ बांध देवें ताकि मतपत्र डालते समय असुविधा न हो ।*

vi) *डिब्बी के ढक्कन को बन्द करें । तार तथा रस्सी को डिब्बी तथा मतपेटी के छेदों में से निकालकर मजबूती के साथ कसकर गांठ लगायें। गांठों के नीचे कागज का टुकड़ा रखकर इसे सील कर दें । तदोपरान्त अपने हस्ताक्षर करें। यदि कोई उममीदवार या उसका ऐजेंट इस कागज के टुकडे पर अपने हस्ताक्षर करना चाहे तो उसे हस्ताक्षर करने देवें। मतपेटी मतदान के लिये तैयार है ।*

3. ***मतदान के बाद दरार (सिलट) बन्द करना–***

i) *यदि मतगणना मतदान केन्द्र पर न कराकर बाद में कराई जानी है तो यह आवश्यक होगा कि डिब्बी के बाहर भी जो सील लगाई गई है वह मतदान केन्द्र में उपस्थिति उम्मीदवारों या उसके एजेंटों के समक्ष खोली जाये । मतपत्र डालने की सिलट को बन्द करने के लिये जो लीड पती के साथ बांधी हुई है उसे खोलकर डिब्बी का ढक्कन उठाकर डिब्बी की ओर लाईये और डिब्बी का ढक्कन बन्द कर देंवे तथा पैरा उपरोक्त 2 (6) में दर्शाये गये तरीके अनुसार दोबारा सील कर देवे। देखिये दरार/सीलट बन्द हो गई है तथा मतपेटी भी सील हो गई है ।*

ii) *उपयोग में लाई गई तथा मतपत्रों से भरी हुई मतपेटी/मतपेटियों को कपड़े की थैली/थैलियों में रखकर बन्द कर दिया जाये । थैली में लगी डोरी को खींचकर उपरी*

हिस्से में गांठे लगाकर कस दें और उसे 2–3 बार घुमाकर एक दूसरे से मिली हुई कुछ गांठे लगा दें । डोरी की गांठो पर नीचे एक मोटे कागज का टुकड़ा रखकर प्रथम गांठ से छूती हुई अपनी सील लगा दें जिससे बगैर सील तोड़े गांठ न खोली जा सके । उपस्थित मतदान एजेंटों से कहें कि यदि वे चाहे तो अपनी सील लगा सकते हैं। थैली के उपरी हिस्से पर भी पते की चिट (एड्रैस टैग) अच्छी तरह बांध दें ।

iii) *मतदान केन्द्र की मतपेटी या मतपेटियों को उपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार बन्द कर सुरक्षित देने के पश्चात फीते से मतपेटी/मतपेटियों को चारों ओर से बांध दीजिये। ढक्कन पर हैडिंल को नीचे से एक दूसरे को कास करते हुये एक मजबूत गांठ लगायें तथा उसके नीचे एक मोटा कागज या पुटठे का टुकड़ा रखकर अपनी सील लगा दें उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वह भी यदि चाहे तो अपनी सील लगा लें या हस्ताक्षर कर दें ।*

टिप्पणी *– मतदान की समाप्ति के बाद सीलबन्द मतपेटी को जिस कपड़े की थैली में रखा जाता है उस पर स्याही से या रबर स्टैम्पस से या अन्यथा रूप से कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिये। यह इसलिये आवश्यक है कि ताकि कपड़े की थैलियां खराब न हो जाये और भविष्य में उपयोग के लिये अनुपयोगी न बना दी जाये । पुस्तिका में दिये गये निर्देशनुसार सभी लिखा पढी पते की चिट (एड्रैस टैग) पर की जानी चाहिये । इस बात की परम सावधानी रखी जाये कि उन्हें ऐसे रूप से लगाया या चिपकाया जाये ताकि वे ले जाते समय निकल न जाये ।*

मध्यप्रदेश टाईप मतपेटी

आकृति नं० 1

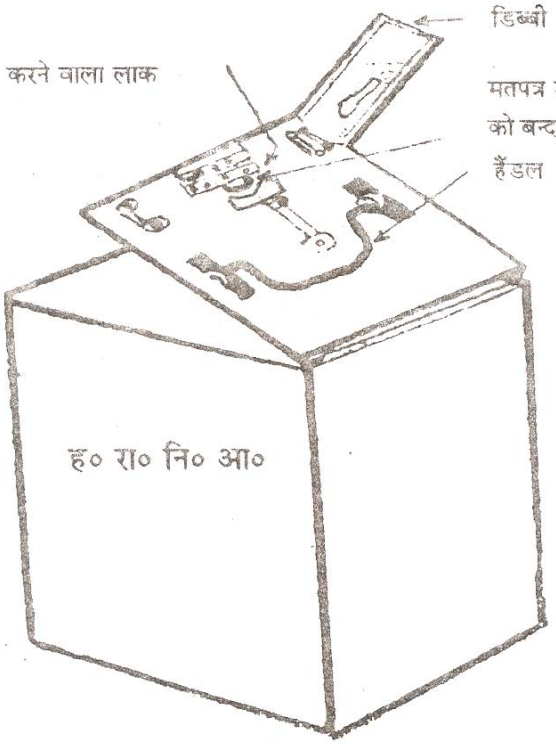

बाहरी दृश्य

आकृति नं० 2

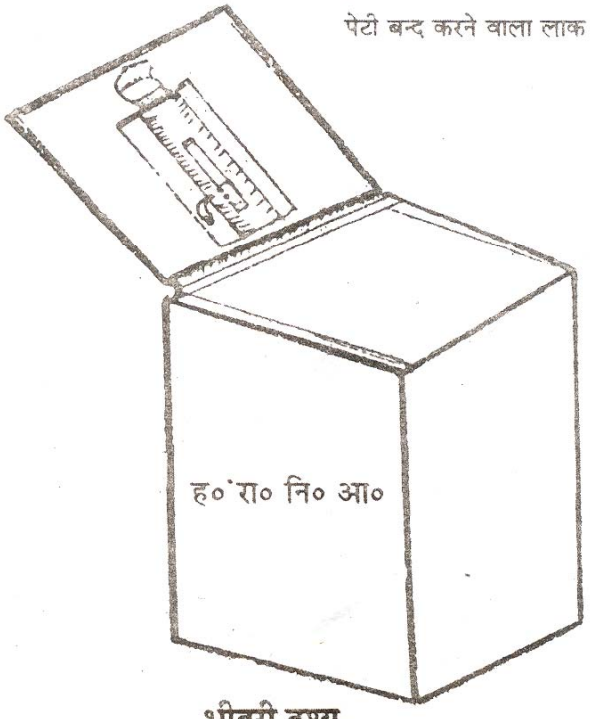

भीतरी दृश्य

आकृति नं० 3

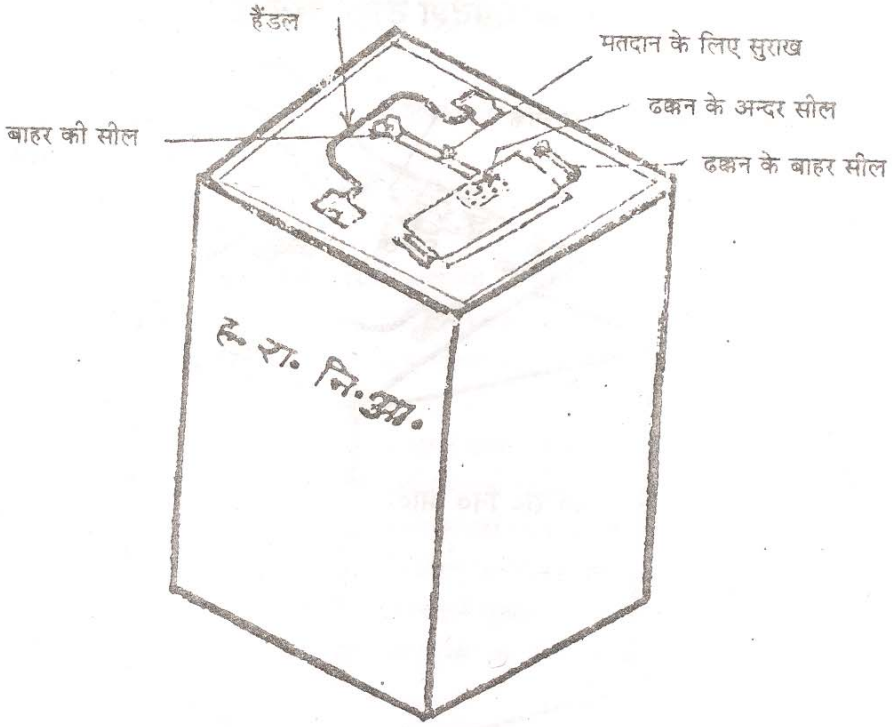

मतदान के लिये तैयार पेटी

आकृति नं० 4

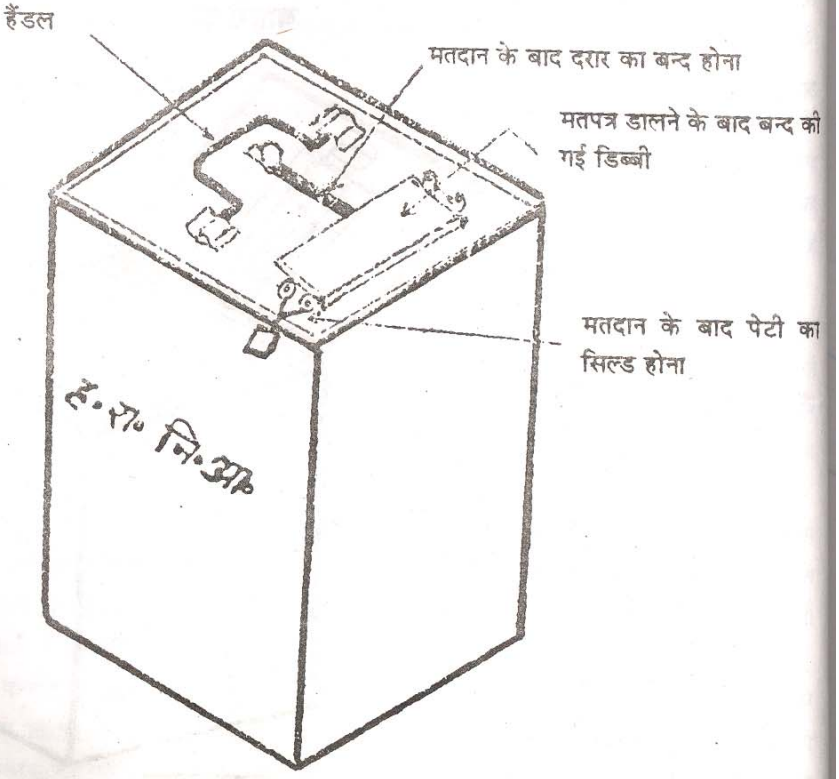

मतदान के बाद बन्द की गई पेटी

अध्याय–12

मतदान

1. मतदान के लिये मतपत्र तैयार करना

(1) *मतदान केन्द्र पर पहुंचने के पश्चात आपको अन्य कार्यों के साथ मतदान के लिये मतपत्र तैयार करने होगें। इस हेतू मतदान के पूर्व आप लगभग आधे मतपत्रों में प्रत्येक के पीछे की तरफ सम्बन्धित सुभेदक सील लगा लें।*

i) *पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिये दिये गये मतपत्रों के पीछे निम्नांकित सुभदेक सील लगाई जानी है–*

खण्ड	*खण्ड*	*वार्ड कमांक*
मत केन्द्र क0	*मत केन्द्र क0*	
ग्राम पंचायत	*ग्राम पंचायत*	

इसमें वार्ड कमांक केवल पंच के निर्वाचन से सम्बन्धित (सफेद पेपर पर काला रंग) मतपत्रों में भरा जाना है। सरपंच से सम्बन्धित (सफेद पेपर पर नीले रंग के) मतपत्रों में वार्ड क्रमांक भरने की आवश्यकता नहीं है। अन्य विशिष्टियां (particular) *सील में पहले से ही भरी रहेगीं। यदि न हो तो उन्हें भी भरे।*

ii) *पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिये जो मतपत्र (क्रमशः पीले और लाल रंग के) आपको दिये हैं, उनमें पीछे दोहरे बार्डर वाली सुभेदक सील लगाई जानी है जिसका निशान (इम्प्रेशन) निम्नानुसार है–*

खण्ड	*नि0 क्षेत्र कमांक*
मत केन्द्र क्र0	*पंचायत समिति*
	जिला परिषद

इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे भी स्थिति हो, के सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का कमांक भरा जाना है। यदि सील में अन्य विशिष्टियां पहले से ही भरी ना हों तो उन्हें भी भरें।

iii) *मतपत्रों पर सुभेदक सील लगाने तथा उसमें उपरोक्तानुसार वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र का कमांक लिखने के पश्चात आपको उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर करने का काम आपको मतदान की सुबह को ही करना चाहिये, उससे पहले नहीं। प्रारम्भ में कुछ मतपत्रों पर हस्ताक्षर करें और उसके बाद जैसे–जैसे मतपत्रों का उपयोग होता जावे, उसके अनुसार और मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते रहें। अन्त में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि उतने ही मतपत्रों पर हस्ताक्षर कर लिये जायें जितने उपयोग होंगे ।*

iv) *मतदाताओ को अनुकमांकवार मतपत्र जारी करने के बजाये क्रम से हट कर जारी करना वांछनीय है ताकि कोई यह अन्दाजा न लगा पाये कि किस मतदाता को कौन से अनुक्रमांक का मतपत्र मिला और मतपत्रों की गोपनीयता बनी रहे। इसके लिये उपयोग में लाई जा रही गड्डी से मतपत्र सिलसिलेवार न जारी करते हुये बीच में कहीं से जारी किये जाये। परन्तु मतदान के अन्तिम चरण में मतपत्र सिलसिलेवार ही जारी करना उपयुक्त होगा ताकि मतपत्र लेखा बनाने में कोई परेशानी न हो।*

2. मतदान का प्रारम्भ

(1) *आपसे यह अपेक्षा कि आप ठीक समय पर मतदान प्रारम्भ करें। यदि कदाचित मतपेटी तैयार करने में कुछ विलम्ब हो जाये, हालांकि ऐसा होना बहुत अवांछनीय होगा तो आप निर्धारित*

समय पर 5–7 मतदाताओं को केन्द्र में प्रवेश दे दें तथा मतदान अधिकारी कमांक–1 से उनकी पहचान आदि की कार्यवाही करने को कहे। ध्यान रखे कि मतदान प्रारम्भ करने में हुये इस प्रकार के विलम्ब के बावजूद मतदान बन्द करने के लिये निर्धारित समय को आप और आगे नहीं बढा सकते।

(2) *मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व सभी उपस्थिति व्यक्तियों (डॅयूटी पर तैनात अधिकारियों तथा अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं) को मत/वोट की गोपनीयता बनाये रखने के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य तथा उसके उल्लघंन के लिये दण्ड के बारे में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 183 के प्रावधान को स्पष्ट कर दें ।*

(3) *मतदान अधिकारी कमांक–1, 2, 3 व 4 के बीच कार्य का विभाजन ठीक उसी प्रकार होगा जैसा कि अध्याय–8 में दिया गया है ।*

(4) ***नेत्रहीन अथवा अशक्त मतदाता द्वारा मत का अभिलेखन–*** *यदि नेत्रहीनता अथवा अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण कोई मतदाता मतपत्र पर निशान को पढ़ने में अयोग्य है, तो पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता के साथ, उसकी सहायता करने तथा मतपेटी में ऐसे मतदाता की इच्छानुसार मत डालने के लिए उसकी इच्छा के किसी व्यक्ति को मतदान कक्ष में प्रवेश करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा, पीठासीन अधिकारी ऐसे उदाहरण का संक्षिप्त अभिलेख रखेगा।*

(5) ***महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं***

(i) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 46 के अन्तर्गत जहां कोई मतदान केन्द्र पुरूष तथा महिला दोनों मतदाताओं के लिए हैं, वहां पीठासीन अधिकारी निदेश दे सकता है कि वे महिलाओं तथा पुरूषों की अलग–अलग टोलियों में थोड़े–थोड़े मतदान केन्द्र में प्रवेश होने दिए जाएंगे।*

(ii) *रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा पीठासीन अधिकारी महिला मतदाताओं की सहायता करने के लिए मतदान केन्द्र पर सहायक के रूप में सेवा करने तथा महिला मतदाताओं के सम्बन्ध में मतदान कराने में साधारणतया पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए भी, तथा विशेष रूप में किसी महिला मतदाता की तलाशी में सहायता करने के लिए किसी महिला को नियुक्त कर सकता है, यदि यह निर्बाध तथा निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो जाता है।*

(iii) *पुरूष या स्त्री मतदाताओं को बारी–बारी से 4–5 की टोलियों में मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश देने की व्यवस्था करें। जिन महिलाओ की गोद में बच्चे हो उन्हें प्रवेश देने में प्राथमिकता दे।*

(6) *यदि कोई मतदाता असावधानी से, जिसके पीछे उसकी दुर्भावना न हो, अपना मतपत्र खराब कर दे और उसे लौटाना चाहे तो उसके सम्बन्ध में आप अपना समाधान कर लेने के पश्चात उसे दूसरा मतपत्र दे सकते हैं। इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर खराब रद्द किया गया शब्द अंकित करें और उसे अलग रखे।*

(7) *मतपत्र प्राप्त करने के बाद यदि कोई मतदाता उसका उपयोग न करना चाहे और उसको आपको लौटाना चाहे तो आप उसे भी ले लें। इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर* ***लौटाया गया रद्द किया गया*** *शब्द अंकित करते हुये उसे भी अलग रखे।*

(8) *यदि मतदाता को जारी कोई मतपत्र उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाये और ऐसा मतपत्र मतदान केन्द्र में या उसके निकट किसी भी स्थान पर पाया जाये तो उसे भी लौटाया गया रदद किया गया समझा जाये और उनके सम्बन्ध में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाये ।*

————————

अध्याय–13

मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में आपति

1. ***मतदाताओं की पहचान****– पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को मतदान केन्द्र पर नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह मतदाताओं की पहचान करने में सहायता करने के लिए अथवा मतदान करवाने में अन्यथा उसकी सहायता करने के लिए उचित समझता है।*

2. ***मतदाता की पहचान को चुनौती देना****– मतदान अधिकारी कमांक–1 के द्वारा उसके सामने खड़े मतदाता से सम्बन्धित मतदाता सूची की प्रविष्टियां पढने के बाद कोई भी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता उस मतदाता की पहचान बाबत आपत्ति कर सकता है। अतः मतदान अधिकारी क्रमांक–1 की प्रविष्टियां पढने के बाद कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी चाहिये और इस दौरान आपत्ति न उठाये जाने पर ही मतदाता सूची में उसके नाम को रेखांकित करते हुये उसकी बांये हाथ की तर्जनी अंगुली पर स्याही का निशान लगाना चाहिए। अमिट स्याही का निशान लगा देने के बाद की गई किसी आपत्ति पर विचार न किया जाये । यदि ऐसा करने से पूर्व ही आपत्ति उठा दी जाये तो पीठासीन अधिकारी को चाहिये कि वह मामले को आगे कार्यवाही हेतू अपने पास ले लें ।*

3. ***पीठासीन अधिकारी द्वारा की जानें वाली आगे की कार्यवाही****– कोई भी आपत्तिकर्ता प्रत्येक ऐसी चुनौती के लिये पीठासीन अधिकारी के पास नकदी में* ***पांच*** *रूपये की राशि पहले जमा करवाकर विशिष्ट मतदाता होने के दावेदार किसी व्यक्ति की पहचान को चुनौती दे सकता है। ऐसी जमा राशि के लिए पीठासीन अधिकारी आपत्तिकर्ता को* ***परिशिष्ट–10*** *के अनुसार रसीद देगा। ऐसा नकदी जमा किये जाने पर पीठासीन अधिकारी–*

i) *पूर्णरूप में मतदाता सूची में सुसंगत प्रविष्ठि को पढ़ेगा तथा पूछेगा कि क्या यह वही व्यक्ति है जो उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट है,*

ii) *प्ररूप 11* ***(परिशिष्ट–11)*** *में चुनौती दिये गये मतों की सूची में उसका नाम तथा पता दर्ज करेगा, और उक्त सूची में उसके हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा।*

iii) *जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है, उसे प्रतिरूपण करने के लिये (अर्थात जो वह नहीं है वह बताने के लिये) यह चेतावनी दे कि ऐसा कृत्य धारा 171 की भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ।*

iv) *आपतिकर्ता के आपत्ति के प्रमाण में अर्थात जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है, उसके वहां न होने के बारे में तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहें।*

v) *जिस व्यक्ति के बारे में आपत्ति उठाई गई है उसके वही होने बारे में तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहें। इस हेतू उससे आवश्यक प्रश्न पूछें जैसे कि ग्राम में वह कब से रह रहा है, क्या करता है, उसके रिश्तेदार और पड़ौसी कौन है, उसकी कितनी जमीन है, ग्राम के प्रमुख व्यक्ति कौन–2 हैं आदि। पक्ष–विपक्ष में साक्ष्य देने के लिये आप उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति से भी पूछताछ कर सकते हैं।*

vi) *उपर्युक्त पूछताछ आप शपथपत्र पर ब्यान लेकर कर सकते हैं।*

4. जांच करने के बाद अगर पीठासीन अधिकारी उठाई गई आपत्ति को सही होना पायें तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को मतपत्र नहीं दगा और चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि उसे लौटा देगा और साथ ही आप ***परिशिष्ट–12*** *में एक रिपोर्ट सम्बन्धित थाना के थाना प्रभारी को ऐसा जालसाजी करने वाले व्यक्ति के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने के लिये मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस /सुरक्षा कर्मी के हाथ भेजेगा और जालसाजी करने वाले व्यक्ति को उसके सपुर्द कर देगा। इसका उल्लेख पीठासीन अधिकारी की डायरी में यथास्थान विवरण सहित अंकित करेगा। यदि, जांच के बाद, पीठासीन अधिकारी समझता है कि चुनौती सिद्ध नही हुई है, तो वह चुनौती दिये गये व्यक्ति को मत देने के लिए अनुमति प्रदान करेगा।*

अध्याय–14

निविदत/टैण्डर मतपत्र

1. यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुये मतपत्र की मांग करे तथा मतदाता सूची के अवलोकन से ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है तो आप उससे इस बारे कुछ प्रश्न पूछे जिससे सन्तुष्टि हो जाये कि यह वास्तव में सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। परन्तु उसके मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाला जायेगा। ऐसा मतपत्र जिसे निविदत/टैंडर मतपत्र कहते हैं, आपको सौपां जायेगा। ऐसे मतपत्रों को आप इस प्रयोजन के लिये अलग से दिये गये लिफाफों में पदवार अलग–2 रखें। मतदान की समाप्ति पर निविदत मतपत्रों के लिफाफे को जो कि कमशः पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य से सम्बन्धित होगें, सीलबन्द करें।

2. निविदत मतपत्र मतपत्रों की आखरी गड्डी में से अन्तिम अनुकमांक की ओर से जारी किया जाये । लेखा तैयार करने में सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया जाना वाछंनीय है। जिस व्यक्ति को निविदत मतपत्र दें उससे निविदत/टैण्डर मतपत्रों की सूची ***परिशिष्ट–13*** *(**प्ररूप–12**) में सम्बन्धित इन्द्राज के सामने उसके हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान लगवाएं।*

3. निविदत मतपत्रो को मतगणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

———————

अध्याय–15

मतदान केन्द्र पर एवं उसके आस–पास व्यवस्था सम्बन्धी कानूनी प्रावधान

1. मतदान केन्द्र के भीतर अथवा उसके आस–पास होने वाली किसी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था से निपटने में दृढता, निष्पक्षता तथा विधि प्रावधानों का ज्ञान आपके बड़े काम आयेगा। सभी अभ्यर्थियों से एक सा व्यवहार करें तथा प्रत्येक मामले को जो कि विवादास्पद हो, विधि के प्रावधानों के अनुसार निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण ढंग से निपटायें, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में मतदान केन्द्र के भीतर तथा आस–पास व्यवस्था बनाये रखने के लिये जो प्रावधान है, उनके अन्तर्गत आपको पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। साथ ही आपके तथा आपके सहयोगी मतदान अधिकारियों के उपर कुछ प्रतिबन्ध भी है। सरल शब्दों में ये प्रावधान निम्नांकित है।

*2. **मतदान केन्द्र में या उसके समीप प्रचार पर प्रतिबंध**–हरियाणा पंचायती राज अधिनयम, 1994 की धारा 180 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान केन्द्र में उस तिथि या उन तिथियों पर, जिन पर, कोई मतदान किया जाना है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में किन्हीं कृत्यों में से निम्नलिखित को नहीं करेगा, अर्थात–*

i) *मतों के लिए प्रचार,*

ii) *किसी मतदाता का मत मांगना,*

iii) *किसी मतदाता को निर्वाचन पर मत न देने के लिए प्रेरित करना,*

iv) *किसी मतदाता को किसी विशेष उम्मीदवार को मत न देने के लिए प्रेरित करना, और*

v) *निर्वाचन से संबन्धित कोई नोटिस या चिन्ह कार्यालय नोटिस से भिन्न, प्रदर्शित करना ।*

***नोट–** अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त अनुसार नियमों की उल्लंघना करता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जोकि एक हजार रूपए तक हो सकता है, दण्डनीय होगा। इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय (कार्यवाही योग्य)होगा।*

*3. **मतदान केन्द्र में या उसके समीप विषवत संचालन के लिए शास्ति**– हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 181 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों पर, जिन पर किसी मतदान केन्द्र पर चुनाव होता है,–*

i) *मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के भीतर या पर या उसके आसपास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मानव आवाज को परिवर्धित करने के लिए किसी संयंत्र का, जैसे कि कोई मैगाफोन या कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा या संचालित नहीं करेगा, अथवा*

ii) *मतदान केन्द्र के प्रवेश–द्वार के भीतर या पर, या उसके आसपास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मतदान केन्द्र पर मत के लिए जा रहे किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने के लिए या मतदान केन्द्र में ड्यूटी पर अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्य में बाधा डालने के लिए शोर नहीं मचाएगा या अन्यथा विच्छृंखल(व्यवधान) रीति में कार्रवाई नहीं करेगा ।*

iii) *अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों की उल्लंघना करता है या जानबूझकर उल्लंघन के लिए सहायता करता है या उकसाता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक हो सकता है दंडनीय होगा ।*

iv) *यदि किसी मतदान केन्द्र के किसी पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध कर रहा है अथवा किया है तो*

वह किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के निर्देश दे सकता है तथा उस पर पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी करेगा ।

v) *कोई भी पुलिस अधिकारी उपरोक्त नियमों की उल्लंघना को रोकने के लिए ऐसे कदम उठा सकता है तथा ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो तथा ऐसे उल्लंघन के लिए प्रयोग किए किसी यंत्र को कब्जे में ले सकता है ।*

4. ***मतदान केन्द्र पर दुराचार के लिए दण्ड***

i) *हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 182 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र पर, मत के लिए नियुक्त घंटों के दौरान स्वयं दुराचार करता है अथवा पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों की पालन करने में असफल रहता है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा या ड्यूटी पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे मतदान केन्द्र से हटाया जा सकता है ।*

ii) *उपरोक्त प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग किसी मतदाता को जो उस मतदान केन्द्र पर मतदान के लिये अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र पर मतदान का कोई अवसर प्राप्त करने से रोकने के लिये नहीं किया जायेगा।*

iii) *यदि कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार मतदान केन्द्र से हटाया गया है, पीठासीन अधिकारी की आज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तो वह दोषसिद्ध पर, जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।*

5. ***मतदान को गुप्त बनाये रखना***

i) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 183 के अन्तर्गत जहां कोई निर्वाचन किया जाता है, प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो मतों को अभिलिखित करने या गिनने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का अनुपालन करता है, मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा तथा बनाये रखने में सहायता करेगा तथा (किसी विधि द्वारा या के अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के सिवाय) ऐसी गोपनीयता का उल्लघंन करने के लिये संगणित कोई सूचना किसी व्यक्ति को सूचित नहीं करेगा ।*

ii) *अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकता है या पांच सौ रूपये के जुर्माने से, या दोनो से दण्डनीय होगा।*

6. ***निर्वाचन पर अधिकारी इत्यादि का उम्मीदवारों के लिये कार्य न करना या मतदान को प्रभावित न करना***

i) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 184 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का अनुपालन करने के लिये रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या कर्मचारी है, निर्वाचन के संचालन में किसी उम्मीदवार के निर्वाचनों को संभाव्यता को अग्रसर करने के लिये कोई भी कृत्य (अपना मत देने से भिन्न) नहीं करेगा ।*

ii) *यथा पूर्वोक्त ऐसा कोई व्यक्ति, तथा किसी भी पुलिस बल की कोई संख्या निम्नलिखित का प्रयास नहीं करेगा–*

- *किसी निर्वाचन पर अपना मत देने के लिये किसी व्यक्ति को प्रेरित करने का, अथवा*
- *किसी निर्वाचन पर अपना मत देने के लिये किसी व्यक्ति को रोकने का, अथवा*
- *किसी निर्वाचन पर किसी भी रीति में, मतदान या किसी व्यक्ति को प्रभावित करने का ।*

iii) *अगर कोई भी व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो छः मास तक हो सकती है, या एक हजार रूपये कें जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।*

7. ***निर्वाचन से सम्बन्ध में सरकारी कार्य का उल्लंघन***

i) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 185 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, उसके किसी युक्तियुक्त कारण बिना अपने सरकारी कर्तव्यों के उल्लंघन में, या किसी कार्य या लोप का दोषी है, तो वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।*

ii) *ऐसे व्यक्ति जिनको यह धारा लागू होती है, रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी तथा कोई अन्य व्यक्ति हो, जो मतदान सूचि के रखरखाव, नामांकनों की प्राप्ति या उम्मीदवारी वापिस लेने या अभिलेखन या किसी निर्वाचन में मतो की संगणना से सम्बन्ध किसी कर्तव्य के अनुपालन के लिये नियुक्त किये गये हैं तथा "सरकारी कर्तव्य" पद का अर्थ इस धारा के प्रयोजनार्थ तदनुसार लगाया जायेगा, लेकिन इसमें इस अधिनियम के द्वारा या अधीन से अन्यथा अधिरोपित कर्तव्य शामिल नहीं है ।*

8. ***मतदान केन्द्र से मतपत्र हटाना अपराध होना***

i) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 186 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में, किसी मतदान केन्द्र से बाहर कपट से कोई मतपत्र ले जाता है, या ले जाने का प्रयत्न करता है या जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करने में सहायता करता है, या करने के लिये उकसाता है, दोषसिद्धि पर कारावास से जो तीन मास तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।*

ii) *यदि किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास विश्वास करने का कोई कारण है कि कोई व्यक्ति उपरोक्तानुसार दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है या किया है, ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र छोड़ने से पहले, गिरफतार कर सकता है या पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये निर्देश दे सकता है तथा ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकता है ।*

iii) *परन्तु जब किसी महिला की तलाशी करवाई जानी आवश्यक हो तो तलाशी दूसरी महिला द्वारा शालीनता का सख्त ध्यान रखते हुये की जायेगी ।*

iv) *गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी पर पाया गया कोई मतपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये सौंप दिया जायेगा अथवा जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की जाती है, ऐसे अधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा ।*

9. ***अन्य अपराध और उसके लिये दण्ड/सजा***

1) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 187 के अन्तर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी होगा , यदि वह किसी निर्वाचन पर –*

i) *किसी नामांकन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या नष्ट करता है, अथवा*

ii) *किसी रिटर्निंग अधिकारी के प्राधिकार द्वारा अथवा के अधीन लगाई गई कोई सूचि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करता है या नष्ट करता है, अथवा हटाता है, अथवा*

iii) *किसी मतपत्र अथवा किसी मतपत्र पर सरकारी चिन्ह को कपटपूर्वक विरूपित करता है अथवा नष्ट करता है, अथवा*

iv) *सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपत्र को किसी व्यक्ति को सप्लाई करता है, अथवा*

v) *किसी मतपत्र से भिन्न किसी वस्तु को कपटपूर्वक किसी मतपेटी में डालता है जो उसमें डाला जाना विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है, अथवा*

vi) *सम्यक् प्राधिकार के बिना निर्वाचन के प्रयोजन के लिये तब उपयोग में किसी मतपेटी अथवा मतपत्र को नष्ट करता है, लेता है, खोलता है, अथवा अन्यथा दखल देता है, और*

vii) *कपटपूर्वक अथवा प्राधिकार के बिना, जैसी भी स्थिति हो, किसी पूर्वगामी कार्यो को करने का यत्न करता है अथवा ऐसे कार्यो को करने में जानबूझकर सहायता करता है अथवा दुष्प्रेरित करता है, अथवा*

viii) *नामांकन भरते समय, यथास्थिति, मिथ्या घोषणा करता है या शपथ–पत्र में मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करता है या कोई सूचना छुपाता है।*

2) *धारा 187 के अधीन किसी अपराध का दोषी कोई व्यक्ति–*

i) *यदि वह किसी मतदान केन्द्र में रिटर्निंग अधिकारी अथवा कोई पीठासीन अधिकारी है अथवा निर्वाचन के सम्बन्ध में सरकारी डॅयूटी पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी है, दोषसिद्धि पर किसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकती है अथवा एक हजार रूपये के जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डनीय होगा ।*

ii) *यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है, दोषसिद्ध पर किसी अवधि के लिये कारावास से जो छः मास तक हो सकती है अथवा पांच सौ रूपये जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डनीय होगा ।*

3) *इस धारा के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति सरकारी ड्यूटी पर समझा जायेगा यदि उसकी ड्यूटी किसी निर्वाचन अथवा निर्वाचन के किसी भाग के संचालन में, भाग लेने के लिये है, जिसमें ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग किये गये मतपत्रो अथवा अन्य दस्तावेजो के लिये मतगणना अथवा निर्वाचन के बाद उतरदायी होना शामिल है, किन्तु "सरकारी ड्यूटी" अभिव्यक्ति में इस अधिनियिम द्वारा अथवा के अधीन लगाई गई कोई ड्यूटी शामिल नहीं है।*

4) *उपरोक्त के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।*

10. किन्ही अपराधों का अभियोजन

हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के अधिनियम 188 के अन्तर्गत कोई न्यायालय राज्य निर्वाचन आयोग से किसी आदेश द्वारा अथवा प्राधिकार के अधीन की गई किसी शिकायत पर सिवाय धारा 184 के अधीन अथवा धारा 185 के अधीन अथवा धारा 187 की उप–धारा 2 के खण्ड ख के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

उपरोक्त वर्णित धारा 188 के तहत प्रदत शक्तियों के आधार पर आयोग द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अपनी अधिसूचना कमांक एस0ई0सी0/3ई–।।/2010/737 दिनांक 23.03.2010 के तहत सभी उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अधिकृत किया गया है।

———————

अध्याय–16

आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाहीः मतदान स्थगित होना

यद्यपि मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न हो इसके लिये सुरक्षा सहित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है फिर भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है, जिनमें कि मतदान की कार्यवाही जारी रखना सम्भव न हो। मतदान केन्द्र पर खुली हिसां/बलवे (riot) *आदि के कारण या आग लगने, तेज आन्धी, बारिश आने आदि आपदा के कारण मतदान की प्रकिया रूक सकती है ।*

2. यदि हिसां/बलवे (riot) *हो जाये अथवा होने की सम्भावना हो तो सुरक्षा हेतू नियुक्त पुलिस कर्मियों की मदद लेनी चाहिये। यदि प्रयास के बाद भी बलवा या हिसां के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में मतदान जारी रखना सम्भव न हो तो आपको मतदान रोक देना चाहिये और इस आशय की औपचारिक घोषणा सभी उपस्थिति व्यक्तियों के समक्ष होनी चाहिये। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में यदि आपको मतदान चालू रखना सम्भव प्रतीत न हो तो मतदान बन्द कर देना चाहिये और उपरोक्तानुसार कही उसकी औपचारिक घोषणा करनी चाहिये। मात्र अल्पकालिक वर्षा या तेज हवा का चलना मतदान स्थगित करने के लिये पर्याप्त कारण नहीं है ।*

3. मतदान स्थगित करने पर आपको निम्नालिखित कार्य तत्काल करने होगे–

i) *रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) को मामले के पूरे–पूरे तथ्य दर्शाते हुये तथ्यात्मक रिपोर्ट तत्काल भेजे। इस रिपोर्ट में न केवल घटना के तथ्यों/परिस्थितियों का वर्णन किया जाये बल्कि आपके एवं मौके पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी भी सम्मिलित की जाये।*

ii) *मतपेटी को (जिसमें कि मतदान रोकने के समय तक मतपत्र डाले गये होगे) ठीक उसी प्रकार सील करें जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में मतदान पूर्ण होने के पश्चात किया जाता है। इस मतपेटी को पूर्व में मतपत्रों से भरी तथा सील की हुई मतपेटियों के साथ (यदि कोई हो तो) सुरक्षित रख दें। वस्तुतः आपको मतपत्र लेखा तैयार करने, अन्य पैकटो को सीलबन्द करने तथा मतपेटियों, पैकटो आदि को रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) की ओर प्रेषित करने की कारवाईयां यथा साध्य ठीक उसी प्रकार करनी होगी जैसा कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने के उपरान्त की जाती है ।*

iii) *मतदान स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की सूचना रिटरनिंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी करेगा ।*

4. मतदान स्थगित करने के सम्बन्ध में आपको दिये गये विवेकाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिये जबकि मतदान चालू रखना वस्तुतः असम्भव हो जाये ।

5. मतदान के स्थगन पर प्रकिया

i) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 59 के अधीन यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान स्थगित किया जाता है तो नियम 55 से 58 (दोनों को मिलाकर) के उपबन्ध, यथासाध्य इस प्रकार लागू होगें मानों मतदान नियम 24 के अधीन उस निमित नियत किये गये समय पर बन्द किया गया था ।*

ii) *जब कोई स्थगित मतदान पुनः प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसे मतदाता जो इस प्रकार स्थगित मतदान पर पहले ही मत दे चुके है पुनः मत देने के लिये अनुज्ञात किये जायेगें ।*

iii) *रिटर्निंग अधिकारी पंचायत ऐसे मतदान केन्द्र पर जिस पर ऐसा स्थगित मतदान करवाना है, के पीठासीन अधिकारी को मतदाताओ की सूचि की चिन्हकित प्रति रखने वाले मुहरबन्द पैकटों तथा एक नई मतपेटी की व्यवस्था करेगा ।*

iv) *पीठासीन अधिकारी उपस्थित अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मुहरबन्द पैकेट खोलेगा तथा स्थगित मतदान पर मतदाताओं को जारी किये गये मतपत्रों की क्रम संख्या अभिलिखित (रिकार्ड) करने के लिये मतदाताओं की सूचि की चिन्हकित प्रति का उपयोग करेगा ।*

6. ***पुर्नमतदान की कार्यवाही*** *– उपरोक्तानुसार स्थगित किया गया मतदान जब पुनः प्रारम्भ किया जाये तो आपको रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति का मूल सीलबन्द पैकट दिया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा आपको सामग्री के साथ नई मतपेटी भी दी जायेगी। मतदान पुनः आरम्भ करने के पूर्व उस समय उपस्थिति मतदान अभिकर्ताओ के समक्ष आप सीलबन्द पैकेट खोलें तथा मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति के अनुसार आगे मतदान करायें। उन मतदाताओं को जिन्होने स्थगित मतदान के दौरान अर्थात पहले से ही अपने मत दे दिये हो फिर से मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस प्रकार कराये गये पुर्नमतदान के मामले में मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के उपरान्त की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां ठीक उसी प्रकार से की जायेगी जैसा कि सामान्य परिस्थितियों में कराये जाने वाली मतदान के लिये की जाती है ।*

7. ***मतपेटियों इत्यादि के विनाश की दशा में नया मतदान–***

1) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 61 के अन्तर्गत यदि किसी चुनाव में–*

   i) *किसी मतदान केन्द्र में उपयोग की गई कोई मतपेटी पीठासीन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी पंचायत की अभिरक्षा में से गैर कानूनी तरीके ले ली जाती है अथवा संयोगवश, अथवा जानबूझकर नष्ट अथवा गुम कर दी जाती है अथवा ऐसी सीमा तक नष्ट की जाती है अथवा विरूपित की जाती है कि उस मतदान केन्द्र की मतदान का परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जाता सकता, अथवा*

   ii) *प्रकिया में ऐसी कोई गलती अथवा अनियमितता जिससे मतदान के दूषित होने की सभांवना हो, किसी मतदान केन्द्र में की जाती है, तो रिटर्निंग अधिकारी पंचायत जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त को मामले की तुरन्त रिपोर्ट करेगा ।*

2) *उस पर, राज्य निर्वाचन आयुक्त सभी तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में लेने के बाद या तो–*

   i) *मतदान केन्द्र पर मतदान के शून्य होने की घोषणा करेगा, तथा उस मतदान केन्द्र पर नया मतदान करवाने के लिये दिन नियत तथा समय निश्चित करेगा तथा इसी प्रकार नियत किये गये दिन तथा इस प्रकार निश्चित किये गये समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जिसे वह उचित समझे, अथवा*

   ii) *यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि उस मतदान केन्द्र पर किसी नए मतदान का परिणाम किसी भी प्रकार से निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा अथवा प्रकिया में गलती अथवा अनियमितता तात्विक नहीं है, रिटर्निंग अधिकारी पंचायत को ऐसे निर्देश जारी करेगा जो वह निर्वाचन के आगे संचालन तथा पूरा करने के लिए उचित समझे।*

3) *अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा आदेशों के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे नए मतदान को लागू होंगे जैसा कि वे मूल मतदान को लागू होते हैं।*

अध्याय–17

मतपत्र लेखा तैयार करना

1. जैसा कि पूर्व अध्यायों में आपको बताया गया है, सभी पदों के चुनाव मतपेटियों द्वारा होने की दशा में आपको चार प्रकार के मतपत्र दिये जायेगें। ग्राम पंचायत के पंचों के निर्वाचन के लिये आपको वार्डवार मतपत्र दिये जायेगें। उदाहरण के लिये यदि आपका मतदान केन्द्र 6 वार्डों से सम्बन्धित है, तो आपको प्रत्येक वार्ड के लिये मतपत्रों की अलग–2 गड्डियां दी जायेगी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के लिये सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद के सदस्य के लिये मतपत्रों की अलग–2 गड्डियां दी जायेगी। पंच के निर्वाचन के मामले में प्रत्येक वार्ड के लिये तथा सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के मामले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये आपको ***परिशिष्ट–14*** **(*प्ररूप–13*)** *में मतदान के पश्चात अलग–2 मतपत्र लेखा तैयार करना होगा ।*

*2. मतपत्र लेखा के प्ररूप की प्रारभिंक पंक्तियों में पंच के लिये वार्ड कमांक तथा ग्राम पंचायत का नाम भरा जाना है। सरपंच के मामले में केवल ग्राम पंचायत का नाम भरा जाना है। पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्य के मामले में केवल मतदान केन्द्र तथा वार्ड संख्या भरा जाना है। तत्पश्चात आप निम्नांनुसार प्रविष्टियां/*entries *करें–*

i) *सरल कमांक–1 में आपको सम्बन्धित निर्वाचन के लिये प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या लिखनी है। कम संख्या के कालम में आप 50–50 या 20–20 की गड्डिया (जैसे भी स्थिति हो) में प्राप्त मतपत्रों के प्रथम एवं अन्तिम अनुकमांक लिखते हुये सामने कुल संख्या लिख दें । फिर सभी का योग कुल संख्या के कालम में नीचे लिख दें ।*

ii) *सरल कमांक–2 में आपको अनुकमांक के नीचे कुछ नहीं लिखना तथा कुल संख्या के नीचे जारी किये गये मतपत्रों की संख्या लिखनी है ।*

iii) *सरल कमांक–3 में आपको उपयोग में न लाये गये मतपत्रों की संख्या लिखनी है। यहां आप उन मतपत्रों की संख्या लिखे जो मतदान समाप्ति के बाद आपके पास शेष रह रहे हो, चाहे उनके पृष्ठ भाग पर सुभेदक रबर सील लगी हो या नहीं और आपने हस्ताक्षर किये हो या नहीं। यह विवरण भी दो या तीन लाईनों में शेष रहे मतपत्रों के अनुकमांक (प्रथम व अंतिम) दर्शाते हुये सामने संख्या लिखते हुये अन्त में कुल संख्या के कालम में मतपत्रों की संख्या का योग लिखकर पूर्ण किया जायेगा।*

iv) *सरल कमांक–4 में आपको उन मतपत्रों का हिसाब देना है जो प्रयोग में लाये गये है (अर्थात् सरल कमांक–2 में सम्मिलित है) परन्तु मतदाता द्वारा मतपेटी में नहीं डाले गये है। कमांक–5 में निविदत (जिसका मत डल चुका है बाद में उपस्थित व्यक्ति का मतपत्र लेकर रखा गया है) मतपत्र लिखना है, कमांक–4 में उन मतपत्रों की संख्या लिखी जायेगी जो कि रदद किये गये है। इनमें प्रमुखतः मतदाताओ द्वारा असावधानी बरतने के कारण रद्द किये गये मतपत्र और प्राप्त कर लेने के बाद मत न डालने का निश्चय करने वाले मतदाताओं द्वारा मतपत्र लौटा दिये जाने के कारण रद्द किये गये मतपत्र सम्मिलित है। जारी होने के बाद मतपेटी में न डाला गया और मतदान केन्द्र में या उसके निकट में पाया गया मतपत्र भी इस श्रेणी में आता है ।*

v) *सरल कमांक–6 में अनुकमांक के नीचे कुछ नहीं लिखा जायेगा। कुल सख्या के नीचे आपको सरल कमांक–3 और 4 का अन्तर लिखना होगा।*

3. ***उदाहरण*** *– 50 मतपत्रों की एक गड्डी और 20–20 मतपत्रों की दो गड्डियां इस प्रकार यदि किसी ग्राम पंचायत के वार्ड कमांक–2 के लिये आपको 90 मतपत्र दिये गये है तो सरल कमांक–1 में आप निम्नानुसार प्रविष्टि करेगे–*

(1)	*मतदान केन्द्र के लिये पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या*	00551 *से* 00600 00841 *से* 00860 00961 *से* 00980	50 20 20
		योग	90

मान ले, मतदान समाप्ति के पश्चात आपके पास 31 मतपत्र शेष रहते है। आप इन मतपत्रों के अनुकमांक का कम देख लें। सरल कमांक–3 में उपयोग में न लाये गये मतपत्रों की प्रविष्टि निम्नानुसार हो–

(2)	*प्रयोग में लाये गये मतपत्रों की संख्या* (1-3=2)	90-31	59

अब सरल कमांक–3 में प्रविष्ट निम्नानुसार होगी–

(3)	*उपयोग में न लाये गये मतपत्रों की संख्या*	00591 *से* 00600 00859 *से* 00860 00961 *से* 00979	10 02 19
		योग	31

सरल कमांक–4 में उपयोग में लाये गये परन्तु मतपेटी में नही डाले गये मतपत्रों का विवरण दिया जायेगा। मान लीजिये कि मतपत्र कमांक 00561 तथा 00572 रदद किये गये है। इनमें से एक मतपत्र लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किया गया है तथा दूसरा लौटाया गया–रदद किया गया की श्रेणी में में है। यह मानने पर कि एक और मत निविदित हुआ है तब सरल कमांक –4 प्रविष्टि निम्नानुसार होगी–

(4)	*रद्द किये गये मतपत्र*	00561 और 00572	02
(5)	*निविदत मतपत्र*	10980	01
	योग (4+5)		03

अतः सरल कमांक –6 में प्रविष्टि निम्नानुसार होगी–

(5)	*मतपेटी में डाले गये मतपत्रों की संख्या* (2-4-5)	(59-03)	56

————————

अध्याय–18

मतगणना

1. मतगणना कार्य चुनाव प्रकिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गलत या असावधानी से की गई मतगणना से सारे चुनाव का परिणाम विकृत हो सकता है ।

2. हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम 1994 के नियमों के अन्तर्गत मतदान केन्द्र सभी पदों के लिये डाले गये मतों की गणना के लिये आपको प्राधिकृत किया गया है। मतगणना के पश्चात आप विभिन्न पदों के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या का ऐलान भी कर सकते हैं। ऐलान का अभिप्रायः निर्वाचन परिणाम की घोषणा नहीं है। इसका आशय केवल यह है कि आप मतगणना केन्द्र में उपस्थिति उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन/गणन एजेंटों को आप पढ़कर यह सुना देगें कि किस–किस उम्मीदवार को कितने कितने विधिमान्य मत प्राप्त हुये हैं।

3. पंचों एवं सरपंचों के मामले में मतों की गणना मतदान खत्म होने के तुरंत बाद की जाती है, अतः यह आवश्यक है कि इन्ह पदों के मतों की गणना सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सभी बुथों पर मतदान खत्म हो जाने के उपरांत ही शुरू की जाए ।

4. सभी मतदान अधिकारी, मतों की गणना में गणना सहायक के रूप में आपकी सहायता करेगें। सामान्यताः मतदान केन्द्र पर ही मतदान समाप्ति के तत्काल पश्चात पंचों व सरपंचों के मामले में मतों की गणना की जायेगी तथा पंचायत समिति व जिला परिषद के मामले में मतगणना जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्धारित स्थान व निश्चित समय पर की जायेगी। यदि किसी मतदान केन्द्र पर हिंसा या गड़बड़ी की संभावना के कारण मतगणना करना उपयुक्त नहीं समझा गया हो तो, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा इसकी सूचना आपको अलग से दी जायेगी।

*5. मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान यदि आपको लगे कि ग्राम में बहुत अधिक तनाव का वातावरण है और मतगणना में हिसां और गड़बड़ी हो सकती है जिसे उपलब्ध बल नहीं रोक पायेगा तो आप मतगणना के घोषित स्थान, तारीख और समय में परिवर्तन करते हुये मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणना अभिकर्ताओ को सूचित करें कि मतगणना का स्थान वह खण्ड या तहसील मुख्याालय रहेगा जहां से आपको मतदान सामग्री का प्रदाय किया गया था तथा उसकी तारीख ठीक अगले दिन की होगी और समय दोपहर बाद का रहेगा। ऐसी सूचना दो प्रतियों में **परिशिष्ट–15** के अनुसार तैयार की जाये। सूचना की एक प्रति पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणना अभिकर्ताओ के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान लिये जायें तथा इसे आप अपने पास रखें। दूसरी प्रति मतदान केन्द्र के बाहर आम लोगों की जानकारी के लिये प्रदर्शित करें। आपके ऐसे निर्णय की सूची तत्काल रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी भेजें।*

6. मतदान स्थल पर मतगणना प्रारम्भ करने के पूर्व आप मतदान से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही जिसमें मतपत्र लेखा और ऐसे अन्य प्ररूपों को भरना, परिनियत और दूसरे लिफाफों को तैयार करके सील करना सम्मिलित है, पूर्ण कर लें। जिन लिफाफों तथा प्ररूपों की मतगणना में आवश्यकता नहीं है उन्हें व्यवस्थित ढंग से अलग रख दें।

7. यह ध्यान रखे कि मतगणना का समय भी हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम, 24 के तहत जारी अधिसूचना में पूर्व से अधिसूचित है। अतः आपको यह कार्य यथासंभव समय पर प्रारम्भ करना है। विलम्ब से होने से सुर्यास्त के बाद तक अर्थात् देर शाम तक मतगणना करनी पड़ेगी, जिसमें काफी असुविधा हो सकती है ।

8. मतगणना के उपरान्त लिफाफे सील करने में समय लग रहा हो तो मतपत्र लेखा तैयार करने के बाद सर्वप्रथम निम्नांकित लिफाफें सील करें–

i) *मतदाता सूचि की चिह्नित प्रति वाले*

ii) *रद्द किये गये मतपत्रों वाले*

iii) *निविदत मतपत्रों एवं सूचि वाले*

iv) *उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण वाले*

v) *मतदाताओ को जारी न किये गये मतपत्रों वाले*

9. मतगणना के लिये मतदान केन्द्र में बैठने की व्यवस्था को पुनः जमा लें। मेजों और कुर्सियों को पास में लाकर अपने तथा अपने सहायकों के बैठने का स्थान तय करें। मतगणना दल की कुर्सियों के पीछे या मेजों के किनारों से थोड़े फांसले से उम्मीदवारों तक उनके निर्वाचन/गणना एजेंटों के लिये कुर्सियां लगायें। यदि पर्याप्त संख्या में कुर्सियां न हो तो बैठने की व्यवस्था जमीन पर दरी या चादर बिछा कर करें। गणना अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओ को इस प्रकार बैठाना चाहिये कि वे मतगणना की कार्यवाही तथा मतपत्रों को देख सके। उन्हें मतपत्रों को छूने न दें। यदि मतगणना में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता स्वयं उपस्थित हो तो फिर उसके गणना अभिकर्ता को उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। उसे विनम्रता से बाहर प्रतीक्षा करने को कहें। किसी अभ्यर्थी की ओर से मतदान या मतगणना के दौरान एक व्यक्ति का रहना पर्याप्त है। यह उल्लेखनीय है कि एक ही मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता एक से अधिक अभ्यर्थियों का अभिकर्ता हो सकता है ।

10. मतगणना में लगने वाले आवश्यक प्ररूप 14,15, 16 और 17 पर सम्मिलित है अपने पास रख लें। उनके साथ ही निम्नानुसार सामग्री की भी मतगणना में आवश्यकता पड़ेगी–

i) *पैसिलें*
ii) *चाक*
iii) *कागज के दो पन्ने*
iv) *गीला स्पंज या छोटे प्याले में पानी*
v) *सुतली*
vi) *रबड़ बैन्ड*
vii) *एक या दो पेपर वेट या पत्थर के छोटे टुकड़े*
viii) *गणना पर्चियां*
ix) *लपेटने के लिये शीट*
x) *धागा*
xi) *ब्लेड*
xii) *सुंआ*
xiii) *सीलिंग मैट्रियल (चपड़ी, मोमबती, मैटल सील)*
xiv) *ट्रे (यदि उपलब्ध हो तो)*

11. 1) *यह सुनिश्चित करे कि मतगणना स्थल में केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही उपस्थित रहे। ऐसे व्यक्तियों में केवल निम्नांकित व्यक्ति हो सकते हैं–*

(i) *जिन्हें मतगणना करने में आपकी सहायता करने के लिये नियुक्त किया गया हो ।*
(ii) *आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ।*
(iii) *निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी*
(iv) *उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता ।*

2) *यदि गणना कक्ष में अन्य व्यक्ति हो तो उन्हें हटा दें एवं आपके केन्द्र पर नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दें कि वे उपरोक्त व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी को अन्दर न आने दें। कक्ष में उपस्थित व्यक्तियों का भी बार–2 अन्दर बाहर आवागमन नियन्त्रित करें।*

3) *गणना अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा* ***प्ररूप–23 (परिशिष्ट–16)*** *में की जावेगी। वह इसकी एक प्रति आपको प्रस्तुत करेगा। इस घोषणा वाले भाग पर आपके समक्ष गणन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जावेगें एवं आपके द्वारा इसे सत्यापित किया जायेगा। इसके पश्चात ही गणना अभिकर्ता मतदान की प्रकिया में उपस्थित रहने का अधिकारी होगा ।*

12. ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो मतगणना के दौरान अनुचित व्यवहार करे और आपके विधिपूर्ण निर्देशों का पालन न करे, गणना कक्ष से आप हटा सकते हैं।

13. मतपेटियों को खोलने से पूर्व आप उपस्थित उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन/मतगणना अभिकर्ताओं को उनका निरीक्षण करा दें ताकि वे आश्वास्त हो सके कि मतपेटियों पर लगाई गई सीले जिस स्थिति में थी ज्यों की त्यों हैं और किसी भी मतपेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है ।

14. चूंकि पंच एवं सरपंच के मामले में मतगणना, मतदान स्थल पर ही मतदान की समाप्ति के तत्काल बाद की जायेगी। अतः मतपेटियों में गड़बड़ी की सम्भावना बहुत कम है। फिर भी यदि पीठासीन अधिकारी को ऐसा लगे कि किसी मतपेटी में कोई गड़बड़ की गई है तो मतगणना न करें और मामले की पूरी रिपोर्ट रिटर्निंग आफिसर को भेजें तथा ऐसी स्थिति में मतपेटियां यथास्थिति सुतली से बांध कर सील करें। फिर उन्हें कपड़े के थैले में बांधकर सील करें और उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओ को भी उस पर अपनी सील लगाने दें। ऐसी मतपेटियां और लिफाफे, अन्य सामग्री तथा पी0ओ0 की रिपोर्ट के साथ मतदान सामग्री वितरण केन्द्र पर रिटर्निंग आफिसर /सहायक रिटर्निंग आफिसर को सौंपने होंगे।

15. मतपेटियों की हालत पर संतुष्टि के पश्चात एक–एक करके मतपेटी खोलें। मतपेटी को उल्टा कर के झटक कर यह भी देख लें कि उसके अन्दर कोई मतपत्र बचा तो नहीं रह गया है। प्रत्येक मतपेटी में से पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिये डाले गये अलग–2 रंगों के मतपत्र निकलेगें। प्रथमतः रंग के आधार पर मतपत्रों की अलग–अलग गड्डियां बना लें। फिर पचास पचास मतपत्रों की गड्डियां बनायें। अतिंम गड्डी 50 मतपत्रों से कम की भी हो सकती है। मतदान केन्द्र पर यदि एक से अधिक मतपेटियां उपयोग में लाई गई हों तो पहली मतपेटी खोलने के बाद दूसरी मतपेटी खोलें और उपरोक्तानुसार कार्यवाही करके तीसरी और उसके बाद चौथी मतपेटी खोलें। मतपत्रों की छंटनी करके गड्डियां बनाते जायें।

नोट– *निविदत मतपत्र वाला कोई भी लिफाफा ना तो खोला जायेगा और ना ही उसमें रखे मतपत्रों की गणना की जायेगी ।*

16. इसके बाद पदवार मतगणना प्रारम्भ की जा सकती है। प्रथमतः पंच पद के लिये प्राप्त मतों की गणना करें। इसके बाद सरपंच के लिये मतगणना करें। चूंकि पंच पद के लिये डाले गये मतपत्रों में मतदान से सम्बन्ध सभी वार्डों के मतपत्र सम्मिलित हैं अतः उनकी वार्डवार गिनती तब तक सम्भव नहीं है जब तक उन्हें पलट कर उसके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्ड कमांक नहीं देख लिये जाते। अतः इन मतपत्रों को पलट कर सबसे पहले उनकी वार्डवार छंटनी करें। उसके बाद उन्हें फिर से सीधे करते हुये उनकी वार्डवार गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैंड से बांध लें। अब प्रत्येक वार्ड की गड्डी की बारी–बारी से गणना प्रारम्भ करें।

17. प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गये मतपत्रों को पचास–पचास की गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैंड से बांध लें। आखरी गड्डी पचास मतपत्र से कम की हो सकती है। उम्मीदवार को प्राप्त मतों की समस्त

गड्डियां फिर एक ही टैग व रबर बैंड से बांध लें, जिन मतपत्रों को खारिज किये जाने की संभावना हो, उन्हें सदेंहास्पद श्रेणी में रखकर उनकी एक अलग गड्डी बना लें।

18. 1) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 65 के अनुसार किसी मतपत्र को रद्द कर दिया जावेगा यदि–*

i) *उस पर ऐसा कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या*

ii) *वह बनावटी मतपत्र है, या*

iii) *वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उनकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है, या*

iv) *वह उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने के लिये प्राधिकृत मतपत्रों के यथा स्थिति अनुकमांको से भिन्न अनुकमांक या भिन्न प्रकार का है, या*

v) *उस पर सुभेदक सील नहीं लगी है, या*

vi) *उस पर कोई चिन्ह (अर्थात घूमने वाले तीरों का चिन्ह) नहीं लगा है, या*

vii) *एक से अधिक अभ्यर्थी के कालम में चिन्ह लगाया गया है, या*

viii) *उस पर उस प्रयोजन के लिये विहित उपकरण या युक्ति (अर्थात् दी गई घूमने वाले तीरों की सील) से भिन्न उपकरण या युक्ति से चिन्ह लगाया गया है ।*

ix) *किन्तु यदि आपका समाधान हो जाये कि खण्ड (घ) या खण्ड (ङ.) में वर्णित कोई त्रुटि आपकी या मतदान अधिकारी की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है तो आप यह निर्देश दे सकते है कि वह इस त्रुटि पर ध्यान नहीं देकर इस आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा ।*

2) *किसी मतपत्र को केवल इस कारण रद्द नहीं किया जायेगा कि–*

(एक) *किसी एक ही उम्मीदवार के खाने में एक से अधिक चिन्ह लगाये गये है, या*

(दो) *एक से अधिक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग या गहरे रंग वाले भाग में भी चिन्ह लगे हुये हैं, या*

(तीन) *वह चिन्ह किसी एक उम्मीदवार के खाने में आंशिक रूप से लगा है तथा चिन्ह का शेष भाग खाली स्थान में लगा है, या*

(चार) *मूल चिन्ह किसी एक ही उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट रूप से बना है किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण किसी दूसरे उम्मीदवार के खाने में भी उसकी छाप बन गई है । यदि मतपत्र को गलत मोड़ने के कारण छाप बन गई है तो उसमें तीरों की दिशा उल्टी तरफ (बांयीं ओर से दांयी ओर को) होगी तथा इन्हें मूल चिन्ह से सरलतापूर्वक विभेदित (अलग) किया जा सकता है क्योंकि मूल चिन्ह के निशान दांयी ओर से बांयी ओर को होगें, या*

(पांच) *चिन्ह किसी एक उम्मीदवार के खाने में लगा है परन्तु किसी दूसरे उम्मीदवार के सामने वाले खाने में भी धब्बा बन गया है, या*

(छः) *मतपत्र के पीछे कोई विभेदक (अलग) चिन्ह और हस्ताक्षर नहीं है परन्तु आपको यह समाधान हो जाये कि वह चूक आपकी या मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या विफल रहने के कारण हुई या*

(सात) *मत उपदर्शित करने वाला चिन्ह स्पष्ट है कि एक से अधिक बार लगाया गया है यदि मतपत्र चिह्नित किये जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से यह मालूम हो जाये कि वह चिन्ह किसी विशिष्ट उम्मीदवार को मत देने के आशय से लगाया गया है, या*

(आठ) *मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे पर लगी स्याही से जो मतपत्र के प्रतिपर्ण (कांउटर फाईल) पर अंगूठे के निशान लेते समय लगाई गई थी मतपत्र पर हल्का सा अस्पष्ट अंगूठे का निशान या धब्बा लग गया हो ।*

19. संदेहास्पद मतपत्रों की सुक्ष्म जांच की जावे। जिन मतपत्रों को खारिज करने योग्य न समझे उन्हें सम्बन्धित उम्मीदवारों की गड्डी में मिलायें। जो मतपत्र खारिज किये जायें उनके पीछे आदेश अभिलिखित करें इसके लिये निम्न प्रारूप में अलग से एक रबर सील दी गई है–

प्रतिक्षेपित (खारिज) "आर"
आधार
नियम 65 (1) (_____)

_____

हस्ताक्षर

*20. उपरोक्त जांच के पश्चात उम्मीदवारों को मिले विधिमान्य मतों की गणना करें। गिने जा चुके विधिमान्य मतों को 50–50 की गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैड से बाधें। अतिंम गड्डी में 50 से कम मतपत्र हो सकते हैं। इसके पश्चात पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिये नियत मतगणना पत्रक/परिणाम जो कि **परिशिष्ट–17 से 20** यानी प्ररूप **14,15, 16 और 17** पर है, में प्रविष्टियां करें। प्रत्येक पद के लिये मतगणना पत्रक तैयार हो जाने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधिमान्य मतों की संख्या का ऐलान सर्व सम्बन्धित की जानकारी के लिये करें।*

21. विधिमान्य मतों की संख्या का ऐलान किये जाने पर यदि कोई उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता मतपत्रों की पुर्नमतगणना की मांग करे तो उसे उन आधारों का वर्णन करते हुये जिन पर वह ऐसी पुर्नमतगणना की मांग करता है लिखित में आवेदन करना होगा। उसे ऐसा करने के लिये कुछ समय दें। आवेदन प्रस्तुत होने पर उसमें उल्लिखित आधारों के बारे में विचार करें। आवेदन को पूर्णतः या भागत मजूंर कर सकते हैं या उस दशा में जब वह तुच्छ या अयुक्तियुक्त कारणों पर आधारित हो उसे अमान्य कर सकते हैं। ऐसा हर निर्णय कारणों सहित लिखित में होना चाहिये।

यदि प्रस्तुत आवेदन पत्र को पूर्णतः या भागतः स्वीकार करने का निर्णय करे तो–

(i) *निर्णय के अनुसार मतपत्रों की पुर्नमतगणना करें*

(ii) *गणना परिणाम पत्र को ऐसी पुर्नमतगणना के पश्चात संशोधित करें और*

(iii) *संशोधन के पश्चात प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या का पुनः ऐलान करें।*

तत्पश्चात गणना परिणाम पत्र को पूरा करके हस्ताक्षारित करें। इसके बाद पुर्नगणना के लिये कोई आवेदन मान्य नहीं होगा ।

22. किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन/मतगणना अभिकर्ता द्वारा उसे प्राप्त विधिमान्य मतों के विवरण की प्रति मांगने पर उसे निम्नांकित प्रपत्र में एक गणना पर्ची हस्ताक्षरित करके दें–

गणना पर्ची
(पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य , जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन)
मतदान केन्द्र कमांक
वार्ड कमांक ————————— (केवल पंच के लिये)
ग्राम पंचायत —————————(केवल पंच और सरपंच के लिये)
निर्वाचन क्षेत्र कमांक ———(सदस्य पंचायत समिति/जिला परिषद के लिये)
अभ्यर्थी का नाम
प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या
तारीख : पीठासीन अधिकारी
एवं मतगणना के लिये प्राधिकृत अधिकारी

इस हेतू खाली पर्चियां पर्याप्त संख्या में मतदान सामग्री के साथ दी जायेगी ।

23. मतगणना लगातार की जायेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारण जैसे कि हिंसा या प्राकृतिक आपदा से मतगणना स्थगित करनी पड़े तो चुनाव से सम्बन्धित मतपत्रों, पैकटों और अन्य कागजों को सीलबन्द करें । ऐसे सीलबन्द लिफाफों/पैकटों पर जो उम्मीदवार या उनके निर्वाचन/गणना अभिकर्ता अपनी सील लगानी चाहे उन्हें ऐसा करने दें। ऐसे लिफाफें और पैकटों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये पर्याप्त सावधानी बरतें।

24. उपरोक्त पूरी कार्यवाही के पश्चात अलग–2 उम्मीदवारों को मिले विधिमान्य मतों तथा खारिज मतपत्रों की गड्डियों का एक बण्डल बनायें और उनके उपर गणना पर्ची लगायें। पदवार बंडल बनाकर और उन्हें वर्णित प्रकिया के अनुसार सीलबन्द करें ।

25. **मतदान केन्द्र पर मतगणना न होने की स्थिति में मतगणना की व्यवस्था–**

1) पंचायत निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर ही सामान्यतः मतगणना किये जाने के निर्देश हैं इसका अपवाद केवल ऐसे मतदान केन्द्र होगें जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से मतगणना न कराये जाने का निर्णय ले या जहां अचानक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाये या प्राकृति आपदा के कारण प्राधिकृत अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) मतगणना न करने का निर्णय लें। ऐसे मतदान केन्द्रो से मतपेटियां वापस सामग्री वितरण केन्द्र पर लाई जायेगीं और वहीं से अगले दिन मतगणना की व्यवस्था की जायेगी। इस बारे में यह घोषित किया जाना होगा कि क्या उस मतदान केन्द्र की मतगणना उसी केन्द्र पर या किसी अन्य स्थान पर अगले दिन की जायेगी। इस सम्बन्ध में जो निर्णय लिया जायेगा उसकी घोषणा कर दी जायेगी और सभी अभ्यर्थियों तथा उनके अभिकर्ताओं को सूचित कर दिया जायेगा। ऐसे मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारियों से, काउंटर पर मतपेटियां जमा करवाते समय निम्नांकित प्रपत्र में रसीद–सह–सूचना पत्र दिया जाये–

पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क्रमांक ——————————
स्थान ————————— से —————————बड़ी तथा —————————छोटी मतपेटियां सील की हुई हालत में प्राप्त हुई ।

पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त मतदान केन्द्र पर डाले गये मतपत्रों की गणना के लिये अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ तारीख —————को————— बजे पूर्वाहन —————————(स्थान) पर उपस्थित हो ।

हस्ताक्षर
सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)

2) *जिस स्ट्रांग रूम में मतपेटियां रखी जावे उसे सभी मतपेटियां जमा हो जाने पर सील किया जावे, जो भी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचक अभिकर्ता स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर लगाये गये ताले में अपनी भी सील लगाना चाहे, उसे ऐसा करने की अनुमति दी जावे। अगले दिन मतगणना के लिए मतपेटियां ले जाने हेतू स्ट्रांग रूप खोले जाने के समय तक यदि कोई अभ्यर्थी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उस कक्ष के बरामदें में खुद ही पहरेदारी के लिए बैठना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी जावे, परन्तु ऐसे प्रहरी को अपने साथ कोई भी शस्त्र रखने की अनुमति न दी जाये।*

3) *मतगणना सम्पन्न कराने के लिये निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जावे–*

(i) *मतगणना कार्य के लिये वितरण केन्द्र पर किसी पाठशाला या अन्य शासकीय भवन के एक बड़े आकार का कमरा चुना जाये जिसमें छः या सात मेजों की दो पंक्तियां लगाई जा सके, मेजे उपलब्ध न होने की दशा में दरी बिछाने की व्यवस्था की जावे ।*

(ii) *प्रत्येक मेज पर मतगणना के लिये निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध कराई जाये:–*

(क) *लेखन सामग्री :–*

1. *पैसिंल*
2. *चाक*
3. *कागज के दो पन्ने*
4. *गीला स्पंज या छोटे प्याले में पानी*
5. *सुतली*
6. *रबर बैंड*
7. *एक या दो पेपर वेट या पत्थर के छोटे टुकडे*
8. *धागा*
9. *ब्लेड*
10. *सुआ*
11. *सीलिंग मटेरियल (चपड़ी, मोमबती,मेटल सील)*
12. *ट्रे (यदि उपलब्ध हो तो)*
13. *प्रतिक्षेपित (खारिज)होने वाले मतपत्रों पर कारण दर्ज करने के लिये सील*
14. *स्टैम्प पैड (जो प्र्याप्त गीला हो)*

(ख) *लिफाफे एवं शीटस*

1. *लिफाफा (मतगणना परिणाम)*
2. *शीट दो (वार्डवार पंचो के मतपत्रों को लपेटने एवं सील करने हेतू)*
3. *शीट तीन (सरपंच, सदस्य पंचायत समिति /जिला परिषद सदस्यों के मतपत्रों को लपेटने एवं सील करने हेतू)*

(ग) *प्ररूप*

1. *प्ररूप 14 (मतगणना पंच) मतदान केन्द्र से सम्बन्ध उप–वार्डों की संख्या के बराबर जिसमें चुनाव हुआ।*
2. *प्ररूप–15 भाग एक (मतगणना सरपंच)*
3. *प्ररूप–16 भाग एक (मतगणना पंचायत समिति)*

4. *प्ररूप–17 भाग एक (मतगणना जिला परिषद)*
5. *गणना पर्चिया– विभिन्न पदो के लिये निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या से दुगुनी ।*

4) *पंच/सरपंच के मतो की गणना, सम्बन्धित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पर्यवेक्षण में उस मतदान केन्द्र के अधिकारी द्वारा मतदान के तुरन्त बाद मतदान केन्द्र पर ही की जायेगी ।*

5) *सदस्य पंचायत समिति एंव जिला परिषद के मतों की गणना राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्धारित तिथी, समय एंव स्थान पर की जायेगी।*

6) *मतगणना के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पीठासीन अधिकारियों के लिये मार्गदर्शिका नामक पुस्तिका में वर्णित है, ये ही निर्देश सामग्री वितरण केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना के लिये भी लागू होगें ।*

26. ***विशेष****– यदि किसी मतदान केन्द्र पर किसी कारण से मतगणना रूक जाने के लिये, उससे सम्बन्धित मतगणना परिणाम–पत्र प्राप्त न हो तो उस मतदान केन्द्र को छोडकर शेष केन्द्रों का सारणीकरण कार्य कर लिया जाये परन्तु संगत/सम्बन्धित प्ररूप के उपर एक चिट लगा दी जाये कि सारणी में फलां फलां कमांक के मतदान केन्द्र /केन्द्रों पर डाले गये मतों का समावेश नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में विवरणी तैयार करने का कार्य रोक दिया जायेगा । स्वाभाविक है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम की घोषणा भी रोक दी जायेगी ।*

नोटः *पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति एंव सदस्य जिला परिष्द के निर्वाचन परिणामों का सारणीकरण और विवरणी तैयार करने की व्यवस्था* ***परिशिष्ट 21*** *अनुसार हो सकती है।*

हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 में वर्णित मतगणना बारे नियम

1. ***मतों की गणना का अधीक्षण****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 62 के अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन में, जहां मतदान कराया जाता है, मतों की गणना या तो रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के अधीक्षण तथा निर्देशन में करवाई जायेगी और प्रत्येक चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अथवा उसके गणन अभिकर्ताओं को मतगणना के समय उपस्थिति रहने का अधिकार होगा।*

2. ***मतगणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश***

1) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 63 के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी पंचायत या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी निम्नलिखित के सिवाय मतों की गणना के लिए नियत किए गए स्थान से सभी व्यक्तियों को निकाल देगा–*

ऐसे व्यक्ति जिन्हें वह गणना में उसकी सहायता के लिए नियुक्त करें,

राज्य निर्वाचन आयुक्त अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

निर्वाचन के कार्य के सम्बन्ध में लगे सरकारी कर्मचारी, और

उम्मीदवार अथवा उनके गणन अभिकर्ता।

2) *निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा उस द्वारा इस निमित प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी यह निर्णय करेगा कि किस गणन अभिकर्ता अथवा अभिकर्ताओं द्वारा किसी विशेष गणनाटेबल अथवा गणना टेबलों के समूह में गणना की निगरानी की जाएगी।*

3) *कोई व्यक्ति, जो मतगणना के समय स्वंय गलत व्यवहार करता है व निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा इस निमित उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा अथवा ड्यूटी पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जहां मतों की गणना की जा रही है, उसे इस स्थान से हटाया जा सकता है।*

3. ***मतपेटियों की छानबीन तथा खोलना***

1) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 64 के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी एक से अधिक मतदान केन्द्रों के मतपत्र रख सकता है, उपयोग कर सकता है, खोल सकता है, एक साथ उनकी विषय वस्तुओं को गिन सकता है।*

2) *गणना टेबल पर किसी मतपेटी के खोले जाने से पूर्व टेबल पर उपस्थित गणना अभिकर्ता पेपर अथवा ऐसी अन्य मोहर, जो उस पर लगी हुई है, निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात किए जायेंगें और स्वयं को सन्तुष्ट करेंगे कि यही सही है।*

3) *रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपनी संतुष्टि करेगा कि वास्तव में किसी भी मतपेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।*

4) *यदि रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अन्य अधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि वास्तव में किसी मतपेटी के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उस मतपेटी में दिए गए मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और उसे मतदान केन्द्र के सम्बन्ध में नियम 61 में अभिकथित (दी गई) प्रकिया का अनुसरण करेगा।*

4. ***मतपत्रों की छानबीन तथा रद्द करना***

1) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 65 के अन्तर्गत किसी मतपेटी में रखे मतपत्र को रदद कर दिया जाएगा, यदि–*

i) *इस पर कोई चिह्न अथवा लिखाई है, जिसके द्वारा मतदाता पहचाना जा सकता है,*

ii) *यह अप्रमाणिक मतपत्र है,*

iii) *यह इस प्रकार नष्ट हो गया है अथवा कट कर गया कि असली मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती,*

iv) *किसी विशेष मतदान केन्द्र में उपयोग के लिए प्राधिकृत मतपत्र की कम संख्या अथवा बनावट, जैसी भी स्थिति हो, से भिन्न कम संख्या तथा बनावट है,*

v) *इस पर ऐसा चिह्न नहीं है जो नियम 49 के उप नियम 3 के उपबन्धों के अधीन इस पर होना चाहिए,*

vi) *यह चिह्नित नहीं किया गया है,*

vii) *यह एक से अधिक उम्मीदवार के खानों में चिह्नित किया गया है, अथवा*

viii) *यह उस प्रयोजन के लिए विहित उपकरण तथा रीति से भिन्न किसी उपकरण तथा रीति में चिह्नित किया गया है*

2) *परन्तु जहां रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की सन्तुष्टि होने पर कि कोई ऐसी त्रुटि जो कि उपर वर्णित है, सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्र में उपयोग किए गए सभी या किसी मतपत्र के सम्बन्ध में गलती अथवा चूक के कारण रही है, या निर्देश दिया है कि त्रुटि अनदेखी कर देनी चाहिए तो उपरोक्त के अधीन केवल ऐसी त्रुटि के आधार पर कोई मतपत्र रदद नहीं किया जाएगा ।*

3) *परन्तु यह और कि मतदाता द्वारा किया गया चिह्न मतपत्र के दोनों खानों में फैल गया है, तो मत उस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाएगा, जिसके खाने में चिह्न का अधिकांश भाग आता है।*

4) *किसी मतपत्र को रदद करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई अन्य अधिकारी उपस्थित प्रत्येक गणन अभिकर्ता को मतपत्र के निरीक्षण का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात करेगा किन्तु इसे अथवा किसी अन्य मतपत्र को छूने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।*

5) *रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी प्रत्येक मतपत्र जिसे वह रद करता है, ष्आरष् लिखेगा और रद्द करने के आधार या तो उसके अपने हाथ से अथवा रबड़ की स्टाम्प द्वारा संक्षिप्त रूप में होंगे।*
उक्त आधार पर रद्द किए गए सभी मतपत्र इक्टठे बंधे होंगे।

5. ***मतों की गणना***

1) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 66 के अन्तर्गत प्रत्येक मतपत्र जो नियमानुसार रद्द नहीं किया गया है, गिना जायेगा।*
परन्तु निविदा मतपत्र रखने वाला कोई कवर नहीं खोला जाएगा ओर ऐसा मतपत्र गिना नहीं जाएगा।

2) *सभी मतपेटियों में रखे गये सभी मतपत्रों की गणना पूरी होने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कमशः पंच, सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के सदस्यों के लिए प्ररूप 14, 15, 16, तथा 17 में परिणाम पत्र में प्रविष्टियां करेगा तथा विवरण घोषित करेगा।*

3) *उसके बाद विधिमान्य मतपत्र इक्टठे बांध दिये जाएंगें ओर रदद किये गये मतपत्रों के बंडल किसी अलग पैकेट में रखें जाऐगे जो मोहरबंद किये जायेगें और उन पर निम्नलिखित विवरण अभिलिखित किए जायेगे, अर्थात–*
ग्राम पंचायत के पंच के निर्वाचन की दशा में वार्ड की संख्या तथा गांव का नाम, सरपंच के निर्वाचन की दशा में गांव का नाम अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन की दशा में पंचायत समिति अथवा जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो, की वार्ड संख्या, उस मतदान केन्द्र के विवरण जंहा मतपत्र उपयोग किए गए है और गणना की तिथि ।

6. ***गणना जारी रखना***– *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 67 के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी जहां तक व्यवहार्य हो, मतों की गणना को जारी रखेगा और किसी अन्तराल के दौरान जब गणना निलम्बित रखी जानी है, निर्वाचन से सम्बन्धित गणन अभिकर्ता जो अपनी मोहर लगाने के इच्छुक हो, की मोहर से मोहरबंद किए जाएंगे और ऐसे अन्तरालों के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त पूर्व सावधानियां करवाई जाएगी।*

7. ***नए निर्वाचन के बाद मतों की गणना पुनर्रारम्भः***–*हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 68 के अन्तर्गत यदि नया मतदान कराया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी उस मतदान के पूरे होने के बाद, उस तिथि, समय तथा स्थान, जो उसके द्वारा इस निमित नियत किए गए है, और जिसका पूर्ण नोटिस उम्मीदवारों तथा उसके गणन अभिकर्ताओं को दिया गया है मतों की गणना पुनः आरम्भ कर देगा।*

8. ***मतों की पुनः गणना***

i) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 69 के अन्तर्गत मतगणना पूरी होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उस द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी नियमानुसार निर्धारित प्ररूप 14,15,16 व 17 में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये मतों की कुल संख्या अभिलिखित करेगा और उसकी घोषणा करेगा ।*

ii) *ऐसी घोषणा करने के बाद कोई उम्मीदवार अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसका गणक अभिकर्ता, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, पहले ही गिने गये सभी अथवा किन्हीं मतपत्रों को, ऐसी पुनः गणना के लिये, आधारों को वर्णित करते हुये, जिन पर वह ऐसी गणना चाहता है लिखित रूप में आवेदन कर सकता है ।*

iii) *ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मामले का निर्णय करेगा और आवेदन को पूर्ण अथवा भाग रूप में अनुज्ञात कर सकता है अथवा यदि उसे निरर्थक अथवा अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है तो उसे पूर्णतया रदद् कर सकता है ।*

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी का प्रत्येक निर्णय उपरोक्त अनुसार लिखित रूप में होगा और उसके लिये कारण दिये होगें।

iv) *यदि रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उपरोक्तानुसार किसी आवेदक को या तो पूर्ण रूप में या भाग रूप में अनुज्ञात करने का निर्णय करता है तो वह,–*

अपने निर्णय के अनुसार मतपत्रों को दोबारा गिनेगा,

ऐसी पुनः गणना के बाद आवश्यक सीमा तक परिणाम पत्र को संशोधित करेगा, और

उसके द्वारा इस प्रकार किये गये संशोधन की घोषणा करेगा ।

v) *प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये मतो की कुल संख्या की घोषणा के बाद, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी परिणाम पत्र को तैयार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद किसी भी आवेदन पर पुनः गणना के लिये विचार नहीं किया जायेगा ।*

vi) *मतगणना पूरी होने के बाद कोई भी कदम तब तक नहीं उठाया जायेगा, जब तक कि उम्मीदवारों तथा उपस्थित गणन अभिकर्ताओ को मतपत्रों की पुनः गणना करने के अधिकार का प्रयोग करने के लिये, उसके पूरे होने का, युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।*

————————

अध्याय –19

मतों का सारणीकरण (टेबुलेशन) तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा

1. मतों की गणना हो जाने के पश्चात हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 66 व 70 के अन्तर्गत रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा निम्नांकित प्ररूपों में विवरणी तैयार करने और उसे प्रमाणित करने का प्रावधान है :–

(i) *पंच पद के लिये प्ररूप–18–(सम्बन्धित मतदान केन्द्रों से प्राप्त प्ररूप 14 पर आधारित है)*

(ii) *सरपंच पद के लिये प्ररूप–19 (सम्बन्धित मतदान केन्द्रों से प्राप्त प्ररूप 15 भाग–एक पर आधारित है)*

(iii) *सदस्य पंचायत समिति के लिये प्ररूप–20 (सम्बन्धित मतदान केन्द्रो से प्राप्त प्ररूप 16 भाग–एक पर आधारित है)*

(iv) *सदस्य जिला परिषद के प्ररूप–21 (सम्बन्धित मतदान केन्द्रों से प्राप्त प्ररूप 17 भाग–एक पर आधारित है)*

2. उन मतदान केन्द्रों को छोड़कर जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मौके पर गणना न कराये जाने का निर्णय लें, शेष मतदान केन्द्रों में मतदान के तुरन्त बाद मतदान दल के द्वारा ही पीठासीन अधिकारी के निर्देशन और पर्यवेक्षण में मतगणना की जायेगी। अतः ऐसे सभी मतदान दल, गणना परिणाम के पत्रों (प्ररूप 14 व 15, 16 एवं 17 का भाग–एक) तैयार करेगें। किन्तु यदि सभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों तो सरपंच पद के परिणाम पत्र (प्ररूप–15 का भाग–एक) उसी दिन मतदान केन्द्र की अध्यक्षता करने वाले जो कि सीनियर मोस्ट पीठासीन अधिकारी होगा, उसे भेजा जायेगा ।

*3. सारणीकरण के कार्य से आशय है कि प्ररूप 14 व 15,16 तथा 17 के भाग–दो भरना तथा प्ररूप 18,19, 20 तथा 21 **(परिशिष्ट–22 से 25)** में विवरणीयां तैयार करना । इन सभी प्ररूपों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम लिखे जाते हैं और उनके नामों के आगे उन्हें प्राप्त होने वाले विधिमान्य मतों की संख्या अंकित कि जाती है। चूंकि प्रतीकों के आंबटन के साथ ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची अतिंम रूप से तैयार हो जाती है, अतः किसी भी निर्वाचन क्षेत्र विशेष से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचि मतदान एवं मतगणना के पहले से ही उपलब्ध रहती है। सारणीकरण का कार्य तेज गति से हो सके इस दृष्टि से उचित यह होगा कि उपर्युक्त प्ररूपो में सम्बन्धित अभ्यर्थियों के नाम पहले ही लिख लिये जायें अथवा टाईप कर लिये जाये। ऐसा करने से सारणीकरण के दौरान, अभ्यर्थियों के नाम लिखने का अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा केवल उन्हें प्राप्त विधिमान्य मतों के आंकड़े ही उनके नामों के आगे लिखे जाने होगें।*

4. पंच/सरपंच के लिये मतगणना चुनाव समाप्ति के तत्काल उसी स्थान पर की जायेगी, जिस मतदान केन्द्र पर मत डाले गये हैं। यदि किसी कारणवश यह मतगणना उसी स्थान पर उसी दिन नहीं हो पाती तो ऐसे मत केन्द्र की मतगणना अगले दिन उसी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर जो कि पूर्व में घोषित किया जायेगा, की जायेगी ।

5. सदस्य पंचायत समिति और जिला परिषद के लिये मतगणना चुनाव के अगले दिन या सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा अधिसूचित किये गये स्थान, समय एंव तिथि पर की जायेगी ।

6. पंच/सरपंच/सदस्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद के पद के सारणीकरण कार्य के लिये मतदान केन्द्र पर स्थित ऐसे किसी कार्यालय/विद्यालय भवन को चुना जाये, जिसमें हाल तथा 3–4 बड़े आकार के कमरे हों और जिसके दो दरवाजे हो और जिसकी स्थिति सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से ठीक हो

7. जो अन्य व्यवस्थाएं की जानी होगी वे निम्नांकित है–

(1) *जिस भवन में सारणीकरण की व्यवस्था की गई हो उसके आस–पास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र होना स्वाभाविक है। अतः वहां पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था के लिये उपायुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक से पहले ही परामर्श करके, आवश्यक पुलिस बल तैनात करने की कार्यवाही की जानी चाहिये ।*

(2) *सारणीकरण कार्य के लिये पर्याप्त संख्या में निम्नांकित कोरे प्ररूप लगेगें–*

(क) पंचायत स्तर पर–

(i) *वार्ड के पंच के निर्वाचन के लिये प्ररूप–14 तथा विवरणी प्ररूप–18*

(ii) *ग्राम पंचायत के सरपंच के निर्वाचन के लिये प्ररूप–15 तथा विवरणी प्ररूप–19*

(ख) खण्ड एंव जिला स्तर पर–

(i) *खण्ड एंव जिला स्तर पर पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिये प्ररूप 16 भाग दो तथा विवरणी प्ररूप–20*

(ii) *जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के लिये प्ररूप –17 तथा विवरणी प्ररूप–21*

(iii) *उपरोक्त कोरे प्ररूपों के अतिरिक्त, प्रत्येक मेज पर, निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध कराई जानी होगी –*

- *पेपर वेट/पत्थर के टुकड़े*
- *पेपर शीट*
- *स्केल/रूलर*
- *पैंसिल तथा रबर*
- *पैंसिल शार्पनर/ब्लैड*
- *आलपिन/क्लिप*
- *बाल प्वान्ट पैन*
- *रिटर्निंग आफिसर /सहायक रिटर्निंग आफिसर को अपनी सील तथा स्टैम्प पैड की भी आवश्यकता पड़ेगी। उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाये ।*

(3) *सारणीकरण कार्य में नियोजित कर्मियों के बैठने के लिये मेजों तथा कुर्सियों का प्रबन्ध करना आवश्यक होगा। चूंकि प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन/गणन अभिकर्ता को भी सारणीकरण कार्य देखने के लिये कक्ष के अन्दर बैठने का अवसर दिया जाना होगा, अतः उनके बैठने के लिये कुर्सियां/बैचों की व्यवस्था की जाये ।*

(4) *चूंकि पंच/सरपंच पद के सारणीकरण का कार्य मतदान के तुरन्त पश्चात उसी मतदान केन्द्र पर प्रारम्भ होगा। सदस्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद पद के सारणीकरण का कार्य आयोग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार होगा। अतः इस संभावना को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है कि कार्य देर रात तक चले। तब विद्युत प्रवाह अचानक बन्द हो जाने के कारण कार्य में व्यवधान न आये, इस दृष्टि से रोशनी की अन्य व्यवस्था भी अवश्य की जाये ।*

(5) *बाहर एकत्र लोगों की जानकारी के लिये गणना परिणामों की घोषणा भी की जाये।*

(6) *परिणामों की घोषणा के बाद तैयार किये गये प्ररूपों/विवरणियों को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिये ट्रंक तथा ट्रंको को सील कर खजाना/स्ट्रांग रूप में जमा कराने की व्यवस्था भी पहले से की जानी होगी ।*

8. किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष की विवरणी तैयार होने के पश्चात रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)या प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अनुदेशों की पालना करते हुये प्रमाणित करेगा तथा जिस अभ्यर्थी को सर्वाधिक मत मिलें है, उसे निर्वाचित घोषित करेगा। रिटर्निंग आफिसर या प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर जैसी भी स्थिति हो, यह ध्यान रखें कि जिस अभ्यर्थी को सर्वाधिक मत मिलें है, उसका नाम एवं पद विवरणी में सही–सही लिखा जाये । नाम लिखने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिये। विवरणी में निर्वाचित घोषित अभ्यर्थी का पता वही लिखा जायेगा जो कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–6,7 ,8 व 9) में उल्लिखित है। सुलभ सन्दर्भ के लिये इन सूचियो की एक–एक प्रति रिटर्निंग आफिसर पहले से ही अपने पास रखें। यदि वह मौके पर उपस्थित हों तो हाथों हाथ दे दिया जाये अन्यथा बाद में भेजा जाये । विवरणी की दो प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजी जाये । जो उनमें से एक प्रति अपने पास रख लेगा तथा दूसरी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा, पंचकूला को यथाशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करेगा ।

9. पंच पद के लिए मतों का सारणीकरण वार्ड के पंच पद की विवरणी तैयार करने में सारणीकरण का कोई विशेष कार्य अन्तर्निहित नहीं है । विवरणी प्ररूप–18 में तैयार की जायेगी जो कि पूरी तरह प्ररूप–14 पर आधारित है। विवरणी तैयार हो जाने पर रिटर्निंग आफिसर (ग्राम पंचायत) स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर (ग्राम पंचायत), सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अनुदेशों की पालना करते हुये निर्वाचित घोषित करेगा ।

10. सरपंच पद के लिये मतों का सारणीकरण

(1) *सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 या उससे अधिक मतदान केन्द्र होगें। किसी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत स्थित सभी मतदान केन्द्रों से प्राप्त प्ररूप–15 भाग एक के आधार पर ही उस ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिये निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों का सारणीकरण प्ररूप–15 भाग दो में किया जाये । इस प्ररूप में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या उसके नाम के आगे दर्शाते हुये प्राप्त कुल मतों का योग उसके नाम के आगे कालम–6 में अंकित किया जाये । कालम–6 का खड़ा योग इस ग्राम पंचायत में विधिमान्य मतों की संख्या दर्शायेगा। तत्पश्चात ग्राम पंचायत में विधिमान्य मतों की संख्या, रद्द मतों की कुल संख्या तथा डाले गये मतों की कुल संख्या की भी गणना की जावे ।*

(2) *प्ररूप–15 भाग दो के आधार पर प्ररूप–19 में सरपंच के निर्वाचन की विवरणी तैयार की जाये, जिस अभ्यर्थी को सर्वाधिक मत मिले हैं, विवरणी में उसका नाम और पता अंकित करते हुये उसे रिटर्निंग आफिसर (ग्राम पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अनुदेशो की पालना करते हुये सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा ।*

11. पंचायत समिति सदस्य के लिये मतों का सारणीकरण

पंचायत समिति के सदस्य के लिये सारणीकरण ठीक वैसी रहेगी जैसी सरपंच पद के लिये वर्णित की गई है। अन्तर केवल इतना है कि पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहेगी। सामान्यतः पंचायत समिति सदस्य के एक निर्वाचन क्षेत्र में तीन से सात ग्राम पंचायतें सम्मिलित होगी और इसलिये मतदान केन्द्रों की संख्या भी उसी अनुपात में अधिक होगी। पंचायत समिति सदस्य के मामले में मतदान केन्द्रो से प्ररूप–16 भाग एक में प्राप्त जानकारी प्ररूप–16 भाग दो में सारणीकृत करते हुये प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में पूरे निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या कालम 4 में अंकित की

जाये । इस जानकारी के आधार पर रिटर्निंग आफिसर (पंचायत समिति) द्वारा प्ररूप 20 में पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिये विवरणी तैयार करवाई जाये । जिस अभ्यर्थी को सर्वाधिक विधिमान्य मत प्राप्त हुये हैं उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अनुदेशों की पालना करते हुये निर्वाचित घोषित करेगा ।

12. ***जिला परिषद के सदस्य के लिये मतों का सारणीकरण*** *–*

(1) *सामान्यतः एक खण्ड के अन्तर्गत जिला परिषद के दो से पांच निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अशंतः सम्मिलित होगे। जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का जो भी भाग (पूर्ण या आंशिक खण्ड में सम्मिलित हो, उसके सभी मतदान केन्द्रो से सम्बन्धित प्ररूपों (प्ररूप–17 भाग एक) को इकट्ठा किया जाये और उसके आधार पर प्ररूप–17 भाग दो तैयार कराया जाये । खण्ड में सम्मिलित जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में प्ररूप–17 भाग दो में जानकारी तैयार हो जाने पर रिटर्निंग आफिसर (पंचायत समिति) द्वारा सहायक रिटर्निंग आफिसर (जिला परिषद) की हैसियत से रिटर्निंग आफिसर (जिला परिषद) को अविलम्ब भेज दिया जाये ।*

(2) *रिटर्निंग आफिसर (जिला परिषद) खण्डों से प्राप्त होने वाले प्ररूप (प्ररूप–17 भाग दो) या तो जिला परिषद सदस्य के पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित होगें या केवल आंशिक क्षेत्र से जैसे भी स्थिति हो वे प्राप्त प्ररूपों के आधार पर, प्ररूप–17 भाग तीन तैयार करायेगें। प्ररूप–17 भाग तीन तैयार हो जाने पर रिटर्निंग आफिसर (जिला परिषद) द्वारा प्ररूप–21 में विवरणी तैयार कराई जाये तथा सबसे अधिक मत पाने वाले अभ्यर्थी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अनुदेशों की पालना करते हुये निर्वाचित घोषित किया जाये ।*

विशेष नोट– *आयोग के पत्र कमांक एस0ई0सी0/2ई–।।।/2005/20555–73 दिनांक 28.03.2005* ***(परिशिष्ट–26)*** *द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के मतपत्रों की गिनती के उपरांत विजयी उम्मीदवार को मौके पर ही रिटरनिंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी चुनाव जीतने का लिखित प्रमाण–पत्र देंगे साथ विजयी उम्मीदवार से इस प्रमाणपत्र की प्राप्ति की रसीद भी प्राप्त करेंगें तथा उस रसीद को रिकार्ड में शामिल करेंगें। चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद सभी उपस्थित उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर भी उस फार्म पर करवायेगें जिस पर परिणाम घोषित किया जायेगा।*

13. ***परिणामों की घोषणा***

हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 70 के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)–

(1) *उस उम्मीदवार को पंच के पद के लिए निर्वाचित घोषित करेगा, जिसने विधिमान्य मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त की हो और प्ररूप 18 में निर्वाचन की विवरणी को प्रमाणित करेगा। इसी प्रकार से सरपंच का परिणाम भी तुरंत घोषित करेगा किन्तु यदि सभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों तो सरपंच के पद के परिणाम पत्र उसी दिन मतदान केन्द्र की अध्यक्षता करने वाले इस प्रयोजनार्थ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा मनोनीत पीठासीन अधिकारी को भेजे जाएंगे, जो प्ररूप 19 में परिणाम पत्र के तैयार करने के बाद जिसने विधिमान्य वोटों की अधिकतम संख्या प्राप्त की हो उस उम्मीदवार को तुरन्त सरपंच के रूप में निर्वाचित घोषित करेगा। पंच के पद के लिए परिणाम की घोषणा के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी समझा जायेगा और सभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदान क्षेत्रों की दशा में सरपंच के पद के लिए परिणाम की घोषणा के लिए मनोनीत पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में समझा जायेगा ।*

(2) *पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यों के पद के लिए परिणाम पत्र कमशः खण्ड स्तर पर पंचायत समिति के लिए सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी तथा उपायुक्त को भेजे जाऐंगे ।*

(3) *पंचायत समिति के निर्वाचन के लिए सभी परिणाम पत्र प्ररूप 16 में संकलित करेगा तथा प्ररूप 20 तैयार करेगा और उस उम्मीदवार की घोषणा करेगा जो विधिमान्य मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त करके निर्वाचित हो गया है और प्ररूप 20 में निर्वाचन की विवरणी प्रमाणित करेगा और जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन के लिए परिणाम पत्र प्ररूप 17 में, संकलित करेगा और प्ररूप 21 तैयार करेगा और उस उम्मीदवार की घोषणा करेगा जो विधिमान्य मतों की अधिकतम संख्या लेकर निर्वाचित हो गया है और निर्वाचन की विवरणी प्ररूप 21 में प्रमाणित करेगा।*

(4) *रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस नियम के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को विवरणी की हस्ताक्षरित प्रति भेजेगा।*

14. मतों की समानता

हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 71 के अन्तर्गत यदि मतों की गणना के बाद, किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मतों की समानता पाई जाती है और एक अतिरिक्त मत निर्वाचित घोषित किए जाने वाले उन उम्मीदवारों में से हकदार बनाएगा, रिटर्निंग अधिकारी पंचायत उन उम्मीदवारों के बीच लाट द्वारा तुरंत निर्णय करेगा और ऐसे कार्यवाही करेगा मानों यदि उम्मीदवार जिसका लाट निकलता है, एक अतिरिक्त मत प्राप्त कर लिया हो।

परन्तु लाट की प्रकिया अपनाने से पूर्व दोनों उम्मीदवारों (जिनके मत समान रहे हैं) की लिखित में सहमति ले ली जाए कि वे इस प्रकिया को अपनाने में सहमत हैं। लाट की प्रकिया उपनाते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाए–

i) *बराबर मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम की दो अलग–अलग पर्चियां* (slips) *तैयार करके दोनों उम्मीदवारों को दिखा दी जाए । पर्चियां बिल्कुल एक जैसी लगनी चाहिए ।*

ii) *जिस थैले या बर्तन (जिसमें बाहर से देखने पर कुछ दिखाई न दे) में पर्चियां डाली जानी हैं उसे भी सम्बन्धित उम्मीदवारों को दिखा दिया जाये, ताकि उन्हें इस बात की पूरी संतुष्टी हो कि थैला या बर्तन पूर्णत्या खाली है ।*

iii) *तदउपरांत पर्चियों को थैले या बर्तन में डालकर अच्छी तरह से हिल्ला लिया जाये तथा फिर किसी बच्चे या बजुर्ग या किसी अन्य व्यक्ति को पास बुलाकर एक पर्ची निकालने को कहा जाए ।*

iv) *अंत में इस सारी प्रकिया की पूरी कार्यवाही लिखित में तैयार की जाए और उस पर दोनों उम्मीदवारों के हस्ताक्षर ले लिये जायें ।*

v) *लाट में सिक्का* (coin) *उच्छालने की प्रकिया न अपनाई जाए ।*

अध्याय–20

पीठासीन अधिकारी की डायरी

*1. पीठासीन अधिकारी की डायरी में मतदान तथा मतगणना से सम्बन्धित प्रमुख कार्यवाही एवं घटनाओं का तथ्यात्मक उल्लेख अपेक्षित है। डायरी **परिशिष्ट 27** में दिये गये प्ररूप में लिखी जायेगी जो कि आपको मतदान सामग्री के साथ प्राप्त होगी ।*

2. डायरी लिखने मे निम्नांकित बिन्दु ध्यान में रखें –

(1) *भाग एक कालम–5 –आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी के नाम और पते के अतिरिक्त आपको संक्षिप्त में उस कारण का उल्लेख करना है, जिससे आपको ऐसी नियुक्ति करनी पड़ी।*

(2) *भाग–एक कालम–8– आपको उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन या मतगणना अभिकर्ताओ की केवल संख्या दर्शानी है। नामों का उल्लेख नहीं करना है ।*

(3) *भाग–एक कालम–9–केवल उन मतदाताओ की संख्या का उल्लेख करना है जिन्हें अपने मतदान कक्ष में जाकर मतदान करने में सहायता दी। आंशिक अन्धेपन या शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति, जो किसी की मदद से मतदान केन्द्र में आये हो किन्तु जिन्होनें मतदान कक्ष में मतदान बिना किसी सहायक के किया हो, उनकी संख्या इस कालम में नहीं दर्शाई जानी है ।*

(4) *भाग–एक कालम 12 और भाग दो कालम–3– यदि किसी अवधि में मतदान/मतगणना स्थगित करने की स्थिति आई हो तो उसका केवल उल्लेख कर देना ही पर्याप्त नहीं है। आपको इसका एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उसे डायरी के साथ संलग्न करना चाहिये ।*

(5) *भाग एक कालम–15 और भाग दो, कालम–5– आपको इसमें केवल महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे झगड़ा/मारपीट/निर्वाचन अपराध/ निर्वाचन प्रेक्षक का आना आदि का ही संक्षिप्त उल्लेख करना चाहिये ।*

3. डायरी लिखने के लिये मतदान तथा मतगणना के समाप्त हो जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। कुछ जानकारी ऐसी है जो घटनाओं के साथ ही अंकित की जा सकती है और कुछ जानकारी पूर्व से तैयार करके लिखी जा सकती है जैसे मतदाता सूचि में दर्ज कुल मतदाता और उनमें पुरूष और महिलाओं की संख्या ।

4. मतदान समाप्त होने के पश्चात डायरी के भाग एक और मतगणना समाप्त होने पर भाग–दो को पूरा करें और इसे बन्द करके निर्धारित लिफाफे में रखें।

———

अध्याय–21

विभिन्न प्ररूपों को तैयार करना तथा लिफाफों को सील करना

1. ***मतदान समापन के बाद मतपेटी सील करना***– *मतदान समाप्त होते ही सर्वप्रथम आप मतपेटी की दरार को बन्द करें एवं दरार के (दरार के उपर लगे ताले को बन्द करके) छेदों में तार का टुकड़ा डालकर सिरों को कसकर कई बार मोड़े। साथ ही छेद में धागा डालकर सील लगायें एवं इच्छुक अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन मतदान अभिकर्ताओं को सील लगाने दें ।*

2. ***मतपत्र लेखा तैयार करना***– *मतपेटी सील करने के पश्चात पहला काम मतपत्र लेखा तैयार करना है। सभी वार्डों के मतपत्र लेखा वार्डवार तथा सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के मतदान से सम्बन्धित मतपत्र लेखा अलग–अलग तैयार किये जायें। इसके बाद इन मतपत्र लेखों को इस हेतू प्रदत लिफाफो में अलग–2 रखा जाये। इसके लिये आपको लिफाफे पर्याप्त संख्या में प्रदान किये गये हैं। इन लिफाफो को अभी सीलबन्द नहीं करना है, क्योंकि मतगणना के समय इनकी आवश्यकता पड़ सकती है ।*

3. ***परिनियत* (statutory) *लिफाफों को सीलबन्द करना***– *परिनियत लिफाफों में निम्नांकित लिफाफे शामिल है और इनके महत्व को देखते हुये सबसे पहले सीलबन्द किया जाये–*

i) ***चिह्नित मतदाता सूचि***–*मतदान अधिकारी कमांक–1 द्वारा प्रयोग में लाई गई मतदाता सूची, जिसमें मतदान कर चुकने वाले मतदाताओं के नाम रेखांकित एवं सही के निशान से चिहिनत किये गये हैं चिहिनित मतदाता सूची कहलायेगी। इसे निर्धारित लिफाफे कमांक–1 में रखकर सीलबन्द किया जाये ।*

ii) ***रदद किये गये मतपत्र*** *–पंच के मामले में वार्डवार ऐसे मतपत्र जिन्हें रदद किया गया है तथा जिनका उल्लेख सम्बन्धित वार्डों के मतपत्र लेखा में किया गया है को इस हेतू प्रदत एक लिफाफे कमांक–2 में रखकर सीलबन्द किया जाये । इसी प्रकार सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य से सम्बन्धित रदद किये गये मतपत्रों को अलग–2 ऐसे ही लिफाफे कमांक–2 में रखकर उन्हें सीलबन्द किया जाये।*

iii) ***निविदत मतपत्र एवं उनकी सूची*** *–मतदान के दौरान पंचों के मामले में वार्डवार जो निविदत मतपत्र इस हेतू निर्धारित लिफाफे (कमांक–3) में रखे गये थे उन्हें तथा उससे सम्बन्धित सूची को इस लिफाफे में रखते हुये इस लिफाफे को सीलबन्द किया जाये । इसी प्रकार सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन से सम्बन्धित निविदत मतपत्रों को भी सम्बन्धित निविदत मतपत्रों की सूची के साथ दिये गये लिफाफे (क्रमांक–3) में सीलबन्द किया जाये ।*

iv) ***उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण (कांउटर फाईल)–*** *पंचों के मामले में वार्डवार उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण को एक साथ इस हेतू प्रदत लिफाफे (क्रमांक–4) में सीलबन्द किया जाये। इसी प्रकार सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण अलग–2 लिफाफो (क्रमांक–4)में सीलबन्द किया जाये ।*

v) ***मतदाताओं को जारी न किये गये मतपत्र –*** *पंचों के मामले में वार्डवार ऐसे सभी मतपत्र जिनका प्रयोग नहीं हुआ है एवं जिनकी संख्या सम्बन्धित मतपत्र लेखा में दर्शाई गई है, उन्हें एक साथ इस हेतू प्रदत एक लिफाफे (कमांक–5) में रखा जाये एवं लिफाफे को सीलबन्द किया जाये । इसी प्रकार सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन से सम्बन्धित बचे हुये मतपत्रों को भी जो मतदाताओं को जारी नहीं किये गये थे वे अलग–2 लिफाफे (कमांक–5) में रखे जाये एवं तदुपरान्त उन्हें सीलबन्द किया जाये ।*

उपर्युक्त उपकडिंकाओं (i) *से* (v) *में वर्णित परिनियत/वैद्यानिक लिफाफों पर इच्छुक अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन /मतदान अभिकर्ता भी यदि सील लगानी चाहे तो उन्हें सील लगाने दें। इन लिफाफो को सील करने के पूर्व गोंद या लेई से अच्छी तरह चिपका कर बन्द किया जायें एवं तत्पश्चात उन पर प्रदत की गई पीतल की सील से, चपड़े की सील लगाई जाये ।*

vi) ***सभी परिनियत* (statutory)*लिफाफों को एक साथ सीलबन्द करना***– *उपर्युक्त सभी परिनियत लिफाफों को पदवार अलग–अलग जमाते हुये इस हेतू प्रदत बड़ी शीट (शीट–एक) में लपेटें एवं शीट को किनारों पर चिपका कर एवं सुतली से चारों ओर लपेटकर सीलबन्द करें ।*

4. *परिनियत* (statutory) *लिफाफे को सीलबन्द करने के उपरान्त निम्नांकित विविध लिफाफे कागजात अलग–अलग लिफाफों में रखते हुये उन सबको एक विविध लिफाफे कमांक –10 में रखें–*

i) *अभ्यक्षेपित* (challenged)*मतों वाली सूची का लिफाफा,*
ii) *अभ्यक्षेपित* (challenged)*मतदाता सूची की अन्य प्रतियां,*
iii) *मतदाता सूचि की अन्य प्रतियां,*
iv) *मतदान अधिकारियों द्वारा की गई घोषणा एवं नियुक्ति पत्र, और*
v) *अन्य विविध कागजात उनकी सूची के साथ इस लिफाफे को इस स्टेज पर बन्द न किया जाये ।*

5. *उपरोक्त कार्यवाही फुर्ती के साथ लगभग एक घन्टे के भीतर पूर्ण करने का प्रयास करें। यदि आपके मतदान केन्द्र पर मतगणना नहीं की जानी है तो मतपत्र लेखाओ से सम्बन्धित 4 लिफाफे तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी वाला लिफाफा भी इसी विविध लिफाफे कमांक–10 में रखकर बन्द करें। परन्तु आपको यदि मतगणना अपने मतदान केन्द्र पर करनी है तो मतगणना का कार्य पूरा होने के बाद मतगणना से सम्बन्धित निम्नांकित अतिरिक्त प्ररूपों/लिफाफों को सीलबन्द करें।*

6. ***मतगणना के बाद मतपत्रों आदि को सीलबन्द करना***

i) ***पंचों के मतपत्र***– *प्रत्येक वार्ड में अभ्यर्थीवार विधिमान्य मतपत्रों की रबर बैंड लगी गडिड्यों को एक के उपर एक रखने के उपरान्त सबसे उपर उस वार्ड में रद्द मतपत्रों की रबड बैंड से बन्धी गड्डी रखें एवं उस वार्ड के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी मतपत्रों को एक रबर बैंड या धागे से लपेटकर एक बंडल बनायें। इस प्रकार प्रत्येक वार्ड के मतपत्रों के बंडल तैयार करके उन सभी को पुनः रबर बैंड या धागे से बांध कर उन्हें "शीट क्रमाक–दो" में लपेटे एवं शीट के किनारों को चिपकाये। तदोपरान्त उसे चारो ओर सुतली से लपेटकर यथास्थान सीलबन्द करें ।*

ii) ***सरंपच के मतपत्र*** – *सरपंच पद के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतपत्रों को रबर बैंड लगाकर अलग गड्डियां बनायें एवं उन्हें एक के उपर एक रखें। सबसे अधिक मतपत्रों वाली गड्डी सबसे नीचे, उससे कम मतपत्रो वाली उसके उपर इसी कम में उन्हें एक के उपर एक रखते जाये। तदोंपरान्त रद्द मतपत्रों की रबर बैंड लगी गड्डी सबसे उपर रखकर उन सभी गड्डियों को एक रबर बैड या धागे से बांध कर उन्हें शीट तीन से लपेटे तथा शीट के किनारों को चिपकायें। तदोंपरान्त उसे चारो ओर से सुतली लपेटकर यथास्थान सीलबन्द करें।*

iii) ***पंचायत समिति के सदस्य के मतपत्र***– *सरपंच के तरह ही पंचायत समिति के सदस्य अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये मतपत्रों एवं रद्द मतपत्रों का सीलबन्द बंडल तैयार किया जाये ।*

iv) ***जिला परिषद के सदस्य के मतपत्र***– *सरपंच के तरह ही जिला परिषद के सदस्य अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये मतपत्रों एवं प्रतिक्षेपित मतपत्रों का सीलबन्द बंडल तैयार किया जाये ।*

मतपत्रों को जिन शीटो में लपेटकर आप सीलबन्द करें, उनमें आपकी सील के साथ–साथ कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/मतगणना अभिकर्ता अपनी भी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने दें ।

7. ***मतगणना परिणाम (पत्रको) को लिफाफे में सीलबन्द करना*** *– विभिन्न पदों के निर्वाचन से सम्बन्धित मतगणना परिणामों को अलग लिफाफो में रखने के लिये आपको 8 लिफाफे "कमांक–9" प्रदान किये गये हैं। जिस पद पर सम्बन्धित मतगणना परिणाम जिस लिफाफे में रखा गया है उसका विवरण यथास्थान लिफाफे पर इंगित कर दें एवं शेष प्रविष्टियां काट दें। विभिन्न पदों के मतगणना परिणामों को निम्नानुसार अलग–अलग लिफाफो में रखें–*

i) *वार्डवार पंचों की मतगणना के परिणाम (पत्रक),*

ii) *सरपंच का मतगणना परिणाम (पत्रक),*

iii) *पंचायत समिति सदस्य का मतगणना परिणाम (पत्रक),*

iv) *जिला परिषद सदस्य का मतगणना परिणाम (पत्रक)*

इन लिफाफों को सीलबन्द करते समय जो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/गणना अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे । उसे ऐसा करने दें।

8. ***मतपत्र लेखा सम्बन्धी लिफाफे*** *– मतपत्र लेखा सम्बन्धी लिफाफे जिनका उल्लेख कडिका (2) में किया गया है, अब सीलबन्द कर दें।*

9. ***पीठासीन अधिकारी की डायरी का भाग–2 तैयार करना*** *:–'मतगणना से सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी की डायरी का भाग–2 तैयार कर एवं तत्पश्चात उसे इस हेतू लिफाफे में रखकर लिफाफे को गोंद/लेई से चिपका दें। इसे सील करने की आवश्यकता नहीं है ।*

10. ***विविध कागजातों को रखना*** *:– मतदान एवं मतगणना से सम्बन्धित विविध कागजातों को रखने के लिये आपको जो बड़ा लिफाफा (क्रमांक–10) में दिया गया है उसमें आप मतदान से सम्बन्धित विविध कागजातों के साथ–साथ मतगणना से सम्बन्धित निम्नांकित कागजात भी रखें–*

i) *मतदान अभिकर्ता की घोषणाएं एवं उनके नियुक्ति पत्र,*

ii) *पीठासीन अधिकारी की डायरी वाला लिफाफा, और*

iii) *मतगणना से सम्बन्धित अन्य कागजात, सूचि के साथ*

उपर्युक्त सामग्री रखने के उपरान्त इस लिफाफे को गोंद/लेई से चिपका कर बन्द कर दें। इस पर सील लगाना आवश्यक नहीं है ।

11. i) *उपर्युक्तनुसार विभिन्न कागजातों एवं लिफाफों को सीलबन्द करने के बाद परिनियत लिफाफों के बंडल, मतपत्रों के बंडल एवं सीलबन्द लिफाफे मतदान हेतू दी गई खाली मतपेटी/मतपेटियों में रखे, यदि पेटियों में स्थान हो तो उनमें विविध सामग्री का लिफाफा क्रमांक–10 भी रखा जा सकता है अन्यथा उसे पेटी के बाहर रखा जा सकता है, पेटी को बन्द करने के उपरान्त उसे थैले में रखें। मतदान प्रकिया के लिये जो भी सामग्री दी गई थी उसे दूसरे थैले में रखें।*

ii) *उपरोक्त अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आप पूर्व से निर्धारित वाहन द्वारा मतदान केन्द्र से वापसी यात्रा करने की तैयारी करें। कारणवश यदि वाहन पंहुचने में देरी भी हो जाये तो वहां से कहीं न जाये और वहां पर प्रतीक्षा करें। किसी भी हालत में वापसी यात्रा का स्वतन्त्र कार्यक्रम न बनायें और निर्धारित वाहन या परिवहन व्यवस्था से हटकर किसी अन्य वाहन से न लौटे।*

————————

अध्याय–22

मतदान दल की वापसी तथा सामग्री जमा करना

1. मतदान केन्द्र तक पंहुचने तथा मतदान के उपरान्त वहां से वापिस लाने की जो व्यवस्था निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा की गई हो उसी के अनुसार आप कार्य पूर्ण हो जाने पर निर्वाचन संचालन केन्द्र अर्थात् जहां से आपको निर्वाचन सामग्री प्रदान की गई थी, वहां लौटेगे।

2. सामान्यतः जिस मार्ग से आप मतदान केन्द्र तक पंहुचेगे उसी मार्ग से आपको वापस लाया जायेगा। इस बात को ध्यान में रखे कि वापसी में आपके दल से कोई मतदान अधिकारी या सुरक्षा कर्मी न छूट जाये ।

3. निर्वाचन संचालन केन्द्र पर पंहुचने पर आपको, सामग्री को विभिन्न काउटरों पर जमा करवाना होगा। सामान्यतः वहां पर निम्नांकित 3 कांउटरों पर सामग्री वापिस ली जायेगी–

काउटर क्रमांक–1

(1) *मतपत्र लेखा का लिफाफा*

(2) *पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा*

(3) *मतगणना के परिणाम पत्रक*

(i) *आपके मतदान केन्द्र से सम्बन्ध वार्डो के लिये, पंच के निर्वाचन से सम्बन्धित मतों की गणना के परिणाम पत्रक (प्रत्येक वार्ड के लिये एक)*

(ii) *सरपंच के निर्वाचन से सम्बन्धित मतों की गणना के परिणाम का लिफाफा*

(iii) *पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन से सम्बन्धित मतो की गणना के परिणाम का लिफाफा*

(iv) *जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन से सम्बन्धित मतो की गणना के परिणाम का लिफाफा*

कांउटर क्रमांक–2

(1) *गिने गये मतपत्रों के बंडल*

(i) *पंचों के निर्वाचन से सम्बन्धित (प्रत्येक वार्ड के लिये एक)*

(ii) *सरपंच के निर्वाचन से सम्बन्धित*

(iii) *पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन से सम्बन्धित*

(iv) *जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन से सम्बन्धित*

(2) *परिनियत* **(statutory)** *लिफाफो के बंडल*

कांउटर क्रमांक–3

(1) *अन्य लिफाफो के बंडल (उन लिफाफों सहित जिनमें उपयोग में न लाये गये मतपत्र रखे हो)*

(2) *उपयोग में न लाई गई बची हुई सामग्री ।*

(3) *खाली मतपेटियां*

4. काउन्टर क्रमांक–1 पर जमा कराई जाने वाली सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप स्वयं जमा करें। काउंटर क्रमांक–2 तथा 3 पर जमा की जाने वाली सामग्री को जमा करने का दायित्व अपने सहयोगी मतदान अधिकारियों को सौपें। सामग्री जमा करने पर सम्बन्धित काउंटर के प्रभारी अधिकारी से रसीद प्राप्त कर लें ।

5. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आप द्वारा मतदान केन्द्र पर मतों की गणना का कार्य न किया गया हो तो आपको अन्य सामग्री के साथ सीलबन्द मतपेटियां बहुत सावधानी से निर्वाचन संचालन केन्द्र तक लानी होगी। वहां काउंटर क्रमांक–1 पर आपको स्वयं निम्नांकित सामग्री जमा करनी होगी–

(1) *मतपत्र लेखा का लिफाफा*

(2) *पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा*

(3) *मतपत्रों से भरी हुई सीलबन्द मतपेटी/मतपेटियां*

शेष सामग्री, अपने सहयोगी मतदान अधिकारियों की सहायता से स्थानीय व्यवस्था के अनुसार अन्य काउन्टरों पर जमा करायें।

6. अगले दिन आपको अपने दल के सदस्यों की सहायता से आपके मतदान केन्द्र पर पड़े मतों की गिनती करनी होगी। अतः आप पुनः अगले दिन निर्धारित समय पर, मतगणना डॅयूटी के लिये उपस्थित होगें। मतगणना से सम्बन्धित कागजाज प्राधिकृत अधिकारियों को सौंपने और उनसे रसीद प्राप्त करने के बाद ही आप चुनाव डयूटी से मुक्त होगें।

परिशिष्ट–एक

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा
निर्वाचन सदन प्लाट नं0 2, सैक्टर 17,
पंचकूला।

अधिसूचना

कमांकः रा0नि0आ0/3ई–II/2014/1897 दिनांकः 11.07.2014

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 56/2011/रा0दल0अनु0–II दिनाक 10.03.2014 तथा हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 33 (2) के साथ पठित हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन निशान (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश संख्या एस0ई0सी0/3ई–ा/2014/314, दिनांक 13.03.2014 के पैरा–5 की अनुपालना में राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा में पंच/सरपंच/सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद् के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए, अपनी अधिसूचना कमांक रा0नि0आ0/3ई–II/2011/601 दिनांक 08.04.2011 का अधिकमण करते हुये निम्न चुनाव प्रतीकों की सूची प्रकाशित करता है–

(चुनाव प्रतीकों की सूची)

श्रैणी (क) राष्ट्रीय स्तर के दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतीक

क0सं0	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी	4, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली––110001
2.	भारतीय जनता पार्टी	कमल	11 अशोका रोड़ नई दिल्ली–110001
3.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया	बाल और हंसिया	अजय भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हंसिया और सितारा	ए0के0गोपालन भवन, 27–29, भाई वीर सिहं मार्ग (गोल मार्किट) नई दिल्ली–110001
5.	इंडियन नैशनल कॉग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली–110011
6.	नेशनलिस्ट कॉग्रेस पार्टी	घड़ी	10, बिशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली–110001

श्रैणी (ख) हरियाणा राज्य स्तरीय दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतीक

क0सं0	राज्यीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी0एल0)	ट्रैक्टर	135, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली–110003
2.	इण्डियन नैशनल लोकदल	चश्मा	18, जनपथ नई दिल्ली–110011

श्रेणी (ग) जिला परिषद सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक

क0 सं0	चुनाव प्रतीक	क0 सं0	चुनाव प्रतीक	क0 सं0	चुनाव प्रतीक
1.	गाड़ी	17.	मटका	33.	मेज
2.	उगता सूरज	18	अंगूठी	34.	गैसबत्ती
3.	पतंग	19.	बल्ला	35.	मोरपंख
4.	रेड़ियो	20.	फ्राक	36.	कड़ाई
5.	जीप	21.	मोमबत्तियां	37.	हारमोनियम
6.	केतली	22.	सीटी	38.	पीपल का पत्ता

7.	फावड़ा और बेलचा	23.	ब्रूश	39.	रिक्शा
8.	जग	24.	सेब	40.	चकला बेलन
9.	वायुयान	25.	नाव	41.	तोप
10.	रोड़ रोलर	26.	लेडी पर्स	42.	शंख
11.	टेबल पंखा	27.	गैस सिलेंडर		
12.	टेलीफोन	28.	ईंट		
13.	स्कूटर	29.	गैस स्टोव		
14.	पोत	30.	स्लेट		
15.	हाकी और गेंद	31.	कैमरा		
16.	दो तलवार और एक ढाल	32.	गुब्बारा		

श्रेणी (घ) पंचायत समिति सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक

1.	ब्लैक बोर्ड	11.	टेलीविजन	21.	हाथ घडी
2.	दीवार घड़ी	12.	रेल का इंजन	22.	बैगन
3.	बरगद का पेड़	13.	लेटरबाक्स	23.	संडासी
4.	झोंपड़ी	14.	प्रेशर कुकर	24.	कमीज
5.	तराजू	15.	टार्च	25.	तीरकमान
6.	फसल काटता हुआ किसान	16.	बदूक	26.	कार
7.	ड्रम	17.	करनी	27.	केन
8.	गले की टाई	18.	ढोलक	28.	बिजली का स्विच
9	अलमारी	19.	हाथ चक्की	29.	कंघी
10.	छत का पंखा	20.	ऊन	30.	सूरजमुखी

श्रेणी (ङ) ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक

1.	साईकिल	11.	स्टूल	21.	छडी
2.	कांच का गिलास	12.	डमरू	22.	गेहूं की बाली
3.	फलों सहित नारियल का पेड़	13.	लट्टू	23.	पुल
4.	हस्तचलित पंप	14.	वायलिन	24.	केला
5.	सिलाई की मशीन	15.	नल	25.	कैरमबोर्ड
6.	ताला और चाबी	16.	बस	26.	पैसिल
7.	अनाज बरसाता हुआ किसान	17.	कलम दवात	27.	तलवार
8.	सब्जियों की टोकरी	18.	त्रिशूल	28.	ईमली
9.	घंटी	19.	कुआं	29.	अनार
10.	टेबल लैम्प	20.	मूली	30.	तरकश

श्रेणी (च) ग्राम पंचायत के पंच पद के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक

1.	सीढ़ी	8.	छाता	15.	दरवाजा
2.	फावड़ा	9.	दो पत्तियां	16.	गमला
3.	बाल्टी	10..	बिजली का बल्ब	17.	सुराही
4.	हल	11.	किताब	18.	गुल्लीडंडा
5.	कुल्हाड़ी	12.	आम	19.	रथ

6.	कैंची	13.	चाबी	20.	अंगूर का गुच्छा
7.	कुर्सी	14.	चारपाई		

2. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा यह भी निर्देश देता है कि श्रेणी (क) तथा (ख) में दर्शाए गए सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनैतिक दलो के आरक्षित चुनाव प्रतीक केवल सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले उन्हीं अभ्यर्थियों को अलाट किये जायें जिन्हें सम्बन्धित राजनैतिक दल द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो।

3. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा यह भी आदेश देता है कि यदि जिला परिषद के पदों हेतु अभ्यर्थियों की संख्या 42 से अधिक हो जाए तो उनके चुनाव चिन्ह आबंटन का कार्य पंचायत समिति के चुनाव चिन्ह आबंटन का कार्य सम्पन्न होने तक रोक लिया जाए। पंचायत समिति के चुनाव चिन्हों के आंबटन के उपरान्त जो मुक्त चुनाव चिन्ह शेष बच जाते है तो उनमें से कमानुसार जिला परिषद में आबंटन किया जाए, उदाहरण के तौर पर जिला परिषद में 42 मुक्त चुनाव चिन्ह है यदि यह पूरे आबंटित हो जाए और पंचायत समिति में कम संख्या 15 तक वर्णित मुक्त चुनाव चिन्ह आबंटित हो चुके हों तो पंचायत समिति के कम संख्या 16 पर रखे मुक्त चुनाव चिन्ह को जिला परिषद के लिए मुक्त चुनाव चिन्हों की संख्या हेतु कम संख्या 43 से माना जाएगा इसी तरह आगे के चुनाव चिन्हों की कम संख्या मानी जाएगी ।

4. आयोग यह भी निर्देश देता है कि अगर ऐसी स्थिति पंचायत समिति तथा सरपंच के मामले में आती है तो जिला परिषद के शेष मुक्त चुनाव चिन्हों मे से, पहले पंचायत समिति में चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएं और उसके बाद सरपंच के पद हेतु आबंटित किए जाएं। यदि जिला परिषद के मुक्त चुनाव चिन्हों से सरपंच हेतु मुक्त चुनाव चिन्ह पूरे न हो तो पंचायत समिति के बचे हुए मुक्त चुनाव चिन्हों को आबंटित किया जाएगा । परन्तु ऐसा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सूची में अंकित चुनाव चिन्हों के कमांक को आगे पीछे न किया जाए ।

आदेश द्वारा,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

मतदान केन्द्र के अन्दर की व्यवस्था

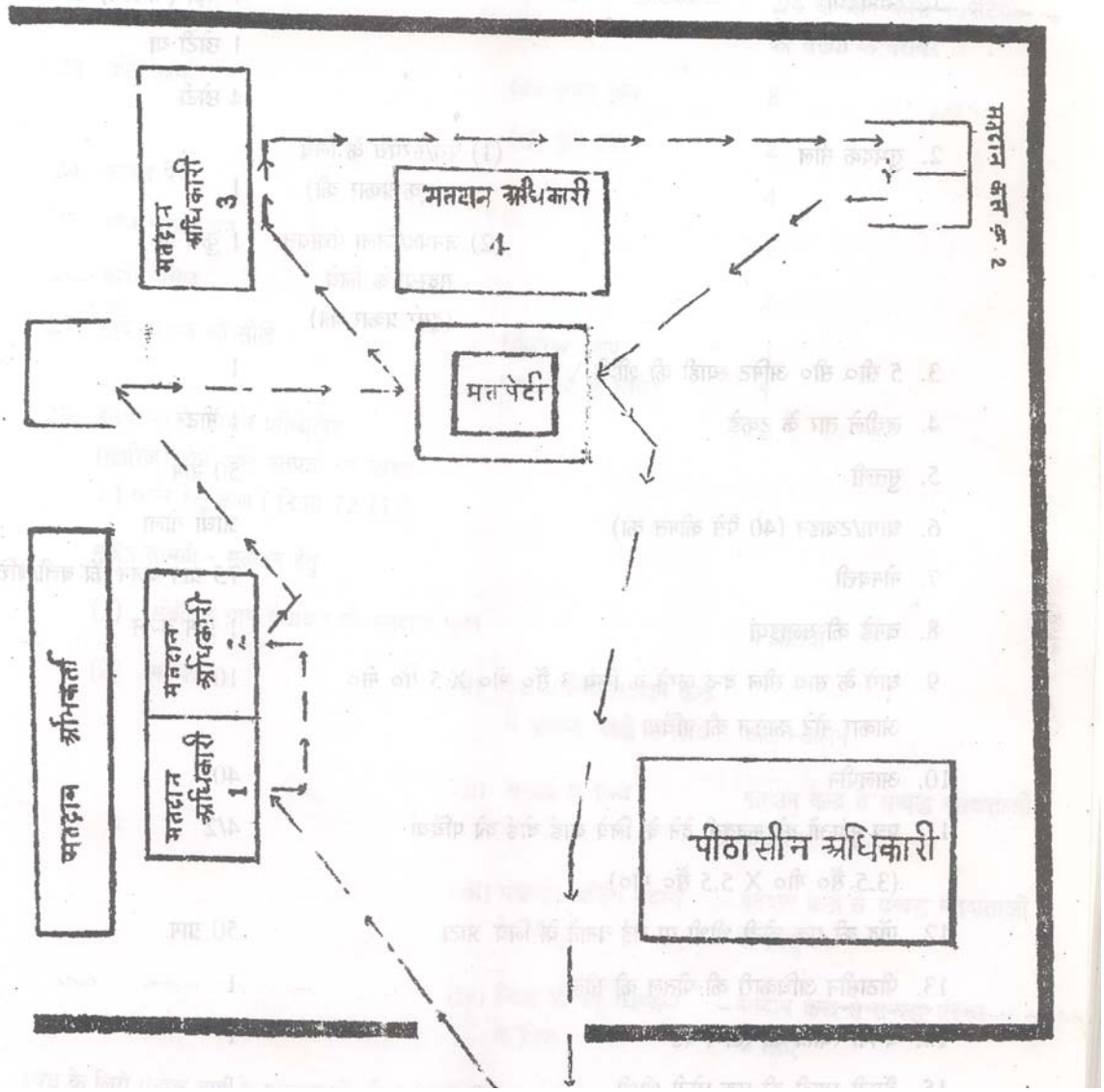

प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये दी जाने वाली सामग्री

1. *सामान्य मतदान एवं मतगणना हेतू*

1.	*मतपेटियां*		*आवश्यकता अनुसार*
2.	*सुभेदक सील*	(1) *पंच/सरपंच के लिये (एक प्रकार की)* (2) *जनपद/जिला पंचायत सदस्यों के लिये (दूसरे प्रकार की)*	*1* *1 कुल दो*
3.	*5 सी.सी. अमिट स्याही की शीशी*		*01*
4.	*लचीले तार के टुकड़े*		*1 मीटर*
5.	*सुतली*		*50 ग्राम*
6.	*धागा/टवाईन*		*आधा गोला*
7.	*मोमबती*		*75 ग्राम वजन की बती/बतियां*
8.	*चमड़े की सलाईयां*		*1 ग्राम वजन*
9.	*धागे के साथ सीलबन्द करने के लिये 3 सै.मी.ग 5 सै.मी. आकार मोटे कागज की पर्चियां*		*10*
10.	*आलपिन*		*40*
11.	*पत्र मुद्राओ को मजबूती देने के लिये कार्ड बोर्ड की पर्चियां (3. 5 सै.मी. ग 5.5 सै.मी.)*		*4/2*
12.	*गोंद की छोटी शीशी*		*50 ग्राम*
13.	*पीठासीन अधिकारी की पीतल की सील*		*1*
14.	*बैंगनी स्याही या स्टैम्प पैड*		*1*
15.	*बैगनी स्याही की एक छोटी शीशी*		*1*
16.	*मतपत्र पर निशान लगाने के लिये घूमते तीरों के चिन्ह वाली रबर की सील*		*4*
17	*मतपेटी में मतपत्रों को दबाने के लिये पुशर या 30 सै.मी. लम्बी*		*1*
18.	*ब्लेड*		*1*
19.	*चाक स्टिक्स*		*2/4*
20.	*40 मि.मी. लम्बाई की लोहे की कीले*		*10*
21.	*रबर बैंड*		*40*
22.	*कपड़े का थैला*		*2/4 दी जाने वाली मतपेटियों की संख्या के बराबर*
23.	*कोरे कागज*	*1. सफेद ताव*	*8*

		2. भूरा ताव	2
24.	कार्बन पेपर		4
25.	बाल प्वान्ट पैन		1
26.	सादी पैसिंल		2
27.	सादे कागज की सीले	गोदरेज टाईप (मतपेटियों के लिये)	5
28.	मतगणना के दौरान प्रतिक्षेपित (खारिज होने वाले मतपत्रो पर कारण दर्ज करने हेतू सील क्षनियम 72(1))		

2. मुद्रित सामग्री मतदान हेतू

1.	सम्बन्धित ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि		4 प्रतियां
2.	मतपत्र	(i) पंच के लिये मतदान केन्द्र से सम्बद्ध वार्डो के लिये	अलग अलग
		(ii) सरपंच के लिये	मतदान केन्द्र से सम्बद्ध मतदाताओ के लिये
		(iii) पंचायत समिति सदस्य के लिये	मतदान केन्द्र से सम्बद्ध सदस्य के लिये
		(iv) जिला परिषद सदस्य के लिये	मतदान केन्द्र से सम्बद्ध सदस्य के लिये

(पंच के लिये प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की संख्या के निकटतम दशांक तक पूर्णाकितं करने पर आई संख्या के बराबर तथा अन्य पदों के लिये मतदान केन्द्र से सम्बन्ध कुल मतदाताओं की संख्या के निकटतम दशांक तक पूर्णाकित करने पर आई संख्या के बराबर मतपत्र 50–50, 20–20 एवं 10–10 की गड्डियां दिये जायेंगे ।)

3. लिफाफे एवं शीटस (मतदान हेतू)

(1)	लिफाफा क01	(मतदाता सूचि की चिहिनित प्रति के लिये)	02
(2)	लिफाफा क02	(लौटाये गये अथवा रदद किये गये मतपत्रों के लिये)	04
(3)	लिफाफा क03	(निविदत मतपत्र एवं सूचि के लिये)	04
(4)	लिफाफा क04	(उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण के लिये)	05
(5)	लिफाफा क05	(मतदाताओ को जारी न किये गये मतपत्रों की सूचि)	04
(6)	लिफाफा क06	(अभ्याक्षेपित यानी चुनौती किए गए मतों की सूचि के लिये)	01
(7)	लिफाफा क07	(मतपत्र लेखा के लिये)	08
(8)	लिफाफा क08	(पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिये)	01
(9)	लिफाफा क012	(विविध कागजात मतदान एवं मतगणना)	01
(10)	शीट एक	(परिनियत लिफाफो को लपेटने एवं सील करने हेतू)	04

4. लिफाफे एवं शीटस (मतगणना हेतू)

(1)	लिफाफा क09	(मतगणना परिणाम)	08
(2)	शीट दो	(वार्डवार पंचो के मतपत्रों को लपेटने एवं	05

		सील करने हेतू)	
(3)	शीट–तीन	(सरपंच/जिला पंचायत सदस्यों के मतपत्रों को लपेटने एवं सील करने हेतू)	03

5. परिशिष्ट (प्ररूप) मतदान हेतू

(1)	परिशिष्ट पांच (प्ररूप –6)	(अभ्यर्थियों की सूचि–पंच)	02
(2)	परिशिष्ट छः (प्ररूप –7)	(अभ्यर्थियों की सूचि–सरपंच)	02
(3)	परिशिष्ट सात (प्ररूप –8)	(अभ्यर्थियों की सूचि–सदस्य पंचायत समिति)	02
(4)	परिशिष्ट आठ (प्ररूप –9)	(अभ्यर्थियों की सूचि–जिला परिषद सदस्य)	02
(5)	परिशिष्ट ग्यारह (प्ररूप –11)	(अभ्यक्षेपित मतों की सूचि)	01
(6)	परिशिष्ट तेरह (प्ररूप –12)	(निविदत मतों की सूचि)	04
(7)	परिशिष्ट चौदह (प्ररूप –13)	(मतपत्र लेखा)	मतदान केन्द्र से सम्बन्ध वार्डों की संख्या –3
(8)	परिशिष्ट सताईस	(पीठासीन अधिकारी की डायरी)	01

6. परिशिष्ट (प्ररूप) मतगणना हेतू

(1)	परिशिष्ट सत्रह (प्ररूप –14)	(मतगणना –पंच मतदान केन्द्र से सम्बन्ध वार्डों की संख्या के बराबर)	
(2)	परिशिष्ट अठारह (प्ररूप –15 भाग एक)	(मतगणना सरपंच)	01
(3)	परिशिष्ट उन्नीस (प्ररूप –16 भाग एक)	(मतगणना पंचायत समिति सदस्य)	01
(4)	परिशिष्ट बीस (प्ररूप –17 भाग एक)	(मतगणना जिला परिषद सदस्य)	01
(5)	गणना पर्चियां (अध्याय–17 की कडिका 2 के प्ररूप में)	(मतगणना पंचायत समिति सदस्य)	विभिन्न पदों के लिये निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या के दुगने

7. विविध सूचना पत्र (नोटिस)

(1)	मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी दर्शाने वाले पोस्टर		04
(2)	मतदान क्षेत्र विर्निदिष्ट करने की सूचि जिससे मतदाता उस केन्द्र पर मतदान करेगें		02
(3)	मतदान के दौरान प्रतिरूप की रिपोर्ट		02

हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम 1994

1. ***मतदान केन्द्र में या उसके समीप प्रचार का प्रतिषेध***–(1)*हरियाणा पंचायती राज अधिनयम, 1994 की धारा 180 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान केन्द्र में उस तिथि या उन तिथियों पर, जिन पर, कोई मतदान किया जाना है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में किन्हीं कृत्यों में से निम्नलिखित को नहीं करेगा, अर्थात–*

(i) *मतों के लिए प्रचार,*
(ii) *किसी मतदाता का मत माँगना,*
(iii) *किसी मतदाता को निर्वाचन पर मत न देने के लिए प्रेरित करना,*
(iv) *किसी मतदाता को किसी विशेष उम्मीदवार को मत न देने के लिए प्रेरित करना,*
(v) *निर्वाचन से संबन्धित कोई नोटिस या चिन्ह कार्यालय नोटिस से भिन्न, प्रदर्शित करना,*

(2) *अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त अनुसार नियमों की उल्लंघना करता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जोकि एक हजार रूपए तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।*

(3) *इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।*

2. ***मतदान केन्द्र में या उसके समीप विषवत संचालन के लिए शास्ति (दण्ड/सजा)***– (1) *हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 181 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों पर, जिन पर किसी मतदान केन्द्र पर चुनाव होता है,–*

(*क*) *मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के भीतर या पर या उसके आसपास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मानव आवाज को परिवर्धित करने के लिए किसी संयंत्र का, जैसे कि कोई मैगाफोन या कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा या संचालित नहीं करेगा, अथवा*

(*ख*) *मतदान केन्द्र के प्रवेश–द्वार के भीतर या पर, या उसके आसपास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मतदान केन्द्र पर मत के लिए जा रहे किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने के लिए या मतदान केन्द्र में ड्यूटी पर अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्य में बाधा डालने के लिए शोर नहीं मचाएगा या अन्यथा विच्छृंखल रीति में कार्रवाई नहीं करेगा।*

(2) *अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों की उल्लंघना करता है या जानबूझकर उल्लंघन के लिए सहायता करता है या उकसाता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक हो सकता है दंडनीय होगा ।*

(3) *यदि किसी मतदान केन्द्र के किसी पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध कर रहा है अथवा किया है तो वह किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के निर्देश दे सकता है तथा उस पर पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी करेगा ।*

(4) *कोई भी पुलिस अधिकारी उपरोक्त नियमों की उल्लंघना को रोकने के लिए ऐसे कदम उठा सकता है तथा ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो तथा ऐसे उल्लंघन के लिए प्रयोग किए किसी संयंत्र को कब्जे में ले सकता है ।*

3. ***मतदान केन्द्र पर दुराचार के लिए शास्ति***– *हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 182 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र पर, मत के लिए नियुक्त घंटों के दौरान स्वयं दुराचार करता है अथवा पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा या*

ड्यूटी पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकता है ।

(2) *उपरोक्त प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग किसी मतदाता को जो उस मतदान केन्द्र पर मतदान के लिये अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र पर मतदान का कोई अवसर प्राप्त करने से रोकने के लिये नहीं किया जायेगा।*

(3) *यदि कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार मतदान केन्द्र से हटाया गया है, पीठासीन अधिकारी की आज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तो वह दोषसिद्ध पर, जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।*

उपरोक्त के अनुसार दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

4. ***मतदान को गुप्त बनाये रखना*** *– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 183 के अन्तर्गत जहां कोई निर्वाचन किया जाता है, प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो मतों को अभिलिखित करने या गिनने के सम्बन्ध किसी कर्तव्य का अनुपालन करता है, मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा तथा बनाये रखने में सहायता करेगा तथा (किसी विधि द्वारा या के अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के सिवाय) ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिये संगणित/सम्बन्धित कोई सूचना किसी व्यक्ति को संसूचित/अवगत नहीं करेगा ।*

(2) *अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकता है या पांच सौ रूपये के जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।*

5. ***निर्वाचन पर अधिकारी इत्यादि का उम्मीदवारों के लिये कार्य न करना या मतदान को प्रभावित न करना*** *– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 184 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का अनुपालन करने के लिये रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या कर्मचारी है, निर्वाचन के संचालन में किसी उम्मीदवार के निर्वाचनों को संभाव्यता को अग्रसर करने के लिये कोई भी कृत्य (अपना मत देने से भिन्न) नहीं करेगा ।*

(2) *यथा पूर्वोक्त ऐसा कोई व्यक्ति, तथा किसी भी पुलिस बल की कोई संख्या निम्नलिखित का प्रयास नहीं करेगा :–*

(क) *किसी निर्वाचन पर अपना मत देने के लिये किसी व्यक्ति को प्रेरित करने का, अथवा*

(ख) *किसी निर्वाचन पर अपना मत देने के लिये किसी व्यक्ति को रोकने का, अथवा*

(ग) *किसी निर्वाचन पर किसी भी रीति में, मतदान या किसी व्यक्ति को प्रभावित करने का ।*

(3) *अगर कोई भी व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो छः मास तक हो सकती है, या एक हजार रूपये के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।*

6. ***निर्वाचन से सम्बन्ध में सरकारी कार्य का उल्लंघन*** *– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 185 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, उसके किसी युक्तियुक्त कारण बिना अपने सरकारी कर्तव्यों के उल्लंघन में, या किसी कार्य या लोप का दोषी है, तो वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।*

(2) *ऐसे व्यक्ति जिनको यह धारा लागू होती है, रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी तथा कोई अन्य व्यक्ति हो, जो मतदान सूची के रखरखाव, नामांकनों की प्राप्ति या उम्मीदवारी वापिस लेने या अभिलेखन या किसी निर्वाचन में मतों की संगणना से सम्बन्ध*

किसी कर्तव्य के अनुपालन के लिये नियुक्त किये गये हैं तथा "सरकारी कर्तव्य" पद का अर्थ इस धारा के प्रयोजनार्थ तदनुसार लगाया जायेगा, लेकिन इसमें इस अधिनियम के द्वारा या अधीन से अन्यथा अधिरोपित कर्तव्य शामिल नहीं है ।

7. ***मतदान केन्द्र से मतपत्र हटाना अपराध होना***– *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 186 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में, किसी मतदान केन्द्र से बाहर कपट से कोई मतपत्र ले जाता है, या ले जाने का प्रयत्न करता है या जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करने में सहायता करता है, या करने के लिये उकसाता है, दोषसिद्धि पर कारावास से जो तीन मास तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।*

(1) *यदि किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास विश्वास करने का कोई कारण है कि कोई व्यक्ति उपरोक्तानुसार दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है या किया है, ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र छोड़ने से पहले, गिरफतार कर सकता है या पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये निर्देश दे सकता है तथा ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकता है ! परन्तु जब किसी महिला की तलाशी करवाई जानी आवश्यक हो तो तलाशी दूसरी महिला द्वारा शालीनता का सख्त ध्यान रखते हुये की जायेगी ।*

(2) *गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी पर पाया गया कोई मतपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये सौंप दिया जायेगा अथवा जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की जाती है, ऐसे अधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा ।*

(3) *उपरोक्त के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा ।*

8. ***न्य अपराध और उसके लिये शास्तियां*** – *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 187 के अन्तर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी होगा, यदि वह किसी निर्वाचन पर–*

(क) *किसी नामांकन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित (खराब) करता है या नष्ट करता है, अथवा*

(ख) *किसी रिटर्निंग अधिकारी के प्राधिकार द्वारा अथवा के अधीन लगाई गई कोई सूची, नोटिस या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करता है या नष्ट करता है, अथवा हटाता है, अथवा*

(ग) *किसी मतपत्र अथवा किसी मतपत्र पर सरकारी चिन्ह को कपटपूर्वक विरूपित करता है अथवा नष्ट करता है, अथवा*

(घ) *सम्यक प्राधिकार के बिना किसी मतपत्र को किसी व्यक्ति को सप्लाई करता है, अथवा*

(ड.) *किसी मतपत्र से भिन्न किसी वस्तु को कपटपूर्वक किसी मतपेटी में डालता है जो उसमें डाला जाना विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है, अथवा*

(च) *सम्यक् प्राधिकार के बिना निर्वाचन के प्रयोजन के लिये तब उपयोग में किसी मतपेटी अथवा मतपत्र को नष्ट करता है, लेता है, खोलता है, अथवा अन्यथा दखल देता है, और*

(छ) *कपटपूर्वक अथवा प्राधिकार के बिना, जैसी भी स्थिति हो, किसी पूर्वगामी कार्यों को करने का यत्न करता है अथवा ऐसे कार्यों को करने में जानबूझकर सहायता करता है अथवा दुष्प्रेरित करता है या तथा*

(ज) *नामांकन भरते समय, यथास्थिति, मिथ्या घोषणा करता है या शपथ–पत्र में मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करता है या कोई सूचना छुपाता है।*

(2) *धारा 187 के अधीन किसी अपराध का दोषी कोई व्यक्ति :–*

(क) *यदि वह किसी मतदान केन्द्र में रिटर्निंग अधिकारी अथवा कोई पीठासीन अधिकारी है अथवा निर्वाचन के सम्बन्ध में सरकारी ड्यूटी पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी है, दोषसिद्धि पर किसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकती है अथवा एक हजार रूपये के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।*

(ख) *यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है, दोषसिद्ध पर किसी अवधि के लिये कारावास से जो छः मास तक हो सकती है अथवा पांच सौ रूपये जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डनीय होगा ।*

(3) *इस धारा के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति सरकारी ड्यूटी पर समझा जायेगा यदि उसकी ड्यूटी किसी निर्वाचन अथवा निर्वाचन के किसी भाग के संचालन में, भाग लेने के लिये है, जिसमें ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग किये गये मतपत्रों अथवा अन्य दस्तावेजो के लिये मतगणना अथवा निर्वाचन के बाद उतरदायी होना शामिल है, किन्तु "सरकारी ड्यूटी" अभिव्यक्ति में इस अधिनियिम द्वारा अथवा के अधीन लगाई गई कोई ड्यूटी शामिल नहीं है ।*

(4) *उपरोक्त के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।*

9. ***किन्ही अपराधों का अभियोजन*** *– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 188 के अन्तर्गत कोई न्यायालय राज्य निर्वाचन आयोग से किसी आदेश द्वारा अथवा प्राधिकार के अधीन की गई किसी शिकायत पर सिवाय धारा 184 के अधीन अथवा धारा 185 के अधीन अथवा धारा 187 की उप–धारा 2 के खण्ड ख के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।*

प्ररूप–6
(*देखिये नियम 32*)
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

ग्राम पंचायत के पंच का निर्वाचन वार्ड संख्या से _____

क्र0सं0	*उम्मीदवार का नाम*	*उम्मीदवार का पता*	*आबंटित किये गये चिन्ह*
1	2	3	4
1 2 3 4 *इत्यादि*			

स्थान :

दिनांक : *निर्वाचन अधिकारी* (*पंचायत*)

परिशिष्ट–छः

प्ररूप–7
(देखिये नियम 32)
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन

क्र0स0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता	आबंटित किये गये चिन्ह
1	2	3	4
1 2 3 4 इत्यादि			

स्थान :

दिनांक : निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

प्ररूप–8

(*देखिये नियम 32*)

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

_____ *पंचायत समिति के वार्ड संख्या* _____ *से पंचायत समिति के सदस्य का निर्वाचन*

क्र0स0	*उम्मीदवार का नाम*	*उम्मीदवार का पता*	*आबंटित किये गये चिन्ह*
1	2	3	4
1 2 3 4 *इत्यादि*			

स्थान :

दिनांक : *निर्वाचन अधिकारी* (*पंचायत*)

प्ररूप–9

(*देखिये नियम 32*)

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन

वार्ड संख्या से _____

क्र0स0	*उम्मीदवार का नाम*	*उम्मीदवार का पता*	*आबंटित किये गये चिन्ह*
1	2	3	4
1 2 3 4 *इत्यादि*			

स्थान :

दिनांक : *निर्वाचन अधिकारी* (*पंचायत*)

प्ररूप–22
{देखिये नियम 35–क का उप–नियम (1) }
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

**————————————ग्राम पंचायत की वार्ड संख्या ————————————से पंच/*सरपंच, ग्राम पंचायत ————————————*वार्ड संख्या ————से ————————————पंचायत समिति के सदस्य *वार्ड संख्या ————————————से ————————————जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन ।*

मैं ————————————उम्मीदवार ————————————जो उपर्युक्त निर्वाचन में उम्मीदवार है, का निर्वाचन अभिकर्ता इसके द्वारा ————————————————————(नाम तथा पता) को ———————————— पर स्थित मतदान केन्द्र संख्या ————————————पर हाजिर होने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं ।

स्थानः ————————————
तिथि : *उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर*

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूं ।

स्थानः ————————————
दिनांकः *मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर*

पीठासीन अधिकारी के समक्ष मतदान अभिकर्ता की घोषणा का हस्ताक्षरित किया जाना

मैं इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि मैं उपरोक्त निर्वाचन में अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा।

मेरे सामने हस्ताक्षरित किया गया । ————————————
मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थानः ————————————
दिनांक *पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर*

**जो लागू न हो उसे काट दें ।*

परिशिष्ट–दस

पंचायत निर्वाचन 20
पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क्रमांक

रसीद

श्री _____*अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता /मतदान अभिकर्ता से रूपये 5.00 (पांच रूपये) की राशि हरियाणा पंचायत निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 48 के उप–नियम* (1) *के प्रावधान के अन्तर्गत अभ्याक्षेप* (challenged/*आरोप*) *के निक्षेप* (*अमानत/धरोहर*) *के रूप में प्राप्त की ।*

स्थान : .....

पीठासीन अधिकारी,

दिनांक : ..... *मतदान केन्द्र :*.....

प्ररूप–11
(देखिये नियम 48)
आक्षेप किये गये मतों की सूची

निर्वाचन के दौरान चुनौती किये गये मतों का विवरण ———————————————

ग्राम पंचायत का पंच ———————————वार्ड संख्या ———————————

सरपंच, ग्राम पंचायत ———————————————————————————

वार्ड संख्या ——————————————————————से पंचायत समिति के सदस्य

वार्ड संख्या ——————————————से जिला परिषद का सदस्य मतदान केन्द्र संख्या

————————————————स्थान ——————————————————

क्रसं0	मतदाता का नाम	मतदाता की सूची में क्र0सं0	ग्राम का नाम जिससे मतदाताओं की सूची सम्बन्धित है	चुनौती देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5
आक्षेप किये गये व्यक्ति का पता	पहचानने वाले व्यक्ति का नाम यदि कोई हो	आक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप/अमानत/धरोहर की प्राप्त हुई वापसी पर चुनौती व्यक्तियों के हस्ताक्षर
6	7	8	9	10

स्थान :...

दिनांक:...

....

*जो लागू न हो उसे काट दिया जाये ।

....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्टेशन आफिसर पुलिस को शिकायती पत्र

प्रति

स्टेशन आफिसर,
———————————
———————————

विषय :– *——————पंचायत निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण (नकली जाली) की रिपोर्ट ।*

महोदय,

मैं यह प्रतिवेदन करता हूं कि श्री/श्रीमती/कु0 ————————————पुत्र/पु त्री/पत्नीश्री ——————————————————— निवास ——————————————————————————————————— ने मेरे मतदान केन्द्र पर मतदान करने आये एक व्यक्ति की पहचान को चुनौती दी है । सम्बन्धित व्यक्ति को ग्राम ————————————के मतदान केन्द्र क्रमांक ————————पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल/विशेष पुलिस अधिकारी श्री —————————के सुपुर्द किया गया है। सम्बन्धित व्यक्ति ने अपने को (नाम) ——————————————पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ————————————————————होने का दावा किया है जिसका नाम ग्राम पंचायत ——————————मतदाता सूची में क्रमांक ————————पर अंकित है वह अपने को उक्त निर्वाचक होना सिद्ध नहीं कर सका। मेरे मत में यह व्यक्ति एक ठग (Imposter) है । अतः उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 एफ के अन्तर्गत उचित कानूनी कार्यवाही करें ।

भवदीय

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र क्रमांक ——————
ग्राम पंचायत ————————
खण्ड ————————————
जिला ————————————

दिनांकः
स्थान :

पावती

उपरोक्त पत्र व उसमें दर्शाया गया व्यक्ति मुझे तारीख ———को ——————बजे पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार सौपां गया ।

————————————————

हस्ताक्षर
पुलिस कान्सटेबल/विशेष पुलिस
अधिकारी श्री ———————

प्ररूप–12
(देखिये नियम 53)
निविदत्त मतों की सूची

निर्वाचन

ग्राम पंचायत का पंच ——————————————वार्ड संख्या ——————————————————

सरपंच, ग्राम पंचायत ——————————————————————————————————

पंचायत समिति का वार्ड संख्या ——————————से पंचायत ——————————————————

समिति का सदस्य ————————————————————————————————————

जिला परिषद का सदस्य——————————————————वार्ड संख्या ——————————————

मतदान केन्द्र संख्या ——————————————स्थान ——————————————————————

क्र0 सं0	मतदाता का नाम	मतदाता की सूची में क्रम संख्या	ग्राम का नाम जिससे मतदाताओं की सूची सम्बन्धित है ।	निविदत मतपत्रों की संख्या	व्यक्ति को जारी किये गये मतपत्रों की संख्या जो पहले ही वोट डाल चुके हों ।	मतदाता के हस्ताक्षर तथा अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7

....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान : ....
दिनांक : ....

प्ररूप–13
(देखिये नियम 56)
मतपत्र लेखा

चुनाव ————————————————————————————————————

ग्राम पंचायत ————————————————————————————————का

पंच वार्ड संख्या ————————————————————————————————

सरपंच, ग्राम पंचायत ——————————————————————————————

वार्ड संख्या ———————————————————————से पंचायत समिति का सदस्य

वार्ड संख्या ————————————————————————से जिला परिषद का सदस्य

मतदान केन्द्र संख्या ———————————————————————————————

		क्रम संख्या (1)	कुल संख्या (2)
1.	मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये मतपत्रों की संख्या		
2.	मतदाताओं को जारी किये गये मतपत्रों की संख्या		
3.	वापस किये गयें अप्रयुक्त मतपत्रों की संख्या		
4.	रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या		
5.	उपयोग में लाये गये निविदत मतपत्रों की संख्या		
6.	मतपेटी में मतपत्रों की संख्या		

स्थानः...........................

दिनांकः ....

....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–पन्द्रह

सूचना

पंचायत निर्वाचन

(*मतगणना की संशोधित तारीख, समय, स्थान*)

मतदान केन्द्र क्रमांक ————————————ग्राम ———————— सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि ग्राम ———————————————————————————————— के मतदान केन्द्र कमांक ————————————पर आज तारीख ———————————— को हुये मतदान में मतो की गणना अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र पर करना सम्भव नहीं है। मतगणना अब निम्नांकित स्थान, तारीख और समय पर की जायेगी–

स्थान	*तारीख*	*समय*

दिनांकः– .....

हस्ताक्षर .....
पीठासीन अधिकारी
मतदान केन्द्र कमांक : .....

प्ररूप–23

{देखिये नियम 35–ख का उप–नियम (1) }

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

**वार्ड संख्या ————————————से ————————————ग्राम पंचायत से पंच ————————————*सरपंच, ग्राम पंचायत ————————————*

**वार्ड संख्या ————से ————पंचायत समिति के सदस्य*

**वार्ड संख्या ————से ————जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन*

मैं ————————जो उपर्युक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हूं, ———— का, जो उपर्युक्त उम्मीदवार है/निर्वाचन अभिकर्ता हूं इसके द्वारा ————————————(नाम तथा पता) को ————————————पर स्थित मतदान केन्द्र संख्या ————पर हाजिर रहने के लिये गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं ।

स्थानः ————————————

तिथिः ———————————— उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं /हम गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूं।हैं

स्थानः ————————————

दिनांकः गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के सामने हस्ताक्षरित की जाने वाली घोषणा

मैं /हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं /करते हैं कि मै/हम उपरोक्त निर्वाचन में अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्व कोई भी कार्य नहीं करूंगा।/करेंगे।

मेरे सामने हस्ताक्षारित किया गया । ————————————

गणन अभिकर्ता /अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

स्थानः ————————————

तिथि रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर

**जो लागू न हो उसे काट दें ।*

प्ररूप–14

{*देखिये नियम 66 का उप–नियम* (2) }

पंच के निर्वाचन के लिये परिणाम पत्र

————————————————ग्राम पंचायत ————————————————वार्ड संख्या से मतदान केन्द संख्या ————————————————————स्थान ————————————

क्र0 संख्या	*उम्मीदवार का नाम*	*उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या*
1	*2*	*3*

(*क*) *वैधमतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————*

(*ख*) *रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————*

(*ग*) *डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————*

स्थान :.....
दिनांकः..... .....

निर्वाचन अधिकारी (*पंचायत*) / *द्वारा प्राधिकृत*
अधिकारी/*रिटर्निंग अधिकारी* (*पंचायत*)

परिशिष्ट–अठारह

प्ररूप–15

{देखिये नियम 66 का उप–नियम (2)}

ग्राम के सरपंच के लिये मतों की गणना ————————

भाग–1

मतदान केन्द्र संख्या : ——————————————————

शामिल किये गये वार्डो की क्रम संख्या : ——————————————

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या
1	2	3

वैध मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————

रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ——————————————————————

डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————

स्थान :..................................

दिनांकः..................................

....

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

भाग–II

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में डाले गये मत			कुल
		मतदान केन्द्र संख्या–1	मतदान केन्द्र संख्या–2	मतदान केन्द्र संख्या–3	
1	2	3	4	5	6

गांव में वैध मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————

गांव में रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ——————————————————————

गांव में डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————

स्थान :

दिनांकः

————————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

प्रारूप–16

{*देखिये नियम 66 का उप–नियम* (2) }

पंचायत समिति के वार्ड संख्या ————————————के सदस्य के निर्वाचन में मतों की गणना का परिणाम ————————————————————

भाग–1

मतदान केन्द्र संख्या : ————————————————————
मतदान केन्द्र में शामिल किये गये वार्डों की कम संख्या : ————————————

क्रमांक	*उम्मीदवार का नाम*	*उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या*
1	*2*	*3*

वैध मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————
रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————
डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————

स्थान :.....
दिनांकः.....

.....
निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)

भाग–II

क्रमांक	*उम्मीदवार का नाम*	*उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये वैध मत*	*मतों की कुल संख्या*
		मतदान केन्द्र संख्या	
		1. 2. 3. 4. 5.	
1	*2*	*3*	*4*

वैध मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————
रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————
डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————

स्थान :
दिनांकः

————————————
निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग अधिकारी(पंचायत)

परिशिष्ट–बीस

प्ररूप–17

{देखिये नियम 66 का उप–नियम (2)}

जिला परिषद वार्ड संख्या —————————————के मतों की गिनती का परिणाम ——————————————————————————

भाग–I

मतदान केन्द्र संख्या : ——————————————————————

शामिल किये गये वार्डों की क्रम संख्या : ———————————

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या
1	2	3

वैध मतों की कुल संख्या : ———————————————————————————————————————

रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ———————————————————————————————————

डाले गये मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————————————————

....

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

भाग–II

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	पंचायत समिति के विभिन्न केन्द्रों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये वैध मत	वैध मतों की कुल संख्या
1	2	3	4

वैध मतों की कुल संख्या : ———————————————————————————————————————
रद्द किये गये मतों की कुल संख्या : ———————————————————————————————————
पचांयत समिति के क्षेत्र में डाले गये मतों की कुल संख्या : ——————————————————————
स्थान :
दिनांकः

———————————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

भाग–III

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	भिन्न भिन्न पंचायत समिति में स्थित किये गये मतदान केन्द्रों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गए मतों की संख्या			वैध मतों की कुल संख्या
		पंचायत समिति	पंचायत समिति	पंचायत समिति	
1	2	3	4	5	6

वैध मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————————

रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ———————————————————————————

जिला परिषद के सम्बद्ध वार्ड में डाले गये मतों की कुल संख्या : ———————————————

स्थान :
दिनांकः

————————————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

पंच पद के लिए निर्वाचन - विवरणी तैयार करने की व्यवस्था

[70 ग्राम पंचायतो वाली पंचायत समिति / खण्ड के लिए,
व्यवस्था का उदाहरण]

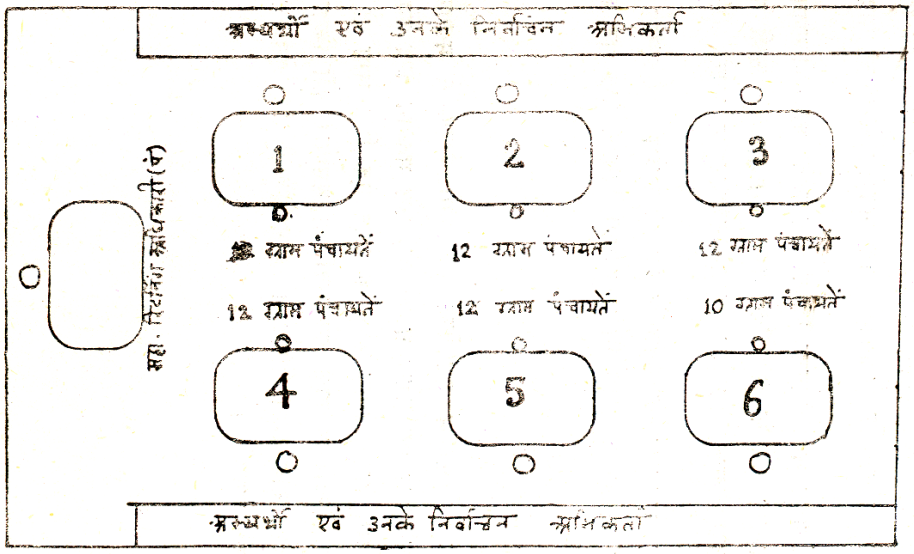

— कुल कर्मचारी :
प्रत्येक टेबिल पर - दो, तथा एक
सहायक रिटर्निंग आफीसर

— आवश्यक सामग्री : (प्रत्येक टेबिल पर) :

1. पेपर वेट,
2. पेपर शीट,
3. विवरणी (प्रारूप - 23) के फार्म, पर्याप्त संख्या में,
4. स्केल / रूल,
5. पेंसिल तथा रबर,
6. शार्पनर / ब्लेड,
7. बाल प्वाइंट पेन - दो,
8. रिटर्निंग आफीसर / सहा. रिटर्निंग आफीसर की सी॰,
9. स्टेम्प पैड,
10. आलपिन आदि.

सरपंच तथा पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन - परिणामो के सारणीकरण और विवरणी तैयार करने की व्यवस्था

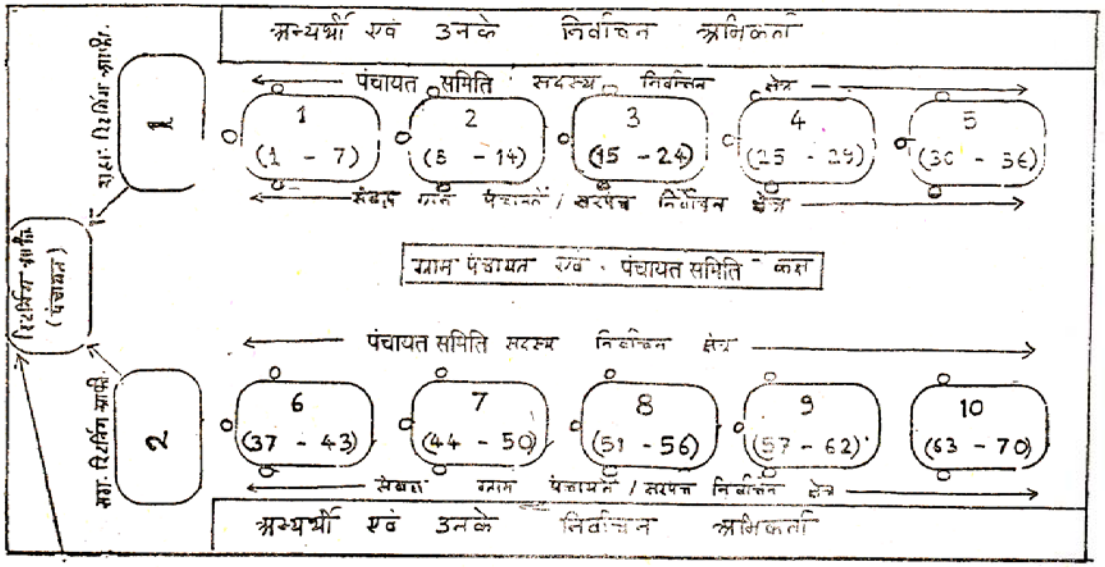

पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कक्ष :-

- कुल पंचायत समिति सदस्य नि. क्षेत्र = 10
- कुल ग्राम पंचायतें = 70
- कुल मतदान केंद्र = 172
- कर्मचारी प्रति टेबिल = 1 + 2 = 3
  (सुपरवाइजर - एक, सारणीकर्ता-दो)
- सहायक रिटर्निंग आफीसर (पंचा.) = 2
  (प्रत्येक के प्रभार में पांच टेबिलें)

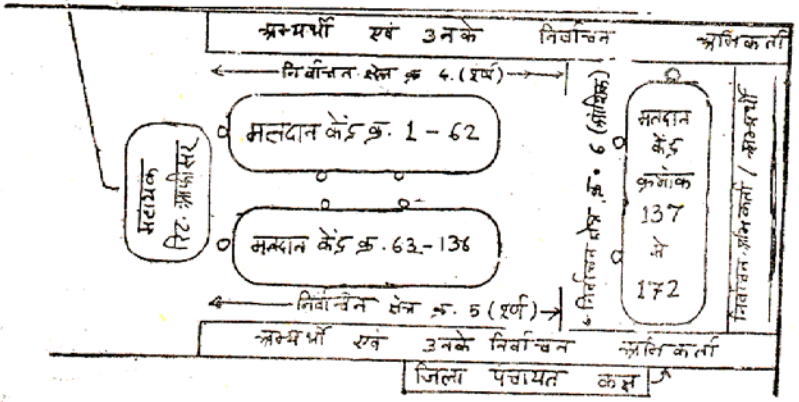

जिला परिषद :- कक्ष :

- पंचायत समिति क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र :-
  (क) पूर्णतः - क्र. 4, क्र. 5,
  (ख) आंशिक - क्र. 6
- कर्मचारी प्रति टेबिल = 1 + 2 = 3
  (सुपरवाइजर - एक, सारणीकरणकर्ता = दो)

जिला मुख्यालय पर जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए सारणीकरण की व्यवस्था

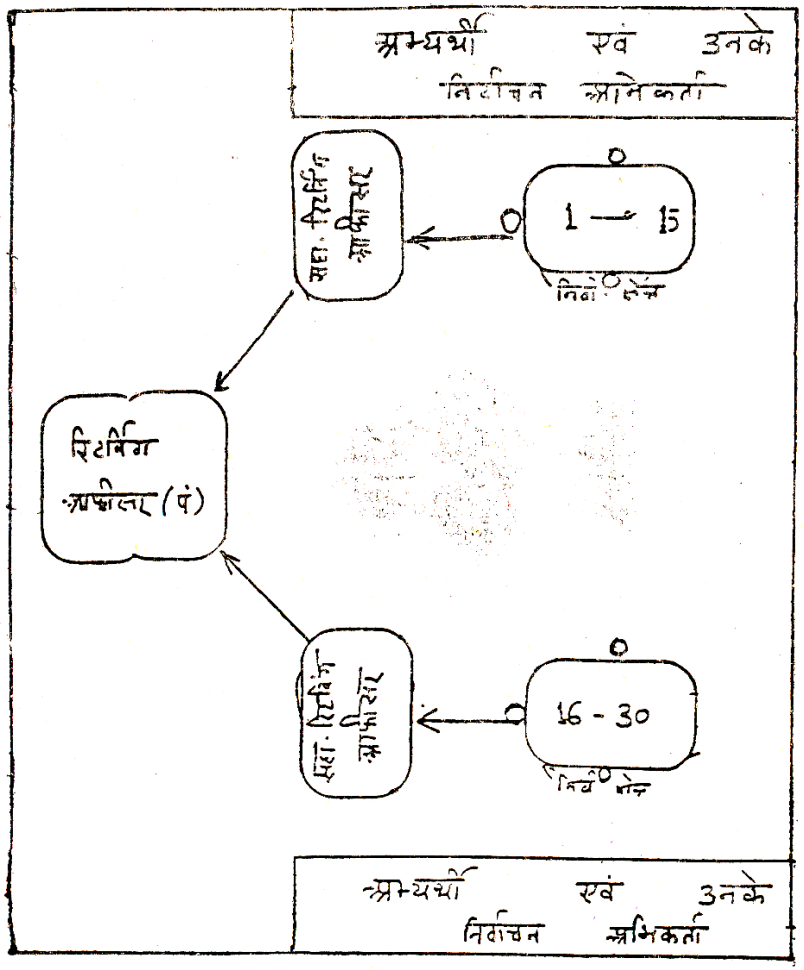

टीप: -1. जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों के के आधे एक टेबिल पर और आधे दूसरी टेबिल पर रखे जा सकते हैं।

2. एक टेबिल पर एक सुपरवाइजर तथा दो सहायक, इस प्रकार तीन कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते हैं।

3. टेबिलों से प्राप्त विवरणी एवं निर्वाचन प्रमाण पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण सहायक रिटर्निंग आफीसरों द्वारा किया जावेगा। तत्पश्चात रिटर्निंग आफीसर को ये कागजात निर्वाचन की घोषणा हेतु सौंपे जाएंगे।

....

परिशिष्ट–बाईस

प्ररूप–18

{देखिये नियम 70 के उप–नियम (1) का खण्ड क}

ग्राम पंचायत ——————————————के पंच के निर्वाचन की विवरणी का प्ररूप वार्ड संख्या ——————————————से पंच के लिये निर्वाचन

क्र0 संख्या	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या
1	2	3

वैध मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————————

अवैध मतों की कुल संख्या : —————————————————————————————

डाले गये मतों की कुल संख्या : ———————————————————————————

मैं घोषणा करता हूं कि ——————————————————————————————

(नाम)——————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया है ।

——————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

20............................के दिन............................दिनांक

प्ररूप–19

{देखिये नियम 70 के उप–नियम (1) का खण्ड क}

सरपंच के निर्वाचन के लिये विवरणी का प्ररूप

ग्राम पंचायत ——————————————

सरपंच के निर्वाचन के लिये ——————————

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	मतदान केन्द्र में उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या 1. 2. 3. 4. 5.	वैध मतों की कुल संख्या
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

वैध मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————————————

अवैध मतों की कुल संख्या : —————————————————————————————————

डाले गये मतों की कुल संख्या : ———————————————————————————————

मैं घोषणा करता हूं कि ——————————————————————————————————

(नाम)———

पता——

सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया है ।

20...............................के दिन..........................दिनांक.................................

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

——————————————

निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप–20

{देखिये नियम 70 के उप–नियम (1) का खण्ड ग}

पंचायत समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिये विवरणी का प्ररूप

पंचायत समिति के ––––––––––––––––––––

वार्ड संख्या सें पंचायत समिति के सदस्य का निर्वाचन

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	मतदान केन्द्र संख्या में उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या 1. 2. 3. 4. 5.	कुल वैध मतों की संख्या
1	2	3	4

वैध मतों की कुल संख्या : ––

अवैध मतों की कुल संख्या : ––

डाले गये मतों की कुल संख्या : –––

मैं घोषणा करता हूं कि –––

(नाम)––

पता–––

सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया है ।

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

20......................के दिन........................दिनांक

प्ररूप–21

{देखिये नियम 70 के उप–नियम (1) का खण्ड घ}

जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन के लिये विवरण का प्ररूप

————————————————वार्ड संख्या से जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन

क्रमांक	*उम्मीदवार का नाम*	*प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या*
1	*2*	*3*

वैध मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————
अवैध मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————
डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————
मैं घोषणा करता हूं कि ————————————————————————————————

(नाम)——
पता——
सम्यक रूप से निर्वाचित हो गया है ।

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

20.....के दिन.....दिनांक

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा
एस0सी0ओ0 नं0 16–17, सैक्टर 20 डी
चण्डीगढ़।

कमांक एस0ई0सी0/2ई–।।।/2005/20555–73 *दिनांक 28/3/2005*

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी उपायुक्त एंव
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

विषयः– *पंचायत आम चुनाव अप्रैल, 2005–चुनाव परिणाम की घोषणा सम्बन्धित निर्देश।*

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मैं आपसे यह अनुरोध करूं कि आप कृप्या सभी रिटर्निंग अधिकारियों को यह निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के मतपत्रों की गिनती के उपरांत विजयी उम्मीदवार को मौके पर ही चुनाव जीतने का लिखित प्रमाण–पत्र देंगे साथ विजयी उम्मीदवार से इस प्रमाणपत्र की प्राप्ति की रसीद भी प्राप्त करेंगें तथा उस रसीद को रिकार्ड में शामिल करें। चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद सभी उपस्थित उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर भी उस फार्म पर करवायें जिस पर परिणाम घोषित किया जायेगा।

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी

निर्वाचन प्रमाण पत्र

*खण्ड ——————————————की *ग्राम पंचायत ——————————————————————————— से सरपंच/के वार्ड क्रमांक ————————से पंच/*पंचायत समिति/*जिला परिषद ——— के निर्वाचन क्षेत्र कमांक ———————————————से सदस्य के लिये निर्वाचन।*

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /सुश्री ——————————————————————————————
पता ——
जो उपार्युक्त पद के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी थे,/थी, सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये /गई है ।

स्थानः ——————————————
दिनांकः *रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)*

सील

**जो लागू न हो उसे काट दीजिये ।*

पंचायत निर्वाचन
पीठासीन अधिकारी की डायरी
भाग–एक

मतदान

पंच/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में

1.	*खण्ड का नाम*	*:*
2.	*मतदान की तारीख*	*:*
3.	*मतदान केन्द्र का कमांक व नाम*	*:*
4.	*मतदान केन्द्र किस प्रकार के भवन में स्थित है।*	*शासकीय/अर्ध शासकीय/निजी /अस्थाई झोपडा :*
5.	*जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के आदेश के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता (यदि कोई हो) और नियुक्ति का कारण*	*नाम :* *पता :* *कारण :*
6.	*उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या तथा प्रकार*	*बड़ी :* *छोटी :*
7.	Voting Machine:	
	(i) Number of Control Units used	
	(ii) S.No.(s) of Control Units used	
	(iii) Number of balloting units used	
	(iv) S.No. of balloting units used	
8.	(i) Number of paper seals used	
	(ii) S. Nos. of paper seals used	
9.	(i) Number of special tags supplied	
	(ii) S.No.(s) of special tags supplied	
	(iii) Number of special tags used	
	(iv) S.No.(s) of special tags used	
	(v) S.No.s (s) of special tags returned as unused	
10.	(i) Number of Strip Seals supplied	
	(ii) S.No.(s) of Strip Seals supplied	
	(iii) Number of Strip Seals used	
	(iv) S.No.(s) of Strip Seals returned as unused	
11.	(i) Total No. of voters assigned to the polling station	
	(ii) Number of voters allowed to vote according to marked copy of the electoral roll	
	(iii) Number of voters who actually voted as per the Register of Voters (Annexure-1) appended with EVM Order, 2008.	
	(iv) Number of votes recorded as	

	per the voting machine	
12.	Number of voter's slips issued at the closing hour of the poll	
13.	Voters offences with details:	
	(a) Canvassing within one hundred metres of the polling station.	
	(b) Impersonation of voters	
	(c) Fraudulent defacing, destroying or removal of the list of notice or other document at the polling station	
	(d) Bribing of voters	
	(e) Intimidation of voters and other persons	
	(f) Booth capturing	
14.	Was the poll interrupted or obstructed by	
	(1) riot	
	(2) open violence	
	(3) natural calamity	
	(4) booth capturing	
	(5) failure of voting machine	
	(6) any other cause	
	Please give details of the above.	
15.	Was the poll vitiated by any voting machine used at the polling station having been	
	(a) unlawfully taken out of the custody of the Presiding Officer	
	(b) accidentally or intentionally lost or destroyed	
	(c) damaged or tampered with	
	Please give details	
16.	Serious complaints if any, made by the candidate/agents.	
17.	Number of cases of breach of law and order	
18.	Report of mistakes and irregularities committed, if any, at the polling station	
19.	Whether the declarations have been made before the commencement of the poll and if necessary during the course of poll when a new voting machine is used and at the end of poll as necessary	

<table>
<tr><td rowspan="2">20.</td><td colspan="3">मतदाता सूचि में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं के विवरण</td></tr>
<tr><td>मतदाता सूचि में दर्ज कुल मतदाता</td><td>मतदाता जिन्होंने मतदान किया</td><td>मतदान का प्रतिशत</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">पुरूष
महिला
योग</td></tr>
<tr><td rowspan="3">21.</td><td colspan="3">मतदान के दौरान अभ्यर्थियो और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति</td></tr>
<tr><td colspan="3"><table>
<tr><td rowspan="2">कमांक</td><td rowspan="2">पद जिसके लिए निर्वाचन हो रहा है</td><td rowspan="2">निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या</td><td colspan="2">उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं की संख्या</td></tr>
<tr><td>अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता</td><td>मतदान अभिकर्ता</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">पंच
(केन्द्र के अन्तर्गत सभी वार्डो के लिए मिलकर)
सरपंचः
पंचायत समिति सदस्यः
जिला परिषद सदस्यः</td></tr>
<tr><td>22.</td><td colspan="2">अंधेपन अथवा शारिरीक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई ।</td><td></td></tr>
<tr><td>23.</td><td colspan="2">अभ्याक्षेपित (चैलैजेड) मतों की संख्या, जबत की धनराशि</td><td>रू</td></tr>
<tr><td>24.</td><td colspan="2">निविदित (टैन्टर्ड) मतों की कुल संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>25.</td><td colspan="2">यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि (विस्तृत टीप पृथ्क से संलग्न करे)</td><td></td></tr>
<tr><td>26.</td><td colspan="2">जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब का सही–सही समय</td><td></td></tr>
<tr><td>27.</td><td colspan="2">पुलिस को सौंपे गये प्रकरणों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>28.</td><td colspan="2">अन्य महत्वपूर्ण घटना (यदि कोई घटी हो तो)</td><td></td></tr>
</table>

दिनांकः

हस्ताक्षर (पीठासीन अधिकारी)

भाग–दो

गणना
(पंच/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य
के सम्बन्ध में मतगणना)

1. *मतगणना प्रारम्भ करने का समय* ———————————————————————————
2. *मतगणना में उपस्थिति 1. अभ्यर्थी 2. निर्वाचन अभिकर्ता 3.गणना अभिकर्ता*
   संख्या लिखें । ——— ——————— ——————
3. *यदि मतगणना स्थगित करनी पड़ी हो तो ऐसे स्थगन की अवधि एवं कारण :*
   अवधि—————*बजे से* —————*बजे तक*

   कारण
   ————————————————————————————————————
   ————————————————————————————————————
4. *मतगणना समाप्त होने का समय* ———————————————————————————
5. *अन्य महत्वपूर्ण घटना (यदि कोई घटी हो तो)* ————————————————————
   ————————————————————————————————————
   ————————————————————————————————————

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षर (पीठासीन अधिकारी एवं मतगणना के लिये
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी)